राजस्थान सरकार

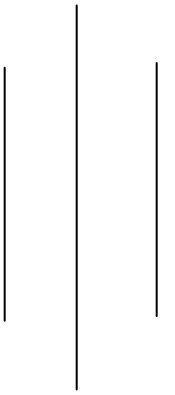

वार्षिक प्रतिवेदन
2012–2013

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
राजस्थान, जयपुर

अनुक्रमणिका

विषय सामग्री	पृष्ठ संख्या
ग्रामीण विकास	
पृष्ठभूमि	**4**
योजनाओं का उद्देश्य एवं संक्षिप्त विवरण	**4**
(अ) केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	
स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	**6**
बीपीएल सेंसस 2002	**11**
सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC-2011)	**13**
राज्य ग्रामीण बी.पी.एल. सूची	**14**
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	**15**
महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	**19**
इंदिरा आवास योजना	**25**
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	**30**
सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम	**32**
डी.आर.डी.ए. प्रशासन योजना	**34**
ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा)	**37**
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	**40**
(ब) राज्य प्रवर्तित योजनाएं	
विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	**41**
मेवात क्षेत्रीय विकास योजना	**46**
ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना	**47**
डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	**49**
स्व–विवेक जिला विकास योजना	**51**
मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	**52**
सामाजिक अंकेक्षण	**54**
मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना	**55**
(स) केन्द्रीय/बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना	
राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन परियोजना (आर.आर.एल.पी.)	**57**
मिटीगेटिंग पावर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान (एमपॉवर)	**61**
बायोफ्यूल प्राधिकरण	**65**
(द) निगरानी तंत्र	**68**
(य) इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान	**71**
पंचायती राज	
I राजस्थान में पंचायती राज संस्थाऐं एक दृष्टि में	**86**
II पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढीकरण	**86**
III पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों/अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण	**89**
IV जिला परिषदों/पंचायत समितियों के भवनों का विस्तार/ मरम्मत	**90**
V नवगठित 11पंचायत समितियों के भवनों का निर्माण	**90**

VI जिला परिषदों परिसर में जन सुविधा भवनों का निर्माण	**91**
VII विभागीय प्रकाशन	**91**
VIII जनप्रतिनिधियों की जांच	**92**
IX वित्तीय प्रबन्ध	**92**
1. अंकेक्षण एवं विशेष लेखा जाँच	**94**
2. महालेखाकार अंकेक्षण आक्षेपों के निस्तारण की प्रगति	**94**
3. स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के आक्षेपों के निस्तारण की प्रगति	**94**
IX पंचायती राज की योजनाएं	
1. तेरहवां वित्त आयोग	**95**
2. चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	**97**
3. रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड का आवंटन	**98**
4. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) कार्यक्रम	**100**
5. निर्बन्ध राशि योजना	**100**
6 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना	**100**
7. पंचायती राज संस्थाओं को निर्बन्ध राशि	**101**
8. नवाचार निधि योजना	**102**
9. क्षतिपूर्ति तथा समानुदेशन	**102**
10. विकेन्द्रीकृत जिला आयोजना	**103**
11. पंचायत सशक्तीकरण एवं प्रोत्साहन योजना (PEAIS)	**103**
12. निर्मल भारत अभियान (सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम)	**103**
13. निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना	**107**
14. जनता जल योजना	**108**
राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (मिड–डे मील कार्यक्रम)	**110**
जल ग्रहण विकास कार्यक्रम	
(i) एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन परियोजना	**116**
(ii) मरु विकास कार्यक्रम	**117**
(iii) सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम	**118**
(iv) समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम	**119**
परिशिष्ट–ग्रामीण विकास	
स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत विशेष परियोजनाओं का विवरण **परिशिष्ट–1**	**121**

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

पृष्ठभूमि

देश के चहुंमुखी विकास के लिये ग्रामीण क्षेत्र का विकास होना नितान्त आवश्यक है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये स्वतंत्रता प्राप्ति के तीसरे दशक से ही ग्रामीण क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास ने नया मोड लिया और अति पिछडे तथा गरीबी से ग्रस्त परिवारों को सीधे लाभ पहुंचाने की दिशा में प्रयास किये गये, लेकिन राज्य में ग्रामीण विकास को और अधिक प्राथमिकता एवं विशेष महत्व देते हुए वर्ष 1971 में विशिष्ठ योजना संगठन की स्थापना की गई। वर्ष 1979 में पुनर्गठन के साथ–साथ इसका कार्य क्षेत्र बढ़ाकर इसे ''विशिष्ठ योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग'' का नाम दिया गया। 1 अप्रेल, 1999 से इस विभाग का नाम **''ग्रामीण विकास विभाग''** किया गया। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित अधिकांश योजनाओं का क्रियान्वयन जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। अतः जिला स्तर पर समन्वय हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का जिला परिषद में विलय करते हुये मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अधीन ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ का गठन किया गया। इसी तरह राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने एवं कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन के उद्देश्य से ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग का विलय किया गया है। वर्तमान में इस विभाग का नाम **''ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग''** है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधीन ग्रामीण विकास की योजनाएं शासन सचिव, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासनिक नियन्त्रण एवं योजनाओं का क्रियान्वयन आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज के माध्यम से किया जा रहा है।

विभाग द्वारा वर्ष 2012–13 में क्रियान्वित योजनाओं का उद्देश्यवार संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

(अ) स्वरोज़गार द्वारा गरीबी उन्मूलन

- स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)
- राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना (आरआरएलपी)
- मिटीगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान (एमपॉवर)

(ब) रोज़गार सृजन द्वारा गरीबी निवारण

- महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना

(स) क्षेत्रीय विकास द्वारा "गरीबी एवं क्षेत्रीय असंतुलन" निवारण

- सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम
- मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम
- डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम
- मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

(द) ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचना कार्य

- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
- विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
- ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना
- स्व–विवेक जिला विकास योजना
- ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा)

(य) गरीब/शोषित हेतु कल्याण योजनाएं

- इन्दिरा आवास योजना
- मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना

(र) अन्य

- डी.आर.डी.ए. प्रशासन योजना
- बायोफ्यूल प्राधिकरण–राजस्थान

(अ) केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.)

परिचय

- स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) ग्रामीण गरीबों के स्वरोजगार के लिए चल रहा एक मुख्य कार्यक्रम है। पूर्ववर्ती एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) और इसके सहायक कार्यक्रमों अर्थात् स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण (ट्रायसम), ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास (द्वाकरा), ग्रामीण क्षेत्रों में औजार–किटों की आपूर्ति (सिट्रा) और मिलियन वेल्स स्कीम (एमडब्ल्यूएस) के अलावा गंगा कल्याण योजना (जीकेवाई) की पुनःसंरचना कर 1.4.1999 को यह कार्यक्रम शुरू किया गया।
- स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का मूल उद्देश्य बैंक ऋण और सरकारी अनुदान (सब्सिडी) के माध्यम से आयोपार्जक परिसम्पत्तियां उपलब्ध करा कर सहायता प्राप्त ग्रामीण परिवारों (स्वरोजगारियों) को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य गरीबों के कौशल और प्रत्येक क्षेत्र की कार्यक्षमता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लघु उद्यमों की स्थापना करना है। कार्यक्रम का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नलिखित हैः–

''स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना'' एक नजर में

प्रारम्भ होने की तारीख : 1 अप्रैल, 1999

उद्धेश्य

एक निश्चित समय सीमा के अंदर आय में पर्याप्त वृद्धि सुनिश्चित कर गरीबी रेखा से नीचे के सहायता प्राप्त परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना।

प्रमुख विशेषताऐं :

1. स्वसहायता समूह में संगठित होने योग्य बनाने के लिये ग्रामीण निर्धनों को एकजुट करने पर बल।
2. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना – एक ऋण सह सब्सिडी योजना है, जिसमें ऋण प्रमुख घटक है और सब्सिडी मात्र सहायक घटक है।
3. मुख्य क्रियाकलापों के चयन में सहभागी नीति।
4. प्रत्येक मुख्य क्रियाकलाप के लिए परियोजना नीति।
5. उपयुक्त हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिये क्रियाकलाप समूहों के विकास पर बल।
6. आवर्ती निधि सहायता के माध्यम से समूहों का सुदृढीकरण।
7. परियोजना के अभिन्न अंग के रूप में सामूहिक प्रक्रियाओं और कौशल विकास में लाभार्थियों का प्रशिक्षण।
8. बाजार की खोज, उत्पादों में सुधार/विविधीकरण, पैकेजिंग, बाजार सुविधाओं के सृजन आदि के माध्यम से विपणन सहायता।
9. अप्राप्त महत्वपूर्ण कड़ी (missing link) उपलब्ध कराकर ढांचागत विकास के लिए प्रावधान। ढांचागत विकास के लिए 20 प्रतिशत निधि निर्धारित है।
10. स्वसहायता समूहों के गठन और क्षमता निर्माण में गैर सरकारी संगठनों की सक्रिय भूमिका।
11. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक एवं विकलांग जैसे उपेक्षित समूहों पर ध्यान देना।
12. निश्चित संख्या में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को गरीबी रेखा से उपर लाने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम सुनिश्चित करने हेतु विशेष परियोजनाओं के लिए 15 प्रतिशत निधि का निर्धारण।

निर्धनों का सामाजिक संगठन

- यह कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन हेतु निर्धनों के संगठन पर बल देता है। एक स्वयंसहायता समूह में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के 10 से 20 व्यक्ति हो सकते हैं। एक व्यक्ति एक से अधिक समूह का सदस्य नहीं होना चाहिये। लघु सिंचाई योजनाओं, विकलांग व्यक्तियों तथा दुर्गम क्षेत्रों जैसे पहाडी, मरूभूमि एवं बिखरी आबादी वाले क्षेत्रों में एक समूह में व्यक्तियों की संख्या 5 से 20 तक हो सकती है। हालांकि, यदि आवश्यक हुआ तो 20 प्रतिशत और विशिष्ट मामलों में 30 प्रतिशत तक गरीबी रेखा से ऊपर के सदस्य (सीमान्त रूप से गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के साथ निरंतर रहते हों) एक समूह में शामिल हो सकते हैं, बशर्ते समूह के गरीबी रेखा से नीचे के सदस्य सहमत हों। प्रत्येक स्वयंसहायता समूह में महिला सदस्यों को शामिल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रत्येक ब्लॉक में 50 प्रतिशत स्वयंसहायता समूह अलग से महिलाओं के लिए होने चाहिये। सामूहिक क्रियाकलापों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा क्रमिक रूप से अधिकांश वित्तपोषण स्वसहायता समूहों के लिए होना चाहिये।
- राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं में बीपीएल सूची–2002 में चयनित परिवारों के अलावा अन्य गरीब/अतिगरीब परिवारों को लाभान्वित किये जाने हेतु बीपीएल प्लस नीति का अनुमोदन किया गया है। जिसके द्वारा चयन से वंचित गरीब/अतिगरीब परिवारों को भी परिषद द्वारा क्रियान्वित की जा रही आजीविका की विभिन्न परियोजनाओं में लाभान्वित किया जावेगा।

समूह के गठन में गैर सरकारी संगठनों/बैंकों की भूमिका

- समूह के गठन के साथ साथ उनकी क्षमता निर्माण में गैर–सरकारी संगठनों या समुदाय आधारित संगठनों/समुदाय समन्वयकों/सुविधादाताओं/एसएचपीआई प्रेरकों को शामिल किया जाना चाहिये।
- स्वयंसहायता समूह के गठन और विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों/समुदाय आधारित संगठनों/एस एच पी आई/प्रेरकों आदि को चार किस्त में 10,000/– रू. प्रति समूह तक दिए जाएंगे।

क्रियाकलापों का चयन

- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्वरोजगारियों को ऐसे क्रियाकलापों में सहायता देने पर बल दिया जाता है जिन्हे क्षेत्र में उनकी आर्थिक व्यवहार्यता की दृष्टि से मुख्य क्रियाकलापों के रूप में निर्धारित और चयनित किया गया हो। प्रत्येक ब्लॉक लगभग 10 मुख्य क्रियाकलाप चुन सकता है, परन्तु मुख्य जोर उन 4–5 मुख्य क्रियाकलापों पर होना चाहिए जो स्थानीय संसाधनों, लोगों की व्यावसायिक कुशलता और बाजार की उपलब्धता पर निर्भर हों, जिससे कि स्वरोजगारी अपने निवेशों से दीर्घकालीन आय अर्जित कर सकें।
- ब्लॉक स्तरीय स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना समितियां मुख्य क्रियाकलापों के चयन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार हैं, जिसे सहभागी नीति के तहत किया

जाना चाहिए। मुख्य क्रियाकलाप का चयन बैकों, औद्योगिक/तकनीकी संगठनों, स्थानीय खादी एवं ग्रामोघोगों के कर्मचारियों तथा जिला उघोग केन्द्र के साथ परामर्श करके किया जाना चाहिए। चुने गए मुख्य क्रियाकलापों को पंचायत समिति द्वारा अनुशंसित होना चाहिए तथा अंतिम तौर पर इसे जिला स्तरीय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना समिति द्वारा अनुमोदित कराना चाहिए। मुख्य क्रियाकलापों की सूची में जिला स्तरीय स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना समिति द्वारा किसी नए क्रियाकलाप को जोडा जा सकता है, परंतु एक ब्लॉक में सामान्य तौर पर चुने गए क्रियाकलाप 10 से अधिक नहीं होने चाहिए।

लक्ष्य समूह

- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार एसजीएसवाई के तहत लक्ष्य समूह हैं। लक्ष्य समूह में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 50 प्रतिशत, महिलाओं के लिए 40 प्रतिशत, अल्पसंख्यकों के लिए 15 प्रतिशत तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत को लाभान्वित करने का प्रावधान है।

वित्तीय सहायता

- वैयक्तिक स्वरोजगारी अथवा स्वयंसहायता समूहों के लिए एसजीएसवाई के अंतर्गत सरकार द्वारा सब्सिडी तथा बैंक द्वारा ऋण के रूप में सहायता दी जाती है। ऋण एसजीएसवाई का महत्वपूर्ण घटक है, सब्सिडी अपेक्षाकृत छोटा और सहायक तत्व है। तद्नुसार एसजीएसवाई में बैंकों की व्यापक भागीदारी की परिकल्पना की गई है। इन्हें परियोजना रिपोर्टों की आयोजना और तैयारी में, क्रियाकलाप कलस्टरों के चयन, आधारभूत ढांचा आयोजना के साथ साथ क्षमता निर्माण तथा स्व सहायता समूहों की पसंद की गतिविधि में, अलग अलग स्वरोजगारियों के चयन में ऋण की वसूली सहित ऋण लेने से पूर्व के क्रियाकलापों तथा ऋण के बाद की निगरानी के कार्य में सक्रिय रूप से शामिल किया जाना होता है।
- व्यक्तियों के लिए एसजीएसवाई के अंतर्गत सब्सिडी परियोजना लागत के 30 प्रतिशत तक एक समान है जो अधिकतम 7500/–रू. हो सकती है। अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन जातियों/विकलांगों के लिए सब्सिडी परियोजना लागत का 50 प्रतिशत है, जिसकी अधिकतम सीमा 10,000 रू. है। स्वरोजगारियों के समूहों के लिए सब्सिडी योजना लागत का 50 प्रतिशत है, जिसमें प्रति व्यक्ति सब्सिडी 10,000 रू. या 1.25 लाख रू. इनमें से जो भी कम हो होगी। सिंचाई परियोजनाओं के लिए सब्सिडी की कोई वित्तीय सीमा नहीं है। सब्सिडी कार्योत्तर (Back ended) है।

आवर्ती निधि (Revolving fund) सहायता

- स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रथम ग्रेड में पात्रता प्राप्त कर लेने के बाद, जिला परिषद् के ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ और बैंकों द्वारा नकद ऋण सीमा के रूप में आवर्ती निधियां दी जानी होती है।

- आवर्ती निधि की मात्रा स्वयं सहायता समूह के समूह संचय के बराबर बशर्ते यह कम से कम 5000 रू. तथा अधिकतम 10,000 रू. हो। अनेक बार में कुल सब्सिडी 20,000 रू. तक हो सकती है।
- जिला परिषद् के ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ द्वारा अनुदान
- बैंक द्वारा ऋण साख सीमा–समूह संचय के दो से दस गुना तक

प्रशिक्षण

- एस.जी.एस.वाई. के तहत सुव्यवस्थित ढंग से तैयार किए गए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के जरिए कौशल विकास पर जोर दिया जाता है। प्रशिक्षण की रूपरेखा, अवधि और पाठ्यक्रम इस तरह से निर्धारित किए जाते हैं कि इनसे चयनित मुख्य क्रियाकलापों की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा बुनियादी उन्मुखीकरण (Basic orientation) और कौशल विकास प्रशिक्षण दोनों के लिए किए गए खर्चो को जिला परिषद, एसजीएसवाई निधियों से पूरा करेगा। परंतु यह खर्च प्रति प्रशिक्षु 5000 रू से अधिक नहीं होगा।
- एसजीएसवाई के अंतर्गत, वित्तीय आवंटन का कम से कम 10 प्रतिशत भाग स्वरोजगारियों के प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए नियत है।

आधारभूत सुविधाओं का विकास

- प्रत्येक जिले के लिए एस.जी.एस.वाई. के वार्षिक आवंटन की अधिकतम 20 प्रतिशत राशि आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु व्यय करने का प्रावधान है।

विपणन सहायता

- एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत स्वरोजगारियों द्वारा निर्मित सामान के विपणन को बढावा देने की व्यवस्था भी की गई है जिसमें स्वरोजगारियों द्वारा निर्मित सामान के प्रदर्शन और बिक्री हेतु जिला/राज्य/राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर प्रदर्शनियों/मेलों का आयोजन, बाजार सूचना का प्रावधान, विपणन और परामर्शी सेवाओं का विकास तथा निर्यात सहित सामान के विपणन हेतु संस्थागत व्यवस्था शामिल है। जिला परिषद व्यवहार्य क्रियाकलापों की पहचान, उत्पाद और डिजाइन विकास के लिए परियोजनाओं की तैयारी, मूल्य संवर्धन, पैकेजिंग आदि से संबंधित व्यावसायिक निवेश के प्रबंध के लिए प्रतिवर्ष 5.00 लाख रू. तक खर्च कर सकती है।

वित्तपोषण

- एस.जी.एस.वाई. को केन्द्र एवं राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में वित्तपोषित किया जाता है।

निगरानी

- एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत निगरानी की विस्तृत प्रणाली अपनाई गई है। कार्यक्रम की राज्य स्तर से लेकर निचले स्तर तक निगरानी की जाती है। राज्य स्तर पर, राज्य स्तरीय समन्वय समिति कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी

तथा समीक्षा करती है। जिला एवं ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तरीय एस.जी.एस.वाई. समिति और ब्लॉक स्तरीय एसजीएसवाई समितियों द्वारा कार्यक्रम की निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त एसजीएसवाई के अंतर्गत प्रगति की जिला परिषद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टो और विवरणियों के जरिए आवधिक रूप से निगरानी की जाती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं परियोजना अधिकारियों की कार्यशाला तथा आवधिक बैठकों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों पर चर्चा की जाती है, जिसका उद्देश्य ब्लॉक/जिला परिषद स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार किया जाना है। क्षेत्र के दौरों तथा परिसम्पत्तियों की वास्तविक जांच के जरिए भी निगरानी की जाती है।

कार्यक्रम की प्रगति

- वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 (दिसम्बर, 2012 तक) के दौरान एसजीएसवाई के अंतर्गत उपलब्धि निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	मद	वर्ष 2011–2012			वर्ष 2012–2013 (माह दिसम्बर, 2012 तक)		
		लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि %	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि %
1	साख सृजन	18430.00	25918.82	140.63	–	9990.63	–
2	व्यय राशि	8770.67	10108.84	115.26	8885.33	4520.06	50.87
3	प्रति परिवार पूँजी निवेश (राशि रू. में)	25000	35997	143.99	25000	40825	163.30

- वर्ष 2011–2012 में योजनान्तर्गत 72002 स्वरोजगारियों को लाभान्वित किया गया जिनमें से 21426 अनुसूचित जाति एवं 22436 अनुसूचित जनजाति के स्वरोजगारी थे। वर्ष के दौरान 2823 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया।
- वर्ष 2012–2013 में योजनान्तर्गत माह दिसम्बर, 2012 तक 24472 स्वरोजगारियों को लाभान्वित किया गया जिनमें से 7112 अनुसूचित जाति एवं 6839 अनुसूचित जनजाति के स्वरोजगारी हैं। वर्ष के दौरान 146 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है।

  विगत दो वर्षो के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त महिला स्वरोजगारीः–

वर्ष	सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की संख्या		महिला लाभार्थियों का प्रतिशत
	कुल	महिलाएं	
2011–12	72002	51231	71.75
2012–13 (दिसम्बर, 2012 तक)	24472	18118	74.04

- राज्य में 2011–12 में इस योजना में सहायता प्राप्त 72002 स्वरोजगारियों में 990 अपंग स्वरोजगारी थे।

- वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान माह दिसम्बर, 2012 तक इस योजना में सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारियों की संख्या 24472 है इसमें अपंग व्यक्तियों की संख्या 212 है।
- **विशेष परियोजनाएं**:– स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत 28 बहुराज्यीय एवं 4 राज्यीय विशेष परियोजनाएं स्वीकृत हैं जिनका क्रियान्वयन राज्य में किया जा रहा है। बहुराज्यीय विशेष परियोजनाओं में 75:25 के अनुपात में भारत सरकार व कार्यकारी एजेंसी/अन्य संस्थाओं के मध्य अंशदान वहन किया जाता है। 4 राज्यीय विशेष परियोजनाओं में से 2 परियोजनाओं में 75 प्रतिशत राशि भारत सरकार एवं 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा व शेष 2 राज्यीय विशेष परियोजना में 25 प्रतिशत राज्यांश की राशि संबंधित कार्यकारी एजेंसी द्वारा वहन की जा रही है।
- विशेष परियोजनान्तर्गत अधिकांश परियोजनाऐं प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल डवलपमेंट से संबंधित है। विशेष परियोजनान्तर्गत विभिन्न ट्रेड्स यथा– सिक्योरिटी गार्डस, ब्यूटिशियन, कम्प्यूटर ऑपरेटर, नर्सिंग, हॉस्पिटिलिटी, मैसेनरी, तीव्र गति सिलाई मशीन ऑपरेटर (High Speed Sewing Machine Operator), प्रोड्यूसर गारमेंट मैन्यूफेक्चरिंग आदि में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। परियोजनावार विवरण **परिशिष्ट–1** पर उपलब्ध है।
- राज्य में विशेष परियोजनान्तर्गत भी दस जिलों में ग्रामीण हॉट का निर्माण करवाया गया है जिसमें प्रदर्शनी/मेलों का आयोजन कर दस्ताकारों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की विपणन व्यवस्था की जाती है। ग्रामीण हाटों का संचालन उद्यम प्रोत्साहन संस्थान द्वारा किया जा रहा है।
- राज्य स्तर पर मार्केटिंग राष्ट्रीय सरस मेले का सफल क्रियान्वयन किया गया जिसमें 15 राज्यों के 185 स्वयं सहायता समूहों के विभिन्न उत्पाद विक्रय हेतु लाये गये। मेले में रूपये 83.60 लाख की बिक्री हुई।

बीपीएल सेन्सस 2002

- प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले उन परिवारों, जिन्हें विभिन्न गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता दी जा सकती है, का पता लगाने के लिये राज्य सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशन में बीपीएल जनगणना करती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह की सिफारिश के अनुसार अपनाई गई क्रियाविधि में गरीब परिवारों का निर्धारण करने के लिए पूर्व जनगणना में अपनाई गई आय अथवा व्यय पद्वति की बजाय 13 अंक आधारित सामाजिक–आर्थिक सूचकांकों को शामिल किया गया। विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को बीपीएल परिवारों का निर्धारण इस तरह करना था जिससे कि किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कुल व्यक्तियों की संख्या उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में बीपीएल व्यक्तियों की संख्या जैसा कि योजना आयोग द्वारा वर्ष 1999–2000 के लिए अनुमानित है अथवा योजना आयोग द्वारा संगठित समायोजित अंश अथवा इनमें से जो भी अधिक है से अधिक नहीं हो। अस्थायी गरीब लोगों के लिए अतिरिक्त 10 प्रतिशत छूट की अनुमति दी गई।

- बीपीएल जनगणना 2002 के परिणामों को वर्ष 2003 में अंतिम रूप दिया जाना था किंतु पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) ने रिट याचिका संख्या 196 दायर करने के कारण बीपीएल सूची को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। उक्त रोक हटने के उपरान्त भारत सरकार ने अपने पत्र क्रमांक क्यू. 21022/4/2003–एआई (आईडी) दिनांक 10.10.2005 के द्वारा बी.पी.एल. सेन्सस 2002 के माध्यम से सर्वे किये गये परिवारों में से बीपीएल परिवारों के चयन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश दिये। तद्नुसार पुनः चयन की प्रक्रिया इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2(11)ग्राविवि/4/2004 दिनांक 25.11.05 के द्वारा शुरू की गई।
- राज्य सरकार द्वारा अपीलों के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देशों के सम्बन्ध में ग्राम सभा/वार्ड सभा से प्रोविजनल सूचियों के अनुमोदन उपरान्त द्विस्तरीय अपील का प्रावधान था, जिसमें प्रथम अपील संबंधित उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार एवं द्वितीय अपील जिला कलेक्टर को की जा सकती थी। वार्ड/ग्राम सभा से अनुमोदन एवं द्विस्तरीय अपील की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए बीपीएल सूचियां तैयार की गई। बीपीएल परिवारों के चयन हेतु संख्या पूर्व में ही भारत सरकार द्वारा 17.36 लाख निर्धारित की गई थी। राज्य सरकार के स्तर से सर्वे में 0–52 तक अंक प्राप्त हुए उनका कट–ऑफ बिन्दु निर्धारित करते हुए उक्त परिवारों का चयन किया गया है। कट–ऑफ स्कोर गणना के आधार पर अंक 12 एवं 13 के बीच में आया है अर्थात 12 अंक प्राप्त करने वाले समस्त परिवार एवं 13 अंक प्राप्त करने वाले आंशिक परिवारों का चयन किया गया है।
- दिनांक 15.9.2006 को बीपीएल सूची (नामजद) प्रकाशित/जारी एवं प्रभावी की गई व बी.पी.एल. सूची वेबसाईट bpl2002raj.nic.in पर उपलब्ध है। इसे तुरन्त प्रभाव से ग्रामीण विकास विभाग की योजना हेतु लागू कर दिया गया है।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय/भारत सरकार के पत्र दिनांक 23.2.2006 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार पात्र परिवारों का चयन एवं अपात्र परिवारों को सूची से हटाये जाने की प्रक्रिया निरन्तर जारी रहेगी, जिस हेतु द्विस्तरीय अपील का प्रावधान है। इससे यह भी स्पष्ट है कि प्रस्तावित सूची अन्तिम नहीं है। अपील के प्रावधानों के अनुसार चयनित परिवारों की संख्या घट–बढ सकती है।
- बीपीएल सेन्सस सूची–2002 के विरूद्ध अपील की प्रक्रिया विभागीय पत्र दिनांक 25.9.06 द्वारा समस्त जिला कलेक्टर्स को प्रेषित की गई।
- भारत सरकार द्वारा उल्लेखित परिवार से भिन्न व्यक्ति को चयन की समीक्षा करने व ग्राम स्तर पर 1997 की सूची से चयनित परिवारों में 30 प्रतिशत भिन्नता (कम/ज्यादा) पाये जाने पर स्वयमेव **(Suo Moto)** सर्वे कर अपील करने के निर्देश भी जिला कलेक्टर्स को विभागीय पत्र दिनांक 3.10.2006 व 4.10.2006 से दिये गये। स्वयंमेव पूर्ण सर्वे व अपीलों के आधार पर सभी जिलों की सूची **bpl2002raj.nic.in** पर उपलब्ध है।
- बीपीएल सेन्सस–2002 की सूचियों के सम्बन्ध में अपील की प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार के निर्देशानुसार सूचियों के प्रभावी रहने तक सतत् जारी रहेगी ।

सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011 (SECC-2011)

- भारत सरकार द्वारा पूरे देश में सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011 (SECC-2011) करने का निर्णय लिया गया था जिसके क्रम में भारत सरकार द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश दिनांक 24.06.2011 को जारी किये गये हैं। उक्त जनगणना के संबंध में वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग भारत सरकार द्वारा दिया जावेगा। सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011 के निम्नलिखित तीन उद्देश्य हैः–

  1. घर–घर जाकर सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित गणना करना, जिससे परिवारों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति के आधार पर उनके स्तर पर पता लगा जाएगा। तब राज्य सरकारें गरीबी–रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सूची तैयार कर सकेंगी।
  2. प्रामाणिक सूचना उपलब्ध कराना, जिससे देश की जातिवार जनसंख्या की गणना हो सके।
  3. विभिन्न जातियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति और विभिन्न जातियों और जनसंख्या के विभिन्न वर्गो की शैक्षणिक स्थिति के संबंध में प्रामाणिक सूचना उपलब्ध कराना।

- जनगणना में त्रि–स्तरीय प्रक्रिया द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पात्र परिवारों की पहचान किया जाना प्रस्तावित है। जनगणना कार्य को शीघ्र संपादित करने एवं त्रुटियों को न्यून करने के लिये उच्च तकनीक का प्रयोग करते हुये पूर्णतः कम्प्यूटराइज किया गया है। जनगणना का कार्य पेपरलैस होगा एवं टेबलेट पी.सी. के माध्यम से किया जावेगा।
- राज्य में सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011 का कार्य 1 नवम्बर 2011 से प्रारम्भ होना था लेकिन भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि0 (BEL) द्वारा टेबलेट पी.सी. एवं तकनीकी स्टाफ उपलब्ध नहीं करवाने के कारण जनगणना की तिथियों में संशोधन कर दो फैज में करवाने का निर्णय लिया गया था। प्रथम फैज में जिला स्तरीय दो चार्ज कार्यालयो का दिनांक 16.11.2011 से (एक ग्रामीण एवं एक शहरी) एवं द्वितीय फैज दिनांक में 12.12.2011 से 28.12.2011 के मध्य विभिन्न तिथियों को शेष सभी चार्ज कार्यालयों में जनगणना का कार्य प्रारम्भ हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनगणना का कार्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा एवं शहरी क्षेत्र में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जनगणना का कार्य करवाया जा रहा है। फील्ड में डाटा कलेक्शन (प्रगणन एवं सुपरवाईजर कार्य) का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। भारत सरकार के निर्देशानुसार आदिम जनजाति, विमुक्त बंधुआ मजदूर, हाथ से मैला ढोने वाले परिवार, जाति संबंधी सूचना एवं शहरी क्षेत्र में रोजगार सम्बन्धी सूचनाओं के संबंध में सत्यापन की कार्यवाही की जानी है। तत्पश्चात् ड्राफ्ट पब्लिकेशन जारी कर दावा एवं आपत्ति मांगी जानी है। राज्य में सत्यापन का कार्य प्रगति पर है।

सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011 के मुख्य–मुख्य बिन्दु

1. जनगणना कार्य पेपरलेस एवं कम्प्यूटरीकृत होगा।
2. डेटा कलेक्शन हैण्डहैल्ड इलेक्ट्रोनिक डिवाइस (टेबलेट पी.सी.) द्वारा होगा।
3. पूर्व में जनगणना केवल बीपीएल परिवारों की पहचान हेतु की गई। वर्तमान में जनगणना द्वारा समस्त परिवार का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर की जानकरी जुटायी जायेगी।
4. जाति एवं धर्म के बारे में सूचनायें ली जायेगी।
5. सभी सूचनायें उत्तरदाता के जवाब पर आधारित होगी। (रेस्पोंडेन्ट बेस)
6. साक्ष्य नहीं मांगे जायेंगे।
7. सर्वेक्षण पश्चात् सूचनाऐं ऑनलाइन उपलब्ध होगी।
8. योजना आयोग द्वारा राज्यवार 'केप' (बी.पी.एल. परिवारों की अधिकतम संख्या) दिया जायेगा जो कि वर्तमान तक निर्धारित नहीं की गई है।
9. उक्त जनगणना के द्वारा बीपीएल परिवारों के चयन हेतु परिवारों का वर्गीकरण त्रिस्तरीय किया जावेगा, जो निम्नानुसार हैंः–

   प्रथम :– परिवारो का एक समूह स्वतः अलग हो जावेगा।

   द्वितीय :– परिवारों का एक समूह स्वतः शामिल हो जावेगा।

   तृतीय :– बाकी बचे परिवारों को सात वंचन सूचकांकों का प्रयोग करते हुए रैंक दिया जाएगा। सबसे अधिक वंचन स्कोर वाले परिवार को गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों सूची में शामिल करने के लिए सबसे उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

राज्य ग्रामीण बीपीएल सूची

- वर्ष 1997 में चयनित किन्तु बीपीएल सूची–2002 में चयन से वंचित परिवारों हेतु पृथक से राज्य ग्रामीण बी.पी.एल. सूची जारी की गई है। इस सूची में सम्मिलित परिवार मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष एवं मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना से लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)

परिचय

- एसजीएसवाई की गहन समीक्षाओं से ग्रामीण निर्धनों को एकजुट करने में काफी अधिक क्षेत्रीय विविधताएं; लाभार्थियों में अपर्याप्त क्षमता निर्माण; सामुदायिक संस्थान बनाने के लिये अपर्याप्त निवेश; और बैंकों के साथ कम सम्पर्क जिसकी वजह से ऋण की उपलब्धता कम हो जाती है तथा बारंबार वित्त पोषण जैसी अनेक कमियों का पता चला है। अनेक राज्य समर्पित मानव संसाधनों एवं उपयुक्त सुपुर्दगी प्रधालियों की कमी की वजह से एसजीएसवाई के अन्तर्गत मिली निधियों का पूरी तरह उपयोग नहीं कर पाएं हैं। एसएचजी परिसंघों जैसी समूह संस्थाओं की अनुपस्थिति में निर्धन परिवार उत्पादकता संवर्धन, विपणन संपर्क, जोखिम प्रबन्धन आदि के लिये उच्च श्रेणी की सहायक सेवाएं नहीं प्राप्त कर पाते हैं।
- इसी पृष्ठभूमि में केन्द्र सरकार ने एसजीएसवाई को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनर्गठित करने की मंजूरी दे दी है। एनआरएलएम में एसजीएसवाई के महत्वपूर्ण पहलूओं पर ध्यान दिया गया है और इसमें देश में बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए अनुभवों की प्रमुख सीखों को समाविष्ट किया गया है।

एनआरएलएम मिशन

- परियोजना का मुख्य उद्देश्य निर्धनों की सशक्त एवं स्थाई संस्थाएं बनाकर ग्रामीण परिवारों को लाभप्रद रोजगार एवं हुनरमंद स्वरोजगार के अवसर प्राप्त करने में समर्थ बनाते हुए गरीबी को कम करना है जिसके फलस्वरूप उनकी आजीविका में निरन्तर आधार पर उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।

एनआरएलएम मार्गदर्शी सिद्धान्त

- निर्धनों में गरीबी से निकलने की मजबूत इच्छा शक्ति होती है और उनमें सहज क्षमताएं भी हैं।
- निर्धनों की सहज क्षमताओं को उबारने के लिये उनकी सामाजिक एकजुटता और सशक्त संस्थाओं का निर्माण काफी महत्वपूर्ण है।
- सामाजिक एकजुटता लाने, संस्थागत निर्माण तथा सशक्तिकरण प्रक्रिया के लिये एक बाह्य समर्पित और संवेदनशील सहायक संरचना की आवश्यकता है।
- जानकारी का प्रचार–प्रसार, कौशल विकास, ऋण की उपलब्धता तथा बाजार पहुंच एवं आजीविका संबंधी अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता करने से वे स्थायी आजीविका प्राप्त कर सकते हैं।

एनआएलएम का नैतिक मूल्य

एनआरएलएम के अन्तर्गत सभी क्रियाकलापों का मार्गदर्शन करने वाले नैतिक मूल्य निम्नानुसार हैः–

- अत्यन्त निर्धनों को शामिल करना और सभी प्रक्रियाओं में अत्यन्त निर्धनों के लिए सार्थक भूमिका।

- सभी प्रक्रियाओं और संस्थाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही।
- सभी स्तरों– नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी में निर्धनों और उनकी संस्थाओं का स्वामित्व एवं प्रमुख भूमिका।
- सामुदायिक आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता।

दृष्टिकोण

- गरीबों के क्षमता निर्माण, सहायता और आजीविका सुदृढ़ करने के लिये एनआरएलएम गरीबों की अन्तर्निहित क्षमता का उपयोग करेगा, उनके क्षमता (जानकारी, ज्ञान, कौशल, साधन, वित्त और समेकन) निर्माण में सहयोग करेगा ताकि तेजी से बदलती दुनिया के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सके। बदलते आजीविका क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए एनआरएलएएम तीन मामलों पर कार्य करेगाः– गरीबों की आजीविका मौजूदा विकल्पों की वृद्धि एवं विस्तार, बाजार के बाहर रोजगार बाजार के लिये कौशल विकास और स्वनियोजित व्यक्तियों और उद्यमियों को सहयोग।

एनआरएलएम की मुख्य विशेषताएं

(अ) सामाजिक अन्तर्वेशन और जनसंख्या

1. सर्वव्यापी सामाजिक जागरण
2. जन संस्थाओं को बढ़ावा
3. प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और कौशल निर्माण
4. परिक्रामीनिधि और पूंजीगत सब्सिडी
5. सर्वव्यापी वित्तीय समावेशन
6. ब्याजगत सब्सिडी उपलब्ध कराना

(ब) आजीविका

1. विविध आजीविका
2. अवसंरचना सृजन और विपणन सहायता
3. कौशल एवं नियोजन परियोजनाएं
4. ग्रामीण स्व–रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)
5. नई पहल

(स) तालमेल एवं सहभागिता

1. अन्य विभागों/कार्यक्रमों के साथ तालमेल
2. गैर–सरकारी संस्थाओं तथा अन्य सिविल सोसायटी संगठनों (सीएसओ) के साथ नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन स्तरों पर सहभागिता। इसके अलावा, विभिन्न स्तरों पर अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ प्रत्यक्षतः अथवा निर्धनों की संस्थाओं के माध्यम से सहभागिता।
3. पंचायती राज संस्थाओं या पारंपरिक स्थायी ग्राम संस्थाओं के साथ लिंकेज।

(द) संवेदनात्मक सहायता

1. बाह्य संवेदनात्मक सहायता स्वरूप
2. तकनीकी सहायता
3. निगरानी तथा शिक्षण
4. वित्तपोषण पद्धति
5. चरणबद्ध कार्यान्वयन

6. एनआरएलएम को लागू करना
7. एनआरएलएम की कार्यसूची

आर्थिक सहायता वित्तीय मानक सीमा

1. **स्वं–सहायता समूहों का गठन**
समूहों के गठन एवं उनके विकास के लिए एनजीओसीबीओं सामुदायिक समन्वयकों सुविधादाताओं एनीमेटरों को 10000/– रू. प्रति समूह दिए जाएंगे।

2. **परिक्रामी निधि (आरएफ)**
एसएचजी के कारपस के रूप में न्यूनतम 10000/– रू. से लेकर अधिकतम 15000/– रू. प्रति एसएचजी सहायता दी जाएगी। यह उन सभी एसएचजी को दी जाएगी जिन्होंने पहले आरएफ प्राप्त नहीं किया है। 70 प्रतिशत से अधिक बीपीएल सदस्यों वाले स्वयंसहायता समूह ही आर एफ के पात्र हैं।

3. **पूंजीगत सब्सिडी (सीएस)**
एसएचजी के सदस्यों तथा वैयक्तिक लाभार्थियों दोनों के लिए सामान्य श्रेणी के लिए 15000/– रू. तथा अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के लिए 20,000/– रू. प्रति अनुसूचित जनजाति श्रेणी की पूंजीगत सब्सिडी सीमा लागू है। प्रत्येक एसएचजी अधिकतम 2.50 लाख रू. की सब्सिडी के लिए पात्र है। केवल बीपीएल सदस्य वैयक्तिक सब्सिडी के लिए पात्र हैं और 70 प्रतिशत बीपीएल सदस्यों वाले एसएचजी सब्सिडी के पात्र हैं।

4. **क्षमता निर्माण तथा कौशल प्रशिक्षण**
7500/– रू. प्रति लाभार्थी– इस घटक के तहत उपलब्ध राशि, न केवल लाभार्थियों बल्कि कार्यक्रम अधिकारियों एवं स्टॉफ, सामुदायिक पेशेवरों, संबंधित सरकारी कर्मचारियों आदि, एनजीओ, पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकर्ताओं आदि सहित सभी अन्य स्टेकहोल्डरों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए उपयोग की जाती है।

5. **ब्याज सब्सिडी**
बैंकों से प्राप्त सभी एसएचजी ऋणों के लिए 7 प्रतिशत वार्षिक से अधिक ब्याज दर पर सब्सिडी, समय पर पुनर्भुगतान पर आधारित है। किसी लाभार्थी या एसएचजी सदस्य को ब्याज पर सब्सिडी, उसके द्वारा 1.00 लाख रू. तक के बैंक ऋण पर दी जाएगी।

6. **प्रशासनिक व्यय**
कौशल विकास तथा रोजगार और आरएसईटीआई घटक हेतु आबंटन का 5 प्रतिशत यह राज्यों को केन्द्रीय रिलीज तथा संगत राज्य हिस्से का 5 प्रतिशत है।

7. **आधारभूत सुविधाएं तथा विपणन**
केन्द्रीय हिस्से तथा राज्य स्तरीय हिस्से अर्थात् राज्य के कार्यक्रम परिव्यय के 20 प्रतिशत तक (पूर्वोतर राज्यों तथा सिक्किम के मामले में 25 प्रतिशत)।

8. **कौशल तथा रोजगार परियोजनाएं एवं नवीनीकरण (केन्दीय आवंटन का 20 प्रतिशत)**
नवीनीकरण परियोजना पर व्यय 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और शेष 15 प्रतिशत रोजगार सम्बद्ध कौशल विकास परियोजनाओं के लिए है।

राज्य में एनआरएलएम के क्रियान्वयन की स्थिति

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की वर्ष 2012–13 (अक्टूबर से मार्च, 2014) की कार्य योजना अनुमोदित की गई है। स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 की प्रथम किश्त निर्मुक्त करने के कारण वर्ष 2012–13 में स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का ही क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया गया है।

ट्रांजिक्शन बेस्ड मोनिटरिंग टूल ''साख दर्पण''

एमपॉवर, आरआरएलपी तथा एनआरएलएम के माध्यम से क्रियान्वित होने वाली परियोजनाओं की सुचारू मोनीटरिंग हेतु **एक गांव कम्पनी के माध्यम से ट्रांजिक्शन बेस्ड मोनिटरिंग टूल विकसित कराया गया है,** इस टूल के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों के द्वारा की जा रही बैठकों, बचत, ऋण का आदान–प्रदान एवं अन्य गतिविधियां कम्प्यूटराईज होगी। सदस्यों को समूह गठन की सूचना एस.एम.एस. के माध्यम से तथा जमा कराई गई राशि एवं भुगतान की प्राप्ति की रसीद तुरन्त दे दी जायेगी।

स्टेट पर्सपेक्टिव एण्ड इम्प्लीमेन्टेशन प्लान (एसपीआईपी–एनआरएलएम)

- आरमोल द्वारा राज्य का एसपीआईपी तैयार किया जा रहा है। आरमोल द्वारा प्रस्तुत एसपीआईपी के द्वितीय ड्राफ्ट में राज्य की विभिन्नताओं (भौगोलिक, जलवायु एवं जनसंख्या घनत्व) के परिपेक्ष्य में आवश्यक प्रावधानों के समावेश हेतु विभिन्न विषयों पर सम्बन्धित विषय विशेषज्ञों की कार्यशालायें दिनांक 17–24 अगस्त, 2011 तक आयोजित की गई एवं कार्यशाला में प्राप्त आवश्यक सुझावों को एसपीआईपी में शामिल कर द्वितीय ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है जिसमें आवश्यक संशोधन कर केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया गया।
- उपरोक्त क्रम में वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14 की वार्षिक कार्य योजना राशि रूपये 233.42 करोड की तैयार कर भारत सरकार को प्रस्तुत की गई थी जिसका अनुमोदन भारत सरकार द्वारा कर दिया गया है।
- भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना की वित्तीय वर्ष 2012–13 की प्रथम किश्त की राशि रूपये 48.256 करोड निर्मुक्त कर दी गई है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.)

परिचय

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान का संचालन ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान द्वारा किया जा रहा है जो कि भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम सामान्य भाषा में महात्मा गांधी नरेगा योजना के नाम से जाना जाता है एवं यह सीधे ग्रामीण गरीबों के जीवन से जुडा है तथा समावेशी विकास को बढावा देता है।
- महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2 फरवरी, 2006 से लागू हुआ तथा चरणबद्व तरीके से क्रियान्वित किया गया। पहले चरण में इसे राज्य के 6 जिले यथा बांसवाडा, डूंगरपुर, झालावाड, करौली, सिरोही एवं उदयपुर में लागू किया गया। द्वितीय चरण में वर्ष 2007–08 से इसे राज्य के 6 अन्य जिलों यथा बाडमेर, चित्तौडगढ़, जैसलमेर, जालोर, टोंक एवं सवाईमाधोपुर में लागू किया गया। तृतीय एवं अन्तिम चरण के रूप में इसे राज्य के शेष सभी जिलों में लागू किया गया।
- महात्मा गांधी नरेगा एक ऐसा कानून है जिसमें मजदूरी रोजगार की गारंटी दी गई है। अधिनियम का प्रारम्भिक उद्देश्य मजदूरी रोजगार बढाना है, वहीं इसका सहायक उद्देश्य मजदूरी रोजगार के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन को सुदृढ करना है जिसके माध्यम से सूखा, वनों की कटाई तथा मृदा क्षरण जैसे कारणों को दूर करना तथा स्थायी विकास को बढावा देना है।
- यह कानून रोजगार के अधिकार को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कानून के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा, जिससे लोगों को रोजगार के नियमित अवसर मिलेंगे। साथ ही, मजदूरों के पलायन पर रोक व महिलाओं का सशक्तिकरण भी होगा।

उद्देश्य

- अधिकतर गांवों में कृषि कार्यों के अतिरिक्त अन्य रोजगार के साधन सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है, जिसके कारण या तो रोजगार की तलाश में जरूरतमंद श्रमिकों को गांव से पलायन कर शहर की ओर जाना पडता है, या फिर गावों में बेकारी का सामना करना पडता है। गावों में रोजगार उपलब्ध नहीं होने से शहर की ओर पलायन करने के फलस्वरूप उसे प्राप्त होने वाली आय का एक भाग आने–जाने अथवा शहर में अस्थाई ठहरने की व्यवस्था पर व्यय करना पडता है, इससे परिवार को आय का कम भाग मिल पाता है। इसी समस्या को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम जारी किया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाको में लोगों की आजीविका सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गांव के प्रत्येक ऐसे परिवार को जिसके सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हो, को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का निश्चित रोजगार अपने ही

गांव में उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त उत्पादक संपदाओं का निर्माण, पर्यावरण की रक्षा, ग्रामीण महिलाओं का सशक्तीकरण, गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन पर अंकुश लगाना एवं सामाजिक समानता सुनिश्चित करना भी इस योजना का उद्देश्य है।

- महात्मा गांधी एनआरईजीए, 2005 के प्रावधानानुसार राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान तैयार की गई है। इस स्कीम का लक्ष्य रोजगार की कानूनी गारंटी को साकार करना है, जिससे गांवों के ऐसे प्रत्येक परिवार को साल मे कम से कम 100 दिन का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके वयस्क सदस्य इस अधिनियम की शर्तों के तहत अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में इस अधिनियम की अनुसूची–I तथा अनुसूची–II में उल्लेखित न्यूनतम मानकों का अनिवार्य रूप से पालन किये जाने की अनिवार्यता को देखते हुए योजना में इसका समुचित प्रबन्ध किया गया है।

मुख्य विशेषताएं

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत लागू की गई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राजस्थान की मुख्य विशेषताओं का सारांश निम्नानुसार है :–

- महात्मा गांधी एनआरईजीएस को कानूनी दायरे के तहत कार्यक्रम बनाकर क्रियान्वित किया जा रहा है।
- योजना ग्रामीण क्षेत्र में लागू है, अतः समस्त ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य योजना में लाभ के पात्र है।
- योजना का लाभ लेने के लिए परिवार को स्थानीय ग्राम पंचायत में पंजीयन कराना आवश्यक है जिसके लिए ऐसे परिवार को लिखित या मौखिक तौर पर स्थानीय ग्राम पंचायत में आवेदन करना होगा।
- समुचित जांच के बाद ग्राम पंचायत द्वारा आवेदक को जॉब कार्ड जारी किया जाता है जिसमें परिवार के ऐसे सदस्य जो कि अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते है एवं जिनका विवरण आवेदन पत्र में दिया गया है, का नाम एवं फोटो लगा होता है। यह फोटोयुक्त जॉब कार्ड आवेदक को निशुल्क दिया जाता है।
- यह योजना पूर्ववर्ती मजदूरी रोजगार योजनाओं की तरह आपूर्ति आधारित योजना नही होकर एक मांग आधारित योजना है।
- योजनान्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को रोजगार की मांग किये जाने पर एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिवस के गारंटीशुदा रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका का अधिकार है।
- आवेदन में किस अवधि में रोजगार करना चाहते है, का विवरण अंकित किया जाना, रोजगार की मांग कम से कम 15 दिवस की होना एवं इसके लिए लिखित रूप से आवेदन किया जाना आवश्यक है।
- यदि किसी परिवार की मांग पर उसे 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध नही कराया जाता है तो निर्धारित दरों के अनुसार परिवार के हकदारी के हिसाब से पात्र आवेदकों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाता है।

- योजनान्तर्गत पंचायतराज संस्थाओं विशेष रूप से ग्राम पंचायत की विशेष भूमिका मानी गयी है। इस योजनान्तर्गत ग्रामवासी स्वयं वार्ड सभा/ग्राम सभा के माध्यम से योजनान्तर्गत अनुमत कार्यों में से अपने गांव के विकास के लिए कार्यों की प्राथमिकताओं का निर्धारण वार्षिक कार्ययोजना तैयार करते है।
- योजनान्तर्गत रोजगार के आवंटन में महिलाओं को प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान है कम से कम एक तिहाई महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना आवश्यक है।
- योजना के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों की विशेष भूमिका निर्धारित की गयी है तथा कम से कम 50 प्रतिशत कार्य इन्ही के माध्यम से कराने का प्रावधान है।
- योजना के क्रियान्वयन में ठेकेदारों को प्रतिबन्धित किया गया है।
- योजनान्तर्गत ऐसे कार्य जो मानव श्रम से संभव है, को मशीनों से कराने के लिए प्रतिबन्धित किया गया है।
- योजनान्तर्गत कार्यस्थल पर छाया हेतु शेड, पेयजल, आवश्यक दवाईयां एवं क्रैच की व्यवस्था होना आवश्यक है।
- श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान उनके द्वारा सम्पादित टास्क के आधार पर किया जाता है।
- योजनान्तर्गत मजदूरों को सम्पादित कार्य की मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक रूप से अथवा 15 दिवस की अवधि में करना अनिवार्य है।
- योजनान्तर्गत निर्धारित अवधि में भुगतान नही करने पर श्रमिक मजदूरी के भुगतान में हुए विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति का हकदार है।
- पुरूष एवं महिलाओं के लिए मजदूरी एक समान है।
- योजनान्तर्गत अधिनियम में वर्णित अनुमत कार्य ही कराए जा सकते है एवं इसके लिए प्रत्येक जिले को परियोजनाओं की एक सूची (वार्षिक कार्य योजना) तैयार किया जाना आवश्यक है।
- परियोजनाओं की सूची ग्राम सभा द्वारा तय की गई प्राथमिकता के आधार पर ही बनाई जाती है।
- आवेदको को यथा संभव उनके गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में ही रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। कार्यस्थल की दूरी उक्त दायरे से दूर होने की स्थिति में उन्हें 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी दी जायेगी।
- कार्यस्थल पर पीने का पानी, छाया, पालना आदि व्यवस्थाएं किया जाना अनिवार्य है।
- ग्राम सभा द्वारा 6 माह में एक बार कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किया जायेगा।
- कार्यस्थल पर दुर्घटना होने के कारण घायल होने पर श्रमिक का निशुल्क चिकित्सीय उपचार कराए जाने का भी प्रावधान है। यदि श्रमिक के साथ आए बालक भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसके लिए भी निशुल्क चिकित्सीय उपचार का प्रावधान है।
- दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण श्रमिक की मृत्यु पर मुआवजा देने का प्रावधान है।

कार्य और योजनाए

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अधिनियम में वर्णित अनुमत कार्य ही कराए जा सकते है। योजनान्तर्गत भूमि विकास, जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा पर अधिक जोर दिया गया है एवं कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित की गई है। योजनान्तर्गत अनुमत कार्य निम्नानुसार है :–

i. जल संरक्षण और जल शस्य संचय, जिसके अंतर्गत कन्टूर खाइयां, कन्टूर बंध, गोलश्म चेक, गबियन संरचनाएं, भूमिगत नहरें, मिट्टी के बांध, स्टॉप बांध और झरनों का विकास भी है;

ii. सूखारोधी, जिसके अंतर्गत वनरोपण और वृक्षारोपण भी है;

iii. सिंचाई नहरें, जिसके अंतर्गत सूक्ष्म और लघु सिंचाई संकर्म भी है;

iv. पैरा ग में विनिर्दिष्ट गृहस्थियों के स्वामित्वाधीन भूमि पर सिंचाई सुविधा, फार्म पर खोदा गया पोखर, बागवानी, वृक्षारोपण, मेढबंधन और भूमि विकास का उपबंध;

v. पारम्परिक जल निकायों का नवीकरण, जिसके अंतर्गत तालाबों का शुदिकरण भी है;

vi. भूमि विकास;

vii. जलरूद्व क्षेत्रों में जल निकास सहित बाढ नियंत्रण और संरक्षण संकर्म, जिसके अंतर्गत बाढ नियंत्रण नालियों को गहरा करना और उनकी मरम्मत करना, चौर नवीकरण, तटीय संरक्षण के लिए विप्लव जल नालियों का संनिर्माण;

viii. सभी मौसमों में पहुंच को उपलब्ध करने के लिए ग्रामीण संयोजकता, जिसके अंतर्गत गांव के भीतर, जहां कहीं आवश्यक हो, पुलिया और सडकें भी है;

ix. ब्लाक स्तर पर ज्ञान संसाधन केन्द्र के रूप में और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत भवन के रूप में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र का निर्माण;

x. एनएडीईपी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, लिक्वड बायो–मेन्योर जैसे कृषि संबन्धी संकर्म;

xi. कुक्कुट आश्रय स्थल, बकरी आश्रय स्थल, पक्का फर्श, यूरिन टैंक का निर्माण और अजोला जैसा पशु भोजन संपूरक जैसे पशुधन संबन्धी संकर्म;

xii. सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जल निकायों में मत्स्य पालन जैसे मत्स्य संबन्धी संकर्म;

xiii. तटीय क्षेत्रों में मछली शुष्कन यार्ड, बेल्ट वेजिटेशन जैसे संकर्म;

xiv. सोक पिट्स, रिचार्ज पिट्स जैसे ग्रामीण पेयजल संबन्धी संकर्म;

xv. व्यक्तिगत घरेलु पखाने, विद्यालय शौचालय इकाइयां, आंगनबाडी शौचालय, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन जैसे ग्रामीण स्वच्छता संबन्धी संकर्म;

xvi. ऐसा कोई अन्य कार्य, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार के परामर्श से, अधिसूचित किया जाए;

उक्त कार्यों में क्रम संख्या iv, x, xi, एवं xiii से xv में उल्लेखित सभी कार्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के गृहस्थों या गरीबी रेखा से नीचे के कुटुम्बों की या भूमि सुधार के हिताधिकारियों की या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के हिताधिकारियों की या कृषि ऋण अधित्यजन और ऋण राहत स्कीम, 2008 में यथा परिभाषित छोटे या सीमान्त कृषकों की या अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के अधीन

हिताधिकारियों के स्वामित्वाधीन भूमि या गृह संपदा पर किए जाएंगे। उक्त कार्य कराए जाने हेतु यह आवश्यक है कि :–

- भूमि स्वामी जॉब कार्ड धारक हो और योजना में भी कार्य कर रहा हो।
- ऐसे प्रत्येक परियोजना के लिये श्रमिक सामग्री का अनुपात 60:40 में ग्राम पंचायत स्तर पर रखा जायेगा।
- परियोजना ग्राम सभा और ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित होगी तथा परियोजनाओं के वार्षिक सेल्फ का भाग होगी।
- कार्य के निष्पादन में कोई ठेकेदार या मशीनरी प्रयुक्त नहीं होगी।
- कोई मशीनरी क्रय नहीं की जायेगी।

इसके अतिरिक्त अधिनियम में संशोधन कर यह भी प्रावधान किया गया है कि योजनान्तर्गत सामग्री मद में व्यय 40 प्रतिशत से अधिक नही हो, को ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित किया जावे।

वित्त पोषण

- योजना केन्द्र प्रवृतित योजना है एवं योजनान्तर्गत मुख्य रूप से केन्द्र द्वारा राशि का वहन किया जाता है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने वाले व्यय निम्नानुसार है :–

केन्द्र सरकार द्वारा

- अकुशल श्रमिकों की मजदूरी का 100 प्रतिशत,
- सामग्री मद जिसमें कुशल/अर्द्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी सम्मिलित है, का 75 प्रतिशत,
- केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित सीमा तक प्रशासनिक एवं प्रबन्धन व्यय (वर्तमान में यह योजनान्तर्गत होने वाले कुल व्यय का 6 प्रतिशत है),
- सी.ई.जी.सी. पर किया गया व्यय,

राज्य सरकार द्वारा

- सामग्री मद जिसमें कुशल/अर्द्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी सम्मिलित है, का 25 प्रतिशत।
- यदि 15 दिन में रोजगार नहीं दिये जाने पर बेरोजगारी भत्ता,
- एस.ई.जी.सी. पर किया गया व्यय।

राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदम एवं जारी किये गये मुख्य निर्देश

- योजनान्तर्गत रेलवे अण्डरब्रिज/अण्डरपास सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रावधानों के अनुरूप कराये जाने बाबत निर्देश।

- भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों में पोस्ट ऑफिस, मिनी बैंक, सी.एस.सी. आदि को स्थान उपलब्ध कराना।
- रोजगार की मांग हेतु श्रमिकों को फार्म न. 6 की उपलब्धता ग्राम पंचायत कार्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर उपलब्ध कराने की वैकल्पिक व्यवस्था।
- सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के साथ कन्वर्जेन्स के माध्यम से शौचालय निर्माण हेतु मार्गदर्शन।
- सरकारी कार्यालयों में Roof top rain water harvesting structure बनाए जाने के संबन्ध में निर्देश।
- सामुदायिक एवं निजी भूमि पर पीने के पानी के लिए जल संग्रहण ढांचा बनाये जाने बाबत निर्देश।
- चारागाह विकास के संबन्ध में दिशा निर्देश।
- खाला (धोरा) निर्माण/पक्का करने के संबन्ध में दिशा निर्देश।

उपलब्धियां

क्र.सं.	गतिविधि	उपलब्धियॉ
1.	जॉब कार्ड धारी परिवारों की संख्या	99.33 लाख
2.	कार्य पर नियोजित परिवारों की संख्या (जॉब कार्ड धारी परिवारों के विरुद्व प्रतिशत)	41.35 लाख (41.62 प्रतिशत)
3.	कुल मानव दिवस सृजन अ. महिलाओं द्वारा ब. अनुसूचित जाति द्वारा स. अनुसूचित जनजाति द्वारा	1541.05 लाख 1060.20 लाख (69 प्रतिशत) 280.07 लाख (16 प्रतिशत) 383.76 लाख (26 प्रतिशत)
4.	प्रति परिवार उपलब्ध कराये औसत रोजगार दिवस	37 दिवस
5.	100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या	131097
6.	व्यय राशि	रू0 2284.42 करोड

इन्दिरा आवास योजना
(आई.ए.वाई.)

परिचय

- मानव जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवास एक मूल आवश्यकता है और बेहतर जीवन यापन का आधार वह घर है जहाँ अच्छी सुविधाएं मिलती हों। अपना घर होने से व्यक्ति को समाज में पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा और सम्मान मिलता है। मकान के स्वामित्व से बीपीएल परिवार का बुनियादी आत्मविश्वास बढता है और उसमें प्रगति करने की इच्छा पैदा होती है जो गरीबी उपशमन के लिए बेहद जरूरी है।
- भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इंदिरा आवास योजना चलाई जा रही है। यह योजना ग्रामीण भूमिहीन गारन्टी कार्यक्रम एक उप योजना के रूप में 1985–86 में शुरू हुई थी जो जवाहर रोजगार योजना की एक उप योजना के रूप में जारी रही। 1 जनवरी, 1996 से यह एक स्वतंत्र योजना के रूप में चल रही है। वर्ष 1999–2000 से कच्चे मकानों को पक्के मकानों में क्रमोन्नत करने का कार्य भी इसके साथ जोडा गया है। वर्ष 1999–2000 से ही भारत सरकार द्वारा ऋण एवं अनुदान योजना प्रारम्भ की गई जो इंदिरा आवास योजना का ही एक भाग है।

उद्देश्य

- इन्दिरा आवास योजना का मुख्य उद्देश्य बीपीएल की स्थाई प्रतीक्षा सूची के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अल्पसंख्यक एवं अन्य जाति के परिवारों को एकमुश्त वित्तीय सहायता देकर आवासीय इकाईयों के निर्माण/क्रमोन्नत में मदद करना है।

वित्त पोषण एवं संसाधनों का आवंटन

(क) इन्दिरा आवास योजना के अर्न्तगत वित्तपोषण पद्वति केन्द्र और राज्य के बीच 75:25 के आधार पर है। वर्ष 2005–06 से भारत सरकार द्वारा आवंटन मानदण्ड को संशोधित करते हुए राज्यों के लिये आवंटन हेतु आवास की कमी को 75 प्रतिशत महत्ता और गरीबी अनुपात को 25 प्रतिशत महत्ता दी जा रही है। जिलों को आवंटन करते समय आवास की कमी को 75 प्रतिशत महत्ता और अनुसूचितजाति/जन जाति घटक को 25 प्रतिशत महत्ता दी जाती है। जिला स्तर से पंचायतों को आवंटन करते समय आवासों की कमी को 75 प्रतिशत महत्ता और अनुसूचित जाति/जनजाति घटक को 25 प्रतिशत महत्ता दी जाती है।

(ख) 1 अप्रैल, 2010 से इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्माण सहायता की अधिकतम सीमा मैदानी क्षेत्रों के लिए प्रति इकाई 45,000/– रूपये और पहाडी/दुर्गम क्षेत्रों के लिए 48,500/– रूपये प्रति इकाई है। राजस्थान राज्य में सभी जिलों में नवीन आवास निर्माण हेतु 45000/– रूपये की सहायता

उपलब्ध कराई जा रही है। सभी क्षेत्रों के लिए, मरम्मत न किये जा सकने वाले कच्चे मकानों को पक्के/अर्द्ध पक्के मकानों में बदलने (Upgradation) के लिए सहायता राशि की अधिकतम सीमा 15000/– रूपये है।

(ग) वर्तमान में राज्य के जनजातीय क्षेत्र के समस्त पात्र परिवारों एवं शेष अन्य क्षेत्र के समस्त अनुसूचित जाति के पात्र परिवारों का नवीन आवास निर्माण हेतु 50,000/– रूपये की अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। इसमें राज्य सरकार द्वारा दी जा रही अतिरिक्त सहायता 5000/– रूपये सम्मिलित है।

(घ) नवीन आवास हेतु इकाई अनुदान के अतिरिक्त DRI योजना में इच्छुक लाभार्थी को 4 प्रतिशत ब्याज दर पर राष्ट्रीयकृत बैंक से 20,000/– रूपये तक का ऋण भी उपलब्ध है।

प्रमुख प्रावधान

(क) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान आवंटित राशि में से न्यूनतम 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति, 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों एवं अधिकतम 25 प्रतिशत अन्य जाति के पात्र परिवारों के आवासों पर व्यय का प्रावधान है। उक्त सभी श्रेणियों के विकलांग पात्र परिवारों के आवासों पर 3 प्रतिशत व्यय करने का प्रावधान है।

(ख) बी.पी.एल. सेन्सस–2002 के आधार पर तैयार की गई पात्र परिवारों की आई.ए.वाई. प्रतीक्षा सूची में से वरीयता क्रम से स्वीकृतियां जारी किये जाने का प्रावधान है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में, मरम्मत न किये जा सकने वाले मकानों के उन्नयन की अत्यावश्यकता है। अतः 1.4.2004 से कुल निधियों के 20 प्रतिशत तक का उपयोग मरम्मत न किए जा सकने वाले कच्चे मकानों को पक्के/अर्द्ध पक्के मकानों में बदलने और ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत ऋण–सह–सब्सिडी योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थी को सब्सिडी प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। मरम्मत न किये जा सकने वाले कच्चें मकानों को पक्के/अर्द्ध पक्के मकानों में बदलने (Upgradation) के लिए प्रति इकाई 15000/–रू. की अधिकतम सहायता प्रदान की जाती है। ऋण सह–सब्सिडी के अंतर्गत रू. 12,500/– की सहायता दी जाती है एवं अधिकतम 50,000/–रू. का ऋण लिया जा सकता है।

(घ) मकान को निरपवाद रूप से लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम आबंटित किया जाना चाहिए। वैकल्पिक रूप से उसे पति और पत्नि दोनों के संयुक्त नाम से आंबटित किया जा सकता है। तथापि, केवल उस स्थिति में पात्र बीपीएल परिवार के पुरूष को मकान आबंटित किया जा सकता है। जहां पात्र महिला सदस्य नहीं है/जीवित नहीं है।

(ड.) प्रत्येक आईएवाई मकान में सेनिटरी लैटरीन और धुंआ रहित चूल्हा और उपयुक्त ड्रेनेज की आवश्यकता है। आईएवाई मकान से अलग, लाभार्थी की जगह पर ही शौचालय का निर्माण किया जा सकता है। आवास का निर्माण करना लाभार्थी की ही जिम्मेदारी है। आईएवाई मकान निर्माण के लिए ठेकेदारों को शामिल करना पूर्ण रूप से निषेद्य है। आईएवाई मकान के लिए किसी विशेष डिजाइन का निर्धारण नहीं किया गया है परन्तु लाभार्थी को न्यूनतम 20 वर्गमीटर प्लिन्थ क्षेत्र

का आवास बनाना आवश्यक है। आईएवाई मकान के निर्माण हेतु डिजाइन, प्रौद्योगिकी, तकनीक और सामान का चयन करना लाभार्थी का विवेकाधिकार है।

(च) इन्दिरा आवास के लाभार्थी द्वारा स्वच्छ शौचालय का निर्माण कराये जाने पर उसे इन्दिरा आवास की इकाई अनुदान के अतिरिक्त **''निर्मल भारत अभियान''** एवं **''महात्मा गांधी नरेगा''** से स्वच्छ शौचालय का अनुदान देय है।

प्राकृतिक आपदाओं के लिए अतिरिक्त निधियों का प्रावधान

- आपातकालीन स्थितियों जैसे दंगा, आगजनी और आग से पीडित व्यक्तियों को तत्काल/समय पर राहत देने की सुविधा प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को आवंटित आईएवाई (राज्यांश सहित) निधियों का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया है अथवा वे अपने ही संसाधनों में से क्षतिग्रस्त मकानों के निर्माण हेतु पीडितों को सहायता दे और बाद में उसकी प्रतिपूर्ति करें। ऐसी सहायता की अधिकतम सीमा उस वर्ष में प्रति जिला 70 लाख रूपये या उस जिले के आवंटन का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो, होगी। राहत सहायता आईएवाई के मानदण्डों के अनुसार होगी। कुल आईएवाई आवंटन में से 5 प्रतिशत उपर्युक्त उल्लेखित स्थितियों से उत्पन्न अत्यावश्यकताओं और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अपने हिस्से के रूप में रखी जाती है। अन्य आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त मकानों के मामले में, जिला प्रबंधन पूर्व अनुमोदन के लिए 5 प्रतिशत आवंटन के अंतर्गत, राज्य सरकार के माध्यम से प्रस्तावों को अतिरिक्त सहायता हेतु भेज सकता है। इस संबंध में अतिरिक्त निधियों को भी केन्द्र और राज्य के बीच में 75:25 आधार पर बांटा जायेगा।

नई पहलकदमियां और अवसर

- उपर्युक्त और पात्र बीपीएल लाभार्थियों की पहचान करना कार्यक्रम का प्रमुख कार्य है। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए, बीपीएल जनगणना–2002 के परिणामों के आधार पर ग्राम पंचायतवार पात्र परिवारों की स्थाई आईएवाई प्रतीक्षा सूची तैयार की जा चुकी है तथा इसके वरीयता क्रम के आधार पर ही लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है। इस स्थाई प्रतीक्षा सूची को प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रदर्शित किया गया है तथा विभाग की वेबसाईट **www.rdprd.gov.in** पर भी उपलब्ध है। इस कदम से लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया में किसी भी तरह की मनमानी अथवा अनाचार को दूर किया जा सकेगा।
- इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत सभी स्वीकृतियां Online Awaas Soft से जारी की जा रही हैं।
- आवास के साथ स्वच्छ शौचालय के निर्माण हेतु ''सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान'' (TSC) अर्थात निर्मल भारत अभियान (NBA) के तहत निर्मित किये जाने वाले व्यक्तिगत शौचालयों की इकाई अनुदान सहायता राशि रूपये 3200/– के स्थान पर दिनांक 01.04.2012 से बढ़ाकर रूपये 4600/– की गई है।
- उक्त शौचालय निर्माण का कन्वर्जेन्स ''महात्मा गांधी नरेगा'' से विभागीय पत्रांक दिनांक 14.05.2012 एवं 21.06.2012 द्वारा किया गया है जिसके तहत रूपये 4500/– की अधिकतम अतिरिक्त सहायता राशि मस्ट्रोल (20 अकुशल एवं 6 कुशल दिवस) के आधार पर देने का प्रावधान है। इस प्रकार आवास अनुदान

सहायता के अलावा शौचालय निर्माण हेतु उपरोक्तानुसार अधिकतम अतिरिक्त सहायता लगभग रूपये 9100/– (रूपये 4600 + रूपये 4500) देय है।

- योजनान्तर्गत सभी श्रेणी में 3 प्रतिशत विकलांग पात्र परिवारों एवं पात्र अल्प संख्यकों की श्रेणी में 15 प्रतिशत लक्ष्यों की सीमा में इनको लाभान्वित करने हेतु आईएवाई की स्थाई प्रतीक्षा सूची की वरीयता में शिथिलता प्रदान की गई है।

उपलब्धियां

- राजस्थान राज्य में आईएवाई योजना के शुरू होने से वर्ष 2011–12 तक इस योजना के अंतर्गत लगभग 9.30 लाख मकानों का निर्माण/उन्नयन किया गया है। गत 5 वर्षों में आईएवाई के अंतर्गत हुई प्रगति नीचे दिये अनुसार है –

वर्ष	लक्ष्य (संख्या)	निर्मित/उन्नयित मकान (संख्या)
2007–08	47354	47818
2008–09	47350	52386
2009–10	91670	86992
2010–11	63362	63464
2011–12	157596	125647

- योजनान्तर्गत 2012–13 में माह दिसम्बर, 2012 तक केन्द्र एवं राज्य सरकार से कुल 17456.85 लाख रूपये की प्राप्तियों के विपरीत कुल 32325.37 लाख रूपये व्यय किये गये हैं।
- 2012–13 में आईएवाई योजना के अंतर्गत राज्य में 91411 (68578 नियमित एवं 20247 प्रोत्साहन एवं 2586 आउट ऑफ सेविंग) मकान बनाये जाने के लक्ष्य के विपरीत दिसम्बर, 2012 तक 37689 मकानों का निर्माण किया गया है तथा 79471 मकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2012–2013 के लक्ष्यों की स्वीकृतियां आई.ए.वाई. की प्रतीक्षा सूची के आधार पर ही जारी की गई है।
- 2012–13 में माह दिसम्बर, 2012 तक 32325.37 लाख रूपये में से 18112.301 लाख रूपये अनु.जाति/जनजाति के लाभार्थियों पर व्यय किये गये हैं। माह दिसम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार कुल व्यय में से अनुसूचित जाति/जन जाति हेतु व्यय का प्रतिशत 56.03 प्रतिशत है।
- वर्ष 2011–12 में योजनांतर्गत शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित व्यक्तियों के लिए 1151 मकान बनाये गये है। वर्ष 2012–13 में माह दिसम्बर, 2012 तक शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित व्यक्तियों के लिये 188 आवास स्वीकृत किये गये हैं।

निगरानी

- सभी जिलों को आईएवाई योजना के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों की मासिक और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट भेजनी होती है। इन रिपोर्टो के प्रपत्र में अनु.जाति/जनजाति घटक, महिला लाभार्थियों की कवरेज, धूंआ रहित चूल्हों और स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था, शारीरिक रूप से अपंग लाभार्थियों की

कवरेज आदि जैसे सभी महत्वपूर्ण ब्यौरे दिये जाते है। वित्तीय निगरानी स्वतः समवर्ती प्रक्रिया है जो उपयोग प्रमाण–पत्रों, लेखा परीक्षा रिपोर्टो आदि, जो निधियों की रिलीज का आधार होती है, के माध्यम से की जाती है। राज्य स्तर पर सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति होती है और जिला तथा ग्रामीण स्तर पर भी सतर्कता और निगरानी समितियां है।

- इन्दिरा आवास योजना की क्रियान्विति, मोनिटरिंग एवं निगरानी ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवक, पंचायत समिति स्तर पर विकास अधिकारी एवं जिला स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा Awaas Soft से की जाती है।
- जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एवं ब्लॉक स्तर पर उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समितियों के माध्यम से भी योजना की मोनिटरिंग की जाती है।
- मुख्यालय, ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को प्रत्येक जिले के लिए क्षेत्र अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है और वे समय–समय पर दौरे करते है और आईएवाई सहित सभी योजनाओं के फील्ड स्तर के क्रियाकलापों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करते है।
- राज्य स्तर से समय–समय पर वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से प्रगति समीक्षा की जाती है

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
(एम.पी.एल.ए.डी.)

परिचय

- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्ष 1993–94 में प्रारंभ किया गया है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक सांसद को प्रति वर्ष अपने संसदीय क्षेत्र में क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार सामुदायिक उपयोग के विकास कार्यो को क्रियान्वित कराये जाने हेतु 200.00 लाख रूपये प्रतिवर्ष आवंटित किये जाते थे। वर्ष 2011–12 से यह आवंटन रू. 200.00 लाख से बढ़ाकर रू. 500.00 लाख प्रतिवर्ष कर दिया गया है।

कार्यक्षेत्र

- राज्य में 25 लोकसभा एवं 10 राज्य सभा सदस्यों के क्षेत्रों में योजना कियान्वित की जा रही है।

वित्त पोषण

- यह शत–प्रतिशत केन्द्रीय प्रवर्तित योजना हैं।

विशेषताएं

- राज्य के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में लागू है।
- निर्माण कार्यो का क्रियान्वयन पंचायती राज/स्थानीय स्वायत्तशाषी निकाय/ राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग/रेपूटेड गैर सरकारी संस्था, जो जिला कलक्टर की निगाह में कार्य कराने में सक्षम हो, से कराया जा सकता हैं।
- इस योजनान्तर्गत आवृति व्यय हेतु राशि का उपयोग नहीं किया जा सकता हैं।
- जिला स्तर पर उक्त कार्यक्रम के संचालन हेतु जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) नोडल संस्था हैं।
- योजनान्तर्गत करवाये जाने वाले कार्यो के प्रस्ताव सांसद द्वारा अभिशंषित कर कलेक्टर को प्रस्तुत किये जाते हैं तत्पश्चात् इन कार्यों की कार्यक्रम के दिशा–निर्देशानुसार जांच कर कार्य करवाये जाते हैं।
- सांसदों द्वारा देश के किसी भी भाग में प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, चक्रवात, सुनामी भूकम्प, तूफान, अकाल आदि की स्थिति में अपने कोटे से 10.00 लाख रूपये तक की राशि के कार्यों की अभिशंषा मार्गदर्शिका में अनुमत कार्यों हेतु की जा सकती है।
- देश में विकराल प्राकृतिक आपदा आने एवं भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने पर सांसद प्रभावित जिले के लिये अधिकतम 50.00 लाख रूपये के कार्यों की अभिशंषा कर सकते हैं।
- यदि कोई निर्वाचित संसद सदस्य उस राज्य/संघ शासित क्षेत्र जिससे वह चुना गया है, की शिक्षा एवं संस्कृति का प्रचार दूसरे राज्य/संघ शासित क्षेत्र में करना चाहता है तो एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 10.00 लाख रूपये शिक्षा एवं संस्कृति से सम्बन्धित कार्य जो मार्गदर्शिका में प्रतिबन्धित नहीं है का चयन कर सकता है।

- योजनान्तर्गत निधियों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के निवास क्षेत्रों के लिये क्रमशः कम से कम 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत की लागत के कार्यों की अभिशंषा करने का प्रावधान है।
- योजनान्तर्गत निर्मित करायी जाने वाली परिसम्पत्तियों के रख–रखाव और अनुरक्षण की व्यवस्था सम्बन्धित लाभार्थी संस्था की होगी।
- योजना के तहत सांसद द्वारा प्रस्तावित कार्यों के प्राप्त होने की दिनांक से यथा संभव 75 दिनों के अन्दर प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की व्यवस्था की गई है।

योजनान्तर्गत प्रतिबन्धित कार्यो की सूची निम्नानुसार हैं :–

1. केन्द्र, राज्य सरकार, उनके विभागों, सरकारी अभिकरणों/संगठनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबद्ध कार्यालय तथा रिहायशी भवन।
2. कार्यालय तथा रिहायशी भवन तथा निजी, सहकारी और वाणिज्यिक संगठनों से संबद्ध अन्य कार्य।
3. ऐसे सभी कार्य जिनमें वाणिज्यिक प्रष्ठिान/इकाई शामिल हो ।
4. किसी भी प्रकार के रख–रखाव वाले कार्य।
5. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उपलब्ध विशेष अनुमति वाली संपत्ति तथा पुरातात्विक स्मारक तथा भवनों को छोडकर सभी नवीनीकरण तथा मरम्मत कार्य।
6. किसी भी केन्द्र तथा राज्य/संघ शासित क्षेत्र के राहत कोष में अंशदान, अनुदान तथा ऋण।
7. किसी व्यक्ति के नाम पर रखी गई संपत्ति।
8. केन्द्र, राज्य, संघ शासित क्षेत्र तथा स्थानीय स्वशासन से संबद्ध वाहन, अर्थ मूवर तथा अस्पताल उपकरण, शैक्षणिक, खेल, पेयजल तथा सफाई उद्देश्यों को छोडकर सभी चल वस्तुओं की खरीद। (यह कार्य, जिसके लिए ऐसी वस्तुओं का प्रस्ताव हो, पूंजी लागत के 10 प्रतिशत के अध्यधीन होगा)।
9. भूमि अधिग्रहण तथा अधिग्रहित भूमि का मुआवजा ।
10. किसी भी प्रकार के कार्य अथवा मद की समाप्ति अथवा आंशिक समाप्ति की अदायगी।
11. व्यक्तिगत/पारिवारिक लाभ हेतु संपति।
12. समस्त राजस्व और आवर्ती व्यय।
13. धार्मिक पूजन से संबद्ध स्थल तथा धार्मिक आस्था/समूह द्वारा अधिगृहित भूमि के अंतर्गत कार्य।

शेष कार्य दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्धारित प्रक्रियानुसार संचालित कराये जा सकते हैं।

उपलब्धियां

- वर्ष 2011–12 में योजनान्तर्गत रूपये 9383.25 लाख व्यय कर 2860 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।
- वर्ष 2012–13 में योजनान्तर्गत माह दिसम्बर, 2012 तक 9189.10 लाख रूपये व्यय कर 2091 कार्य पूर्ण किये गये।

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम
(बी.ए.डी.पी.)

परिचय

- देश की करीब 1040 किलोमीटर लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर राज्य के बाडमेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं गंगानगर जिलों के 14 विकास खण्डों शिव, बाडमेर, चौहटन, धोरीमन्ना, जैसलमेर, सम, कोलायत, खाजूवाला, करणपुर, गंगानगर, पदमपुर, घडसाना, रायसिंहनगर, व अनूपगढ में भारत सरकार द्वारा एक विशेष कार्यक्रम के रूप में मोडीफाईड सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्ष 1993–94 से लागू किया गया। इस कार्यक्रम के लिये शत–प्रतिशत सहायता राशि भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाती हैं। गृह मंत्रालय (बी.एम.) भारत सरकार द्वारा नए निर्देश जारी किये गये हैं जो फरवरी, 2009 से प्रभावी है।

उद्देश्य

- इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सीमा क्षेत्र में रहने वाले दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लागों की विशिष्ठ आवश्यकताओं की पूर्ति करना हैं ।

वित्त पोषण

- यह योजना शत प्रतिशत केन्द्र प्रवर्तित योजना हैं।
- भारत सरकार द्वारा राज्य को राशि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की लम्बाई, विकास खण्ड की जनसंख्या एवं विकास खण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर दी जाती है। राज्य स्तर पर लिये गये निर्णय अनुसार कुल प्राप्त होने वाली राशि में से 30–30 प्रतिशत राशि बाडमेर एवं जैसलमेर जिलों को 25 प्रतिशत राशि बीकानेर जिले एवं 15 प्रतिशत राशि गंगानगर जिले को आवंटित की जाती हैं।

विशेषताएं

- कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड विशेष इकाई होता है एवं समस्त कार्य विकास खण्ड के क्षेत्र के अन्तर्गत सम्पादित किये जाते हैं।
- कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यो का अनुमोदन राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किया जाता हैं।
- योजना में सामाजिक सैक्टर, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं संबंधित कार्यो पर बल दिया जाता हैं।
- सुरक्षा संबंधी कार्य भी कराये जा सकते हैं लेकिन आवंटन का अधिकतम 10 प्रतिशत इस क्षेत्र मे उपयोग किया जा सकता हैं।
- पीने का पानी, एप्रोच रोड, प्रशासनिक भवन, सडक एवं पुलिया इत्यादि समस्त मूलभूत अवसंरचना के कार्यो पर 60 प्रतिशत से अधिक राशि व्यय नहीं की जा सकती हैं।

- वार्षिक आवंटन की 15 प्रतिशत राशि रखरखाव पर व्यय की जा सकती हैं। कार्यो का सम्पादन राज्य/केन्द्रीय/पैरा मिलिट्री संस्थाये/पंचायती राज संस्थाएं/जिला कोन्सिल/स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किया जा सकता हैं।

उपलब्धियां

- वर्ष 2011–12 में इस कार्यक्रम के तहत 11409.00 लाख रूपये की राशि भारत सरकार द्वारा जारी की गई है जिसके विरुद्ध 10441.71 लाख रूपये व्यय किये गये हैं जिनसे 1034 कार्य पूर्ण करवाये गये हैं।
- वर्ष 2012–13 में माह दिसम्बर, 2012 तक 8066.24 लाख रूपये व्यय कर 671 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।

डी.आर.डी.ए. प्रशासन योजना

परिचय

- जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, जो अब जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) के रूप में कार्यरत है, विभाग के विभिन्न गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिला स्तरीय संस्था है। शुरूआत से अब तक, प्रत्येक कार्यक्रम के लिए आवंटन के एक निश्चित प्रतिशत को अलग रखते हुए उससे डी.आर.डी.ए. एजेन्सियों के लिए प्रशासनिक लागत की पूर्ति की जाती थी। तथापि, जिला स्तर पर गरीबी उपशमन के कार्यक्रमों का समन्वय करने के लिए एक प्रभावकारी एजेंसी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, जिला ग्रामीण विकास एजेसियों के सुद्वढीकरण के लिए 1 अप्रैल 1999 से एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई है। इस येाजना के अंतर्गत डी.आर.डी.ए./जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) की संस्थापन लागत की पूर्ति केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के आधार पर की जाती है।

उद्देश्य

- जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) के प्रशासनिक व्यय हेतु जिला ग्रामीण विकास एजेंसी प्रशासन की योजना का प्राथमिक उद्वेश्य जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) को व्यावसायिक स्वरूप देना है ताकि वे गरीबी उपशमन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू कर सकें। जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) से आशा की जाती है कि वे राजकीय विभागों, पंचायती राज संस्थाओं, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं, गैर–सरकारी संगठनों के साथ–साथ तकनीकी संस्थाओं के साथ प्रभावकारी ढंग से समन्वय करें, जिससे कि जिले में गरीबी को कम करने के लिए अपेक्षित सहायता और संसाधनों को जुटाया जा सकें।

संगठनात्मक ढांचा

- राज्य के प्रत्येक जिले में जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) कार्यरत है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसके प्रमुख अधिकारी है, जो भरतीय/राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी है। जिला परिषद के अध्यक्ष जिला प्रमुख होते है।
- जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) एक ऐसी विशिष्ट एजेंसी के रूप में उभरा है, जो एक ओर गरीबी उपशमन कार्यक्रमों का प्रबन्ध कर सके और दूसरी ओर इन्हें जिले में गरीबी उपशमन के लिए किए जा रहे प्रयासों से जोड सकें।
- जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) की भूमिका, कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहायता करने, प्रगति का पर्यवेक्षण/निरीक्षण और निगरानी करने, प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने और भेजने तथा ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्राप्त निधियों के लेखों के रख–रखाव की है।
- बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) को विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल स्थापित करने की आवश्यकता है।

स्टाफ पद्धति

- जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) की स्टाफ पद्वति में गरीबी उपशमन के लिए योजना बनाना, परियोजना निर्माण, सामाजिक संगठन और क्षमता निर्माण, इंजीनियरी पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण, परियोजना निगरानी, बही खाता एवं लेखा–परीक्षा कार्य तथा मूल्यांकन और प्रभाव अध्ययन से संबंधित पद शामिल है।

  प्रत्येक जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) में निम्नलिखित खण्ड हैः–

  (i) स्वरोजगार खंड,

  (ii) मजदूरी रोजगार खंड,

  (iii) इंजीनियरींग खंड,

  (iv) लेखा खंड,

  (v) निगरानी एवं मूल्यांकन खंड, और

  (vi) सामान्य प्रशासन खंड ।

प्रशासनिक खर्च

- प्रशासनिक व्यय हेतु जिलों को ब्लाक की संख्या के आधार पर श्रेणी में बांटा गया है। जिसके लिये जिला प्रशासनिक लागत निम्न प्रकार निर्धारित हैः–

'क'	श्रेणी के जिले (6 से कम ब्लॉक)	46 लाख रूपये
'ख'	श्रेणी के जिले (6–10 ब्लॉक)	57 लाख रूपये
'ग'	श्रेणी के जिले (11–15 ब्लॉक)	65 लाख रूपये
'घ'	श्रेणी के जिले (15 से अधिक ब्लॉक)	67 लाख रूपये

- उपर्युक्त सीमा वर्ष 1999–2000 से लागू है। मुद्रास्फीति और इसी तरह की अन्य बातों से निपटने के लिए इस सीमा में हर वर्ष 5 प्रतिशत तक की चक्रवृद्वि आधार पर वृद्वि की जाती है।

कार्मिक नीति

- कर्मचारियों का बेहतर चयन और स्टाफ पद्वति में लोच सुनिश्चित करने के लिए जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) में कर्मचारियों को निर्धारित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर रखा जाता है।
- राज्य स्तर पर परियोजना निदेशकों एवं परियोजना अधिकारियों तथा जिला स्तर पर परियोजना अधिकारियों, सहायक परियोजना अधिकारियों तथा समस्त तकनीकी पदों पर सिद्व क्षमता और प्रेरणा वाले अधिकारी होते हैं जिन्हें चयन समितियों द्वारा निष्पक्ष तरीके से चुना जाता है।

वित्तपोषण पद्धति

- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों को केन्द्र और राज्यों में 75:25 के आधार पर बांटा जाता है।

निधियों की रिलीज

- योजना के अंतर्गत जिला परिषदों को केन्द्रीय सहायता सीधे दो किश्तों में, कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों के अनुरूप रिलीज की जाती है। स्टाफ लागत का 30 प्रतिशत तक आकस्मिक खर्चो के लिए खर्च किए जाने की अनुमति है। निधियों का 10 प्रतिशत राज्य मुख्यालय द्वारा उपयोग किए जाने की अनुमति है। राज्य की हिस्सा राशि भी इसी अनुरूप में जारी की जाती है।

उपलब्धियां

- वर्ष 2011–12 में केन्द्र सरकार से रूपये 3219.88 लाख एवं राज्य सरकार से रूपये 1189.21 लाख अर्थात कुल रूपये 4409.09 लाख की प्राप्तियों के विरूद्ध रूपये 4060.30 लाख व्यय किये गये।
- वर्ष 2012–13 में माह दिसम्बर, 2012 तक रूपये 2729.82 लाख व्यय किये गये हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा)
(A Public Private Partnership (PPP) Scheme)

परिचय

- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान **"ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा)"** योजना केन्द्रीय योजना के रूप में लागू की गई है। इस योजना को आर्थिक कार्य विभाग की सहायता तथा एशियाई विकास बैंक की तकनीकी सहायता से ग्राम पंचायत (पंचायतों) तथा निजी क्षेत्र के भागीदारों के बीच सार्वजनिक निजी क्षेत्र भागीदारी स्वरूप के अन्तर्गत कार्यान्वित करने की योजना है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के विकास सम्बन्धी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न प्रकार का ढ़ाचा उपलब्ध कराने और परिसम्पत्तियों के प्रबन्धन एवं सेवाओं की सुपुर्दगी में निजी क्षेत्र की दक्षता बढाने की कोशिश की जायेगी।
- इस योजना के कार्य क्षेत्र में चुनिंदा पंचायतों/पंचायतों के समुहों में निर्धारित सेवा स्तरों तक जीविका अवसरों, शहरी सुविधाओं तथा आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु निजी क्षेत्र के भागीदारों का चयन करना शामिल जो 10 वर्ष के लिये उपर्युक्त सुविधाओं के रखरखाव के लिये जिम्मेदार होगें। समुदाय–आधारित सुविधाओं सम्बन्धी परियोजनाओं के विकास एवं प्रबन्धन में अनुभव रखने वाले निजी क्षेत्र इकाईयों का चयन, उचित योग्यताओं एवं मूल्यांकन मापदण्ड पर आधारित खुली प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा। चयनित निजी क्षेत्र भागीदारों को जल आपूर्ति एवं जल निकासी, सड़कों, नालियों, ठोस अपशिष्ठ पदार्थों के प्रबन्धन, सड़क रोशनी तथा विधुत वितरण जैसी सुविधायें उपलब्ध करानी होंगी और पुरा योजना की एक भाग के रूप में कुछ आर्थिक एवं कौशल विकास कार्यकलाप निष्पादित करने होंगे। उक्त सुविधाओं के अलावा ग्रामोन्मुख पर्यटन, एकीकृत ग्रामीण केन्द्र, ग्रामीण बाजार, कृषि सम्बन्धी सेवा केन्द्र तथा गोदाम आदि जैसी राजस्व अर्जक अतिरिक्त सुविधायें भी प्रदान की जा सकती हैं।

योजना का मिशन और उद्देश्य

मिशन

- ग्रामीण क्षेत्र के जीवनस्तर को बेहतर बनाने के लिये आजिविका अवसर और शहरी सुविधायें मुहैया कराकर सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) फ्रेमवर्क के जरिये ग्राम पंचायत (या ग्राम पंचायतों के समुह में) में सम्भावित विकासकेन्द्र के चारों और सघन क्षेत्र का व्यापक एवं त्वरित विकास।

उद्देश्य

- योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण–शहरी अन्तर को दूर करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका अवसरों एवं शहरी सुविधाओं की व्यवस्था करना है।

कार्यनीति

- सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)– पुरा के उद्देश्यों को ग्राम पंचायतों और निजी क्षेत्र के भागीदारों के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी के फ्रेमवर्क के तहत

हासिल करने का प्रस्ताव है। पुरा की केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना से निधियों का बड़ा हिस्सा लिया जायेगा तथा केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तालमेल के जरिये अतिरिक्त सहायता जुटाई जाएगी।

नियोजन

- पुरा योजना शुरू करने के लिये चुने गये निजी भागीदार लगभग 25000–40000 की आबादी वाली एक ग्राम पंचायत/भौगोलिक रूप से आपस में जुड़ी ग्राम पंचायतों की समूह का निर्धारण करेंगे एवं उनमें अपेक्षित सुविधाओं के विकास की योजना बनाएगें।

निर्धारित आधारभूत एवं शहरी सुविधाएं

- पुरा के अन्तर्गत दी जाने वाली आधारभूत एवं शहरी सुविधाओं तथा प्रस्तावित आर्थिक कार्यकलापों की सूची निम्नानुसार हैः–

(क) ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधाएं/क्रियाकलाप (अनिवार्य)

1. जल और सीवरेज
2. ग्रामीण गलियों का निर्माण एवं रखरखाव
3. नालियां
4. ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन
5. कौशल विकास
6. आर्थिक क्रियाकलापों का विकास

(ख) अन्य मंत्रालयों की योजनाओं (गैर–ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं) के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधाएं –

7. ग्रामीण स्ट्रीट लाईटिंग
8. दूरभाष
9. बिजली आदि

(ग) एड–ऑन परियोजनाएं (राजस्व आय जन केन्द्रित परियोजनाएं) –

10. ग्रामीण पर्यटन
11. समेकित ग्रामीण केन्द्र, ग्रामीण बाजार
12. कृषि – साझा सेवा केन्द्र, वेयरहाउसिंग
13. कोई अन्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधारित परियोजना

भूमि की उपलब्धताः– पुरा परियोजना का एक आवश्यक घटक भूमि की उपलब्धता है। सार्वजनिक सुविधाओ के लिये भूमि, ग्राम पंचायत/राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।

प्राईवेट डेवलपर का चयनः– ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा योग्य (Qualified) पाये गये कुल चयनित 11 कार्य प्रस्तावों में से राज्य के लिये M/s IL&FS द्वारा जयपुर एवं राजसमन्द जिले के लिये प्रस्तुत दो प्रस्तावों का चयन किया गया है।

अब तक की गई कार्यवाही

- पुरा योजना हेतु दोनों जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा बैंक खाता खुलवाया जा चुका है जिसमें भारत सरकार से दिनांक 30.3.2011 को जिला

परिषद जयपुर को 10.71 करोड रूपये तथा राजसमन्द को 9.12 करोड रूपये की राशि एवं दिनांक 15.12.2011 को जिला परिषद जयपुर को 14.56 करोड रूपये तथा राजसमन्द को 12.40 करोड रूपये अर्थात जिला परिषद जयपुर को कुल 25.27 करोड रूपये तथा राजसमन्द को कुल 21.52 करोड रूपये की राशि रिलीज की जा चुकी है।

- M/s IL&FS द्वारा संशोधित डीपीआर भारत सरकार को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जा चुकी है।
- वर्तमान में जयपुर जिले की पंचायत समिति सांगानेर की 5 ग्राम पंचायतों (नेवटा, पंवालिया, कपूरावाला, अजयराजपुरा एवं भापुरा) तथा राजसमन्द जिले की पंचायत समिति खमनोर की 5 ग्राम पंचायतों (टांटोल, उनवास, मोलेला, खमनोर एवं उपालीओडन) ही चयन क्षेत्र में है।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

परिचय

- वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 16.2 प्रतिशत है। इन जातियों के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से पिछडेपन को दूर करने के लिए जिस गांव में अनुसूचित जाति का अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक हो, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना आरंभ की गई है।
- राजस्थान में श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले का चयन पायलेट बेसिस पर किया जाकर वर्ष 2010–11 से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले की 5 पंचायत समितियों यथा अनूपगढ़, घडसाना, पदमपुर, टिब्बी एवं पीलीबंगा के 225 गांवों में क्रियान्वित की जा रही है।

(ब) राज्य प्रवर्तित योजनाएँ

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एम.एल.ए.एल.ए.डी.)

परिचय

- राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999–2000 में ''विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम'' नाम से योजना आरम्भ की गई है। योजना के प्रारम्भिक वर्ष 1999–2000 में प्रत्येक विधायक महोदय 25.00 लाख रूपये की लागत के कार्य अभिशंषित करने के लिये अधिकृत थे जिसे बढ़ाकर वर्ष 2000–2001 में प्रति विधायक 40 लाख रूपये किया गया। वर्ष 2001–2002 से यह राशि बढ़ाकर 60.00 लाख रूपये, वर्ष 2007–08 से 80.00 लाख रूपये तथा वर्ष 2010–11 से योजनान्तर्गत प्रावधान प्रति विधायक प्रतिवर्ष 100.00 लाख रूपये तथा वर्ष 2012–13 में 200.00 लाख रूपये किया गया है।

उद्देश्य

- योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्थानीय विधायक महोदय की अभिशंषा पर जनोपयोगी परिसम्पत्तियों का निर्माण करवाना तथा क्षेत्रीय विकास में असंतुलन को दूर करना है।

वित्त पोषण

- यह योजना शत प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

विशेषताएं

- राज्य के ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में लागू हैं।
- निर्माण कार्य पंचायती राज/स्थानीय स्वायत्तशाषी निकाय/राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों द्वारा/विशेष विधि के तहत गठित निगम, बोर्ड एवं अभिकरण द्वारा कराया जा सकता हैं।
- स्वैच्छिक संस्थाओं/ट्रस्ट/पंजीकृत सहकारी संस्थाओं के द्वारा कार्यो के क्रियान्वयन कराने के लिये संस्था द्वारा कार्य की लागत का कम से कम 30 प्रतिशत अंश भागीदारी के रूप में देना आवश्यक हैं।
- वार्षिक आवंटन के 20 प्रतिशत राशि के प्रस्ताव योजनान्तर्गत पूर्व में निर्मित सामुदायिक उपयोग की परिसम्पत्तियों की मरम्मत कराने हेतु प्रस्तावित किये जा सकते हैं।
- जिला स्तर पर उक्त कार्यक्रम के संचालन हेतु जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) नोडल संस्था हैं।
- कुछ शर्तो के साथ पंजीकृत संस्था/ट्रस्ट के लिये 10.00 लाख रूपये तक की लागत की परिसम्पतियों का निर्माण कराया जा सकता हैं बशर्ते प्रस्तावकर्ता विधायक उस संस्था की कार्यकारिणी का सदस्य अथवा ट्रस्ट का सदस्य नहीं हों।

- योजना के तहत विधायक द्वारा प्रस्तावित कार्यों के प्राप्त होने की दिनांक से यथा संभव 45 दिनों के अन्दर प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की व्यवस्था की गई है।
- पंजीकृत संस्था/गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्था/पंजीकृत ट्रस्ट/पंजीकृत सहकारी संस्था के द्वारा कार्यकारी संस्था के रूप में कार्य कराये जाने पर कार्य की मूल लागत की कम से कम 30 प्रतिशत राशि की भागीदारी दी जायेगी। लेकिन इस प्रावधान से विद्यालय विकास समिति को उसी राजकीय विद्यालय परिसर के अन्दर विकास कार्य कराने हेतु कार्यकारी संस्था नियुक्त की जाती है तो उसे भागीदारी की राशि 30 प्रतिशत जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
- प्रत्येक वर्ष प्रति विधानसभा क्षेत्र के लिये आवंटित राशि का कम से कम 20 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बस्तियों एवं सम्बल ग्रामों के विकास कार्यों पर अनुशंषित करना अनिवार्य होगा। यदि माननीय विधायक अनुशंषा नहीं करें तो जिला कलक्टर 20 प्रतिशत तक की राशि के कार्य स्वीकृत कर सकेंगे।

योजनान्तर्गत कराये जाने वाले अनुमत कार्यो की सूची

- राज्य के ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में सामुदायिक उपयोग में लिये जाने वाले निम्न प्रकृति के पंचायतीराज संस्था/स्थानीय स्वायत्तशाषी निकाय/राजकीय स्वामित्व के निर्माण कार्य विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निष्पादित कराये जा सकेंगेः–
  1. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की मार्ग दर्शिकाओं के अन्तर्गत स्वीकृत हो सकने वाले सामुदायिक उपयोग के कार्य ।
  2. पेयजल के कार्य ।
  3. किसी ग्राम/नगर की आबादी सीमा में सडक (ग्रेवल/मेटल/डामर/सीमेन्ट)/खरंजा एवं नाली निर्माण ।
  4. शहरी क्षेत्र में सिवरेज का कार्य ।
  5. (अ) चिकित्सालय/स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन ।
     (ब) शिक्षण संस्थाओ के लिए भवन/कम्प्यूटर शिक्षा हेतु कम्प्यूटर/अध्ययन– अध्यापन सामग्री/स्काउट सामग्री/खेल सामग्री/फर्नीचर/दरी।
     (स) सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा गैर सहायता प्राप्त परन्तु मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के लिये भवन बशर्ते वे शिक्षण संस्थाये कम से कम तीन वर्ष से अस्तित्व में हो ।
     (द) सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की शिक्षा के लिये कम्प्यूटर।
  6. ग्रेवल/डब्ल्यू.बी.एम./डामर/सीमेन्ट सडक के कार्य ।
  7. ग्राम/शहर में तालाबों की सफाई/ डिसिल्टींग का कार्य ।
  8. पारम्परिक जलस्त्रोतों के विकास के कार्य।
  9. गांवों के सम्पर्क सडकों/रास्तो के लिये पुलिया/रपट का कार्य ।
  10. पर्यटन स्थलों के लिए आधारभूत सुविधाओं का कार्य ।
  11. पशुधन के लिये पीने के पानी की सुविधा विकसित करने का कार्य ।
  12. पशु स्वास्थ्य के लिये चिकित्सालय/डिस्पेन्सरी भवन का निर्माण कार्य ।

13. (अ) चिकित्सालय हेतु चिकित्सा उपकरण/एम्बूलेन्स ।
    (ब) पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में चलते फिरते दवाखानों की व्यवस्था।
    (स) रेड क्रोस/राम कृष्ण मिशन जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के लिये एम्बूलेन्स।
14. श्मशान/कब्रिस्तान आदि की चारदीवारी एवं सुविधायें विकसित करने का कार्य।
15. पुस्तकालयभवन/बसस्टेण्ड/धर्मशाला/विश्रामगृह/स्टेडियम/वाल्मिकी भवन / सामुदायिक भवन
16. विद्युतिकरण।
17. सार्वजनिक/सरकारी स्वामित्व के योजनान्तर्गत निर्मित भवन निर्माण के मरम्मत कार्य ।
18. चारदीवारी निर्माण ।
19. खेल मैदान/स्टेडियम/स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स हेतु खेल सामग्री
20. जनोपयोगी कार्य ।
21. अन्य योजना में स्वीकृत किन्तु राशि के अभाव मे अपूर्ण कार्य ।
22. जिला परिषदों (ग्रामीण प्रकोष्ठ)/पंचायती राज संस्थाओं हेतु फैक्स मशीन/ कम्प्यूटर।
23. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना।
24. राजस्थान सरकार के स्वीकृत अदालत भवन/कार्यालय भवन/पंचायत राज संस्थाओं के भवन निर्माण का कार्य।
25. इलक्ट्रोनिक परियोजनायें :
    (अ) सूचना फुटपाथ
    (ब) माध्यमिक विद्यालयों में हैल्थ क्लब
    (स) सिटीजन बैण्ड रेडियो
    (द) ग्रंथ सूची–डाटा बेस परियोजनायें।
26. स्थानीय निकाय में नाइट सोयल डिसपोजल सिस्टम।
27. जयपुर मुख्यालय पर सूचना केन्द्र परिसर में निर्मित होने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के लिये स्मृति भवन व अनुसंधान केन्द्र का निर्माण ।
28. राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत विद्यमान महाविद्यालयों में नवीन विषय प्रारंभ करने के लिये सम्बन्धित कॉलेज विकास समिति द्वारा 3 वर्ष के लिए आवश्यक आवर्ती व्यय हेतु इकठ्ठी राशि की व्यवस्था की जानी हैं। परन्तु इसमें यदि कोई कमी हो तो विधायक स्थानीय क्षेत्र योजना मद की राशि विधायक की अभिशंषा पर उपयोग में ली जा सकती हैं।
29. राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत विद्यमान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन संकाय/ विषय प्रारंभ करने के लिये सम्बन्धित विद्यालय विकास समिति द्वारा 3 वर्ष के लिए आवश्यक आवर्ती व्यय हेतु इकट्ठी राशि की व्यवस्था की जानी हैं। परन्तु इसमें यदि कोई कमी हो तो विधायक स्थानीय क्षेत्र योजना मद की राशि भी उपयोग में ली जा सकती हैं।

30. जयपुर मुख्यालय पर प्रस्तावित हज हाउस के निर्माण हेतु राज्य के सभी विधायक यदि वे चाहे तो अपने विधायक कोटे से प्रस्ताव अपने नोडल जिले के माध्यम से जिला कलक्टर, जयपुर को प्रेषित कर सकेंगे ।
31. राजकीय डाक बंगलों में ए.सी. कूलर एवं पंखें ।
32. राजकीय अस्पतालों के लिए चद्दर, कम्बल एवं गद्दे ।
33. राज्य पुलिसकर्मी आवासीय भवन निर्माण का कार्य अकाल प्रभावित क्षेत्रों में श्रम मद अकाल राहत से दिये जाने की शर्त पर सामग्री मद विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत किये जा सकेंगे ।
34. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय/उप अधीक्षक कार्यालय एवं थानों के लिये कम्प्यूटर मय लेजर प्रिंटर, स्केनर एवं फैक्स क्रय करने हेतु एक मुश्त राशि (अनावर्ती व्यय)
35. उपखण्ड कार्यालयों के लिये कम्प्यूटर मय प्रिन्टर व फैक्स मशीन क्रय करने हेतु एक मुश्त राशि (अनावर्ती)
36. जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालयों के लिये कम्प्यूटर मय प्रिन्टर एवं फैक्स मशीन तथा सूचना प्रमाण–पत्र क्रय किये जा सकेंगे।
37. सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर व राज्य के समस्त राजकीय मेडीकल कॉलेजों के चिकित्सालयों में वेन्टीलेटर व अन्य उपकरणों की स्वीकृति हेतु अभिशंषा।
38. परिवर्तित बजट घोषणा वर्ष 2009–10 की अनुपालना में जिन महाविद्यालयों में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय प्रारम्भ किए जाने हैं वहां इन संकायों के लिये आवृत्ति व्यय (वेतन–भत्ते एवं अन्य आवृत्ति व्यय) आगामी पांच वर्षो (वर्ष 2009–10 से 2014–15) तक माननीय विधायक द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र में अभिशंषित किए जा सकेंगे।
39. पंचायती राज संस्थाओं को निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से अनुमत होने पर वाहन (नॉन ए.सी.) क्रय करने हेतु अभिशंषा कर सकेंगे। इन वाहनों के चालक व अन्य आवृत्ति व्यय योजना में अनुमत नहीं होंगे।
40. स्वच्छता इकाईयों का निर्माण
    - नाली निर्माण
    - सार्वजनिक सोख्ता गड्ढों का निर्माण
    - सार्वजनिक संस्थाओं यथा शाला/आंगनबाडी केन्द्र, पंचायत भवन, पटवारघर, चिकित्सालय आदि स्थानों पर शौचालय व मूत्रालय इकाईयों का निर्माण।
    - कचरा संग्रहण एवं निस्तारण इकाईयों का निर्माण।

40 (i)
    - ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं ग्राम दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के कार्यालय भवन एवं गोदाम निर्माण के कार्य।
    - इन संस्थाओं के कम्प्यूटरीकरण हेतु कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर क्रय करने हेतु एक मुश्त राशि (अनावृत्ति व्यय)

नोट :– ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं ग्राम दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति जारी करने से पूर्व जिला स्तरीय वरिष्ठतम उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां (ग्राम सेवा

सहकारी समितियों के संदर्भ में) से निर्माण कार्य की आवश्यकता के संबंध में सहमति प्राप्त की जावे।

इसी क्रम में दिशा–निर्देशों के संलग्न परिशिष्ट–2 गैर अनुमत कार्यों की सूची के क्रम संख्या 2 पर वर्णित प्रावधान ''वाणिज्यिक संगठन/निजी संस्था के लिये सम्पत्ति'' को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

2. ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं ग्राम दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के अतिरिक्त अन्य वाणिज्यिक संगठन अथवा निजी संस्था के लिये सम्पत्ति।

41. खेल विभाग मैचिंग ग्रान्ट राशि से स्टेडियम निर्माण हेतु युवा मामले एव खेल विभाग के साथ स्टेडियम निर्माण की प्रक्रिया।

42. सार्वजनिक, शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के लिये विद्युतीकरण एवं निजी ढाणियों का विद्युतीकरण जिसमें 5 (पांच) परिवार संयुक्त रूप से निवास करते हैं।

योजनान्तर्गत न कराये जा सकने वाले कार्यो की सूची

1. अनुदान एवं ऋण ।
2. वाणिज्यिक संगठन/निजी संस्था के लिए सम्पत्ति ।
3. वस्तु/सामान की खरीद।
4. भूमि के अधिग्रहण एवं अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा।
5. व्यक्तिगत लाभ के लिए परिसम्पत्ति ।
6. धार्मिक पूजा स्थल।

उपलब्धियाँ

- वर्ष 2011–12 में योजनान्तर्गत राशि रूपये 20116.25 लाख की प्राप्तियों के विरूद्ध 18283.60 लाख रूपये व्यय कर 10390 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।
- वर्ष 2012–13 में माह दिसम्बर, 2012 तक 20000.00 लाख रूपये की प्राप्तियों के विरूद्ध 15351.13 लाख रूपये व्यय कर 6112 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।

मेवात क्षेत्रीय विकास योजना

परिचय

- अलवर एवं भरतपुर जिले का मेव बाहुल्य क्षेत्र जो मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता हैं, उसके विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1987–88 से मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।

उद्देश्य

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य मेवात क्षेत्र के विकास को गति देना तथा इस क्षेत्र के लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर उंचा उठाना हैं।

कार्यक्षेत्र

- यह कार्यक्रम राज्य के 2 मेव बाहुल्य जिलों यथा अलवर एवं भरतपुर में क्रियान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम अलवर जिले की 8 मेव बाहुल्य पंचायत समितियों (लक्षमणगढ़, रामगढ़, तिजारा, मुण्डावर, किशनगढ़बास, कठूमर, उमरेण एवं कोटकासिम) तथा भरतपुर की 3 पंचायत समितियॉ (नगर, डीग एवं कामां) में क्रियान्वित किया जा रहा है।

वित्त पोषण

- योजना शत प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

कार्यों का अनुमोदन

- योजनान्तर्गत करवाये जाने वाले कार्य क्षेत्र विशेष की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये जिला परिषद स्तर से कार्य प्रस्ताव प्राप्त कर मेवात क्षेत्रीय विकास मंडल की सहमति की प्रत्याशा में मेवात कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित किये जाने का प्रावधान है। जिला स्तर पर इस योजना के संचालन हेतु जिला परिषद को नोडल संस्था बनाया हुआ है।
- योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का पर्यवेक्षण, क्रियान्विती की समीक्षा एवं उसमें सुधार हेतु मार्गदर्शन देने के लिये मेवात क्षेत्रीय विकास मंडल का गठन किया हुआ है। मण्डल के अध्यक्ष माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग है।

उपलब्धियाँ

- वर्ष 2011–12 में योजनान्तर्गत 137.35 लाख रूपये व्यय कर 47 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।
- वर्ष 2012–13 में माह दिसम्बर, 2012 तक योजनान्तर्गत 790.31 लाख रूपये व्यय कर 243 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।

ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना

परिचय

- राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास एवं रोजगार सृजन तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं रख–रखाव में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए **"ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना"** वर्ष 2010–11 से प्रारम्भ करने की माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण में घोषणा के क्रम में लागू की गई है। योजनान्तर्गत विकास कार्यों का चयन जन समुदाय की आवश्यकता के अनुसार किया जाकर कार्य करवाये जायेंगे।

उद्देश्य

- गांव के विकास के लिए आवश्यक सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण।
- रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन।
- स्थानीय समुदाय में स्वावलम्बन एवं आत्म निर्भरता को प्रोत्साहन।
- सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं रख–रखाव में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहन।
- ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के जीवन स्तर में सुधार।

वित्त पोषण

- योजना शत–प्रतिशत राज्य वित्त पोषित है।

विशेषताएँ

- योजना केवल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू होगी।
- इस योजना के तहत नवीन कार्य स्वीकृत किये जायेंगे। विशेष परिस्थितियों में अन्य योजनान्तर्गत निर्माणाधीन/अपूर्ण कार्यों को इस योजनान्तर्गत सम्मिलित किया जा सकेगा।
- इस योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य का वित्त पोषण निम्नानुसार होगाः–

		राज्यांश	जन सहयोग
(i)	शमशान एवं कब्रिस्तान भूमियों की चारदीवारियों का निर्माण, छाया व पानी की व्यवस्था संबंधी कार्य	90 प्रतिशत	10 प्रतिशत
(ii)	अन्य कार्य		
	(अ) सामान्य क्षेत्र	70 प्रतिशत	30 प्रतिशत
	(ब) अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्र	80 प्रतिशत	20 प्रतिशत

- जनसहयोग की राशि का वहन स्थानीय समुदाय/सामाजिक संगठन/गैर सरकारी संस्था/ट्रस्ट/पंजीकृत संस्था/व्यक्तिगत दानदाता द्वारा किया जा सकेगा। जनसहयोग की राशि पंचायत समिति/जिला परिषद में नकद/डिमान्ड ड्राफ्ट से जमा करायी जा सकेगी।

कार्यों के प्रस्ताव

- इस योजना के अन्तर्गत शमशान एवं कब्रिस्तान भूमियों की चारदीवारियों का निर्माण प्रथम प्राथमिकता के रूप में कराये जावेंगे। इस श्रेणी के किसी भी कार्य का प्रस्ताव जिले में न होने पर ही स्थानीय समुदाय के लाभ एवं उपयोगिता का कोई भी कार्य कराया जा सकता है, जिससे सामुदायिक परिसम्पत्तियों/ सुविधाओं का सृजन हो एवं गांव में त्वरित आर्थिक एवं सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो।

उपलब्धियां

- वर्ष 2011–12 में योजनान्तर्गत 1627.16 लाख रूपये व्यय कर 286 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।
- वर्ष 2012–13 में माह दिसम्बर, 2012 तक योजनान्तर्गत 1518.31 लाख रूपये व्यय कर 236 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।

डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

परिचय

- राज्य के पूर्वी एवं दक्षिणी–पूर्वी जिलेां के दस्युओं से प्रभावित डांग क्षेत्र मे आर्थिक, सामाजिक, एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डांग क्षेत्रीय विकास योजना को वर्ष 2005–06 के बजट में पुनः प्रारंभ करने की घोषणा के अनुसरण में यह योजना प्रारंभ की गयी हैं।

उद्देश्य

- दस्युओं से प्रभावित डांग क्षेत्र की आवश्यकता एवं क्षेत्र में जन–आकांक्षाओं के अनुरूप आर्थिक, सामाजिक एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास के कार्य स्वीकृत कर रोजगार के अवसर सृजित करना।
- सामुदायिक परिसम्पत्तियों एवं अन्य आधारभूत भौतिक सम्पत्तियों का सृजन।
- स्थानीय समुदाय को रोजगार की उपलब्धता एवं उनके जीवन स्तर में सुधार।
- स्थानीय लोगों के परम्परागत कार्यो को विकसित करने एवं उनको जीवकोपार्जन के लिये संसाधन उपलब्ध कराना।

कार्यक्षेत्र

- डांग क्षेत्रीय विकास योजना राज्य के 8 जिलो यथा सवाईमाधोपुर, करौली, कोटा, बून्दी, बांरा, धौलपुर, भरतपुर एवं झालावाड की 22 पंचायत समितियों की 371 ग्राम पंचायतो में क्रियान्वित की जा रही है।

वित्त पोषण

योजना शत–प्रतिशत राज्य वित्त पोषित है। योजना को आवश्यक होने पर अन्य योजनाओं के साथ डवटेलिंग किया जा सकेगा।

विशेषताएं

- योजना डांग क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है।
- योजनान्तर्गत प्रमुख रूप से ऐसे कार्य प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाती है जो राज्य के अन्य योजनाओं के तहत कवर नहीं होते है एवं स्थानीय लोगों के आर्थिक उन्नयन के लिये लाभप्रद है।
- राज्य स्तर पर डांग क्षेत्रीय विकास मण्डल का गठन माननीय अध्यक्ष महोदय, डांग क्षेत्रीय विकास मंडल की अध्यक्षता में किया गया है जिसके माध्यम से कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा एवं कार्यक्रम के तहत कराये जाने वाले कार्य जिलों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर स्वीकृत किये जाते हैं।

योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्य

- योजनान्तर्गत स्थानीय समुदाय के लाभ एवं उपयोगिता का कोई भी सार्वजनिक कार्य कराया जा सकेगा जिसमें राजकीय विभाग या पंचायती राज संस्था के स्वामित्व वाली सामुदायिक परिसम्पत्तियों/आधारभूत भौतिक सुविधाओं के सृजन केसाथ–साथ क्षेत्रीय विकास एवं रोजगार के अवसर सृजित हो ।

योजनान्तर्गत नहीं कराये जाने वाले कार्य

- किसी भी पंजीकृत संस्था/ट्रस्ट की स्वयं की परिसम्पतियां बनाने के लिये राशि स्वीकृत नहीं की जावेगी। योजनान्तर्गत अनुदान एवं ऋण, वाणिज्यिक संगठन/निजी संस्था के लिए सम्पत्ति, केवल वस्तु/सामान की खरीद, भूमि के अधिग्रहण एवं अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा, व्यक्तिगत लाभ के लिए परिसम्पत्ति, धार्मिक पूजा स्थल एवं आवृतक व्यय हेतु राशि स्वीकृत नहीं की जा सकेगी।

उपलब्धियां

- वर्ष 2011–12 में योजनान्तर्गत 404.62 लाख रूपये का व्यय कर 40 कार्य पूर्ण कराये गये।
- वर्ष 2012–13 में माह दिसम्बर, 2012 तक 997.69 लाख रूपये व्यय कर 233 कार्य पूर्ण कराये गये है।

स्वविवेक जिला विकास योजना

परिचय

- राज्य में क्षेत्र के विकास की आवश्यकता एवं आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने, रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु जिला कलक्टर्स के स्तर पर स्व–विवेक से निर्णय लेकर विकास कार्य कराये जाने हेतु वर्ष 2005–06 में स्व–विवेक जिला विकास योजना लागू की गई हैं।

उद्देश्य

- क्षेत्र की आवश्यकता एवं उत्पन्न आपातकालीन परिस्थितियों में क्षेत्र में जन–आंकाक्षाओं के अनुरूप कार्य स्वीकृत कर रोजगार के अवसर सृजित करना।
- सामुदायिक परिसम्पतियों एवं आधारभूत भौतिक सम्पत्तियों का सृजन।
- स्थानीय समुदाय को रोजगार की उपलब्धता एवं उनके जीवन स्तर में सुधार।

वित्त पोषण

- योजना शत–प्रतिशत राज्य वित्त पोषित है।

विशेषताएं

- यह राज्य के केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू है।
- इस योजनान्तर्गत जिला कलक्टर्स द्वारा क्षेत्र की आवश्यकता, जन आकांक्षाओं एवं आपाताकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये विकास कार्य स्वीकृत किये जा सकेंगे।
- इस प्रकार इस योजनान्तर्गत एक तरफ आपात कालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिये जिला कलक्टर के पास आर्थिक संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे तो दूसरी तरफ क्षेत्र में जन आकांक्षाओं के अनुरूप परिसम्पत्तियां एवं आधारभूत भौतिक सामुदायिक सम्पत्तियां सृजित हो सकेंगी।
- योजना के फलस्वरूप क्षेत्र के विकास में समरूपता भी लायी जा सकेगी।
- स्वविवेक जिला विकास योजना के तहत बाढ/अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में सहायता हेतु जिला कलक्टर्स द्वारा योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये आवंटित राशि व्यय की जायेगी।

उपलब्धियां

- योजनान्तर्गत वर्ष 2011–12 में 628.47 लाख रूपये का व्यय कर 210 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।
- वर्ष 2012–2013 में माह दिसम्बर, 2012 तक 308.01 लाख रूपये व्यय कर 94 कार्य पूर्ण कराये गये हैं।

मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

परिचय

- राजस्थान राज्य के दक्षिणी–मध्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अलावा वह क्षेत्र जो पहाडियों से घिरा हुआ हैं तथा जहां अन्य पिछडी जाति एवं अल्पसंख्यक लोगों का अधिवास हैं को मगरा क्षेत्र कहा जाता है। मगरा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के साथ–साथ इस क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु वर्ष 2005–2006 में मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया हैं।

उद्देश्य

- क्षेत्र की आवश्यकता एवं क्षेत्र में जन–आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य स्वीकृत कर रोजगार के अवसर सृजित करना।
- सामुदायिक परिसम्पत्तियों एवं अन्य आधारभूत भौतिक सम्पत्तियों का सृजन।
- स्थानीय समुदाय को रोजगार की उपलब्धता एवं उनके जीवन स्तर में सुधार।
- स्थानीय एवं अन्य लोगों की जनभागीदारी सुनिश्चित करना।
- स्थानीय लोगों के परम्परागत कार्यो को विकसित करने एवं उनके जीवकोपार्जन की परियोजना लागू करना।

कार्यक्षेत्र

- मगरा क्षेत्र में राज्य के 5 जिलों यथा अजमेर, भीलवाडा, चित्तौडगढ, राजसमंद एवं पाली की कुल 14 पंचायत समितियों के 1426 ग्रामो को सम्मिलित किया गया हैं।

वित्त पोषण

- यह शत–प्रतिशत राज्य वित्त पोषित योजना है।

विशेषताएं

- योजना मगरा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है।
- इस योजना का आवश्यक होने पर अन्य योजनाओं के साथ डबटेलिंग किया जा सकेगा।
- योजना के तहत जन सहयोग से प्राप्त राशि का भी उपयोग किया जा सकेगा।
- इस योजनानतर्गत प्रमुख रूप से ऐसे कार्य प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जावेगी जो राज्य की अन्य योजनाओं के तहत कवर नहीं होते हैं एवं लोगों के आर्थिक उन्न्यन के लिये लाभप्रद हैं।

योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्य

- योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय समुदाय के लाभ एवं उपयोगिता का कोई भी सार्वजनिक कार्य कराया जा सकेगा, जिसमें किसी राजकीय विभाग या पंचायती राज संस्था के स्वामित्व वाली सामुदायिक परिसम्पत्तियों/आधारभूत सुविधाओं के सृजन के साथ–साथ क्षेत्रीय विकास एवं रोजगार अवसर सृजित हो।

योजनान्तर्गत नहीं कराये जाने वाले कार्य

- किसी भी पंजीकृत संस्था/ट्रस्ट की स्वयं की परिसम्पतियां बनाने के लिये राशि स्वीकृत नहीं की जावेगी। इस योजनान्तर्गत अनुदान एवं ऋण, वाणिज्यिक संगठन/निजी संस्था के लिए सम्पत्ति, वस्तु/सामान की खरीद, भूमि के अधिग्रहण एवं अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा, व्यक्तिगत लाभ के लिए परिसम्पत्ति, धार्मिक पूजा स्थल एवं आवृतक व्यय हेतु राशि स्वीकृत नहीं की जा सकेगी।

उपलब्धियाँ

- वर्ष 2011–12 मे 587.91 लाख रूपये के व्यय से 82 कार्य पूर्ण कराये गये।
- वर्ष 2012–13 में माह दिसम्बर, 2012 तक 1015.43 लाख का व्यय किया गया एवं 119 कार्य पूर्ण कराये गये।

सामाजिक अंकेक्षण

- योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक अंकेक्षण है। अधिनियम, 2005 की धारा 16 में ग्राम सभा द्वारा कार्य की सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अधिनियम में वर्णित इस प्रावधान के अनुरूप वर्ष में दो बार सामाजिक अंकेक्षण कराया जाना सुनिश्चित किया गया है। सामाजिक अंकेक्षण में ग्राम सभा की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रयास वर्तमान में किये जा रहे है, क्योंकि पिछले सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में काफी महसूस की गई है। इसके लिए पृथक से राज्य स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय स्थापित किया गया है। सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय द्वारा योजना के सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित समस्त कार्य, जिनमें वार्षिक कलैण्डर तैयार करना, प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, समय पर सामाजिक अंकेक्षण सुनिश्चित कराना, सामाजिक अंकेक्षण की कार्यवाही के उपरान्त उसका फॉलोअप करना आदि समस्त कार्य सम्मिलित है। इससे ना केवल अधिनियम के प्रावधानों की पालना की जा सकी है, बल्कि सामाजिक अंकेक्षण की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है।
- केन्द्र सरकार द्वारा सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया हेतु लेखा परीक्षा नियम 2011 का प्रकाशन किया गया। इन नियमों के तहत राज्य के बाडमेर जिले की बाडमेर पंचायत समिति की सभी 40 ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण का कार्य पायलेट आधार पर कराया गया।

मुख्यमन्त्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना

परिचय

- राज्य में ग्रामीण बी.पी.एल. आवासों की त्वरित लम्बित मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011–12 के बजट में रू. 3400 करोड़ की लागत से **''मुख्यमन्त्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना''** के नाम से एक नई योजना की घोषणा की गई। यह योजना इन्दिरा आवास योजना की प्रतीक्षा सूची के परिवारों को लाभान्वित होने में लगने वाले लगभग 20 वर्ष की अवधि को कम करेगी। यह योजना वास्तव में इन्दिरा आवास योजना की तर्ज पर तैयार की गई है। योजनान्तर्गत जनजातीय क्षेत्र में निवास कर रहे सभी बी.पी.एल. चयनित आवासहीन परिवारों तथा राज्य के शेष क्षेत्रों के अनुसूचित जाति के बी.पी.एल. चयनित परिवारों को आवास निर्माण हेतु 50,000/– रूपये तथा शेष अन्य वर्ग के परिवारों को रू. 45,000/– प्रति आवास की अनुदान सहायता दी जा रही है। इस योजना को सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम एवं महात्मा गॉधी नरेगा के साथ भी जोडा गया है।
- आवास के साथ स्वच्छ शौचालय के निर्माण हेतु ''सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान'' (TSC) अर्थात निर्मल भारत अभियान (NBA) के तहत निर्मित किये जाने वाले व्यक्तिगत शौचालयों की इकाई अनुदान सहायता राशि रूपये 3200/– के स्थान पर दिनांक 01.04.2012 से बढ़ाकर रूपये 4600/– की गई है।
- उक्त शौचालय निर्माण का कन्वर्जेन्स ''महात्मा गांधी नरेगा'' से विभागीय पत्रांक दिनांक 14.05.2012 एवं 21.06.2012 द्वारा किया गया है जिसके तहत रूपये 4500/– की अधिकतम अतिरिक्त सहायता राशि मस्ट्रोल (20 अकुशल एवं 6 कुशल दिवस) के आधार पर देने का प्रावधान है। इस प्रकार आवास अनुदान सहायता के अलावा शौचालय निर्माण हेतु उपरोक्तानुसार अधिकतम अतिरिक्त सहायता लगभग रूपये 9100/– (रूपये 4600 + रूपये 4500) देय है।
- इस योजनान्तर्गत तीन वर्षों में 6.80 लाख ग्रामीण बी.पी.एल. परिवारों को आवास उपलब्ध कराये जायेंगे। योजना अर्न्तगत वर्ष 2011–12 में 2.80 लाख परिवारों को तथा वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में दो–दो लाख परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा। उक्त परिवारों को लाभान्वित करने हेतु जिला परिषदों द्वारा वर्ष 2011–12 में रू. 1400 करोड़ तथा वर्ष 2012–13 एवं वर्ष 2013–14 में क्रमशः एक–एक हजार करोड़ का ऋण प्राप्त किया जायेगा। यह ऋण जिला परिषदों द्वारा हुड़को से प्राप्त किया जायेगा तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कराये जाने वाली अनुदान सहायता से ऋण का पुनर्भुगतान जिला परिषदों द्वारा किया जायेगा। यह योजना ''आश्रय का अधिकार'' (Right to shelter) के लक्ष्य को अर्जित करने में बहुत सहायक सिद्ध होगी।

उपलब्धियां

- **<u>फेज–प्रथम (2011–12)</u>** में माह दिसम्बर, 2012 तक 2,75,700 परिवारों को वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई है, जिसके विरूद्ध 94,980 आवासों का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 1,77,211 आवासों का कार्य प्रगति पर है। हुड़को द्वारा 31 जिला परिषदों को रूपये 1151.30 करोड़ का ऋण अवमुक्त किया जा चुका है, जिसमें से

रूपये 1111.03 करोड़ की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तान्तरित की गई है।

- **फेज–द्वितीय (2012–13)** में माह दिसम्बर, 2012 तक 1,86,926 परिवारों को वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई है, जिसके विरूद्ध 1,54,617 आवासों का कार्य प्रगति पर है। हुड़को द्वारा 26 जिला परिषदों को रूपये 457.61 करोड़ का ऋण अवमुक्त किया जा चुका है, जिसमें से रूपये 211.27 करोड़ की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तान्तरित की गई है।

(स) केन्द्रीय/बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ
राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना
(आर.आर.एल.पी.)

परिचय

- माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 के बजट भाषण में विश्व बैंक की सहायता से राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना लागू करने की घोषणा की गई जिसके क्रम में ''**राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना**'' के प्रस्ताव तैयार कर विश्व बैंक को प्रस्तुत किये गये। परियोजना की स्वीकृति विश्व बैंक बोर्ड की बैठक दिनांक 11.01.2011 में कर दी गई है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना हेतु विश्व बैंक एवं भारत सरकार के साथ बैंक से वित्तीय सहायता दिनांक 22.06.2011 से प्रभावी हो गई है। प्रस्तावित परियोजना से राज्य के 4 लाख बीपीएल परिवारों को स्थाई जीविकोपार्जन के संसाधन एवं आवश्यक आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करवाकर इनका आर्थिक स्तर गरीबी रेखा से उपर उठाये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

उद्देश्य

(1) 4 लाख चयनित बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से उपर लाना (आय में स्थाई वृद्वि)।
(2) चयनित परिवारों को समाज की मुख्य धारा से जोडते हुये क्षमता वर्धन के माध्यम से सशक्तिकरण।
(3) गठित स्वयं सहायता समूहों का बैंक साख हेतु क्षमता वर्धन।

परियोजना लागत

- प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत रु. 870 करोड(बैंक ऋण के अतिरिक्त) आंकलित की गई है।

1	विश्व बैंक (आई.डी.ए.) का हिस्सा	रु.769.90 करोड़ (150 मिलियन यू.एस. डॉलर के बराबर)
2	राज्यांश	रु. 100.10 करोड़
कुल परियोजना लागत		रु. 870 करोड़

परियोजना की विशिष्टतायें

1. स्वयं सहायता समूहों के साथ–साथ उनकी उच्च स्तरीय संस्थाओ का गठन।
2. एक से अधिक स्वरुप में वित्तीय सहायता।
3. अनुदान के स्थान पर बचत एवं साख की पद्धति ज्यादा सफल।
4. आजीविका संसाधनों का विकेन्द्रीकरण।
5. सामुदायिक एवं आजीविका सुरक्षा।
6. राज्य स्तर से गांव स्तर तक समर्पित संस्थापन।
7. समुदाय की लागत आधार पर ब्याज दरों का निर्धारण।
8. समुदाय से समुदाय का क्षमतावर्धन।

9. दक्षतावर्द्धन एवं सुनिश्चित रोजगार।
10. प्रभावी संचालन :–
    (अ) जी.आई.एस. आधारित सीएमआईएस सिस्टम।
    (ब) आईसीटी आधारित मोबाईल ट्रेकिंग।
    (स) टेली सॉफ्टवेयर के द्वारा लेखा एवं वित्तीय प्रोसेस मोनिटरिंग।

अन्य योजनाओं के साथ कनवर्जेन्स

- परियोजना के अन्तर्गत इस बिन्दु पर ध्यान दिया जायेगा कि परियोजना क्षेत्र में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा गरीबों के लिये संचालित योजना का लाभ भी गरीबों को पहुंचाना सुनिश्चित किया जा सके, जैसे एन.आर.एच.एम. सर्व शिक्षा अभियान, टी.एस.सी., नरेगा एवं सामाजिक सुरक्षा की योजनायें जो कि गरीबी उन्मूलन से सीधा संबंध रखती है।

परियोजना क्रियान्वयन

- परियोजना का क्रियान्वयन परियोजना सहयोग दल (पी.एफ.टी.) के माध्यम से करवाई जावेगी। परियोजना सहयोग दल गरीबों के स्वयं सहायता समूहों का गठन, क्षमता वर्धन, जीविकोपार्जन गतिविधियों के लिये तकनीकी सहायता, समूहों की गुणवत्ता एवं स्थायित्व, समूहों के उत्पादों की विपणन व्यवस्था, समूहों का फेडरेशन एवं प्रोडूसर ओर्गेनाईजेशन के गठन एवं विकास इत्यादि कार्य आवश्यकतानुसार करवाये जायेंगे।

परियोजन का क्षेत्र

- परियोजना राज्य के निर्धनतम 18 जिलों (बांसवाडा, बारां, भीलवाडा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौडगढ, चूरु, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंन्द, सवाईमाधोपुर, टोंक एवं उदयपुर) में लागू किया जाना प्रस्तावित है।

ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् का गठन

- राजस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में लाइवलीहुड से सम्बन्धित समस्त कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन हेतु राज्य मंत्रीमण्डल की बैठक दिनांक 29.09.2010 में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (सोसायटी) के गठन का अनुमोदन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसके अध्यक्ष, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग इसके उपाध्यक्ष है।

परियोजना की वर्तमान स्थिति एवं उपलब्धियॉ

1. परियोजनान्तर्गत विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषण हेतु आवश्यक सोसियल एसेसमेंट, ट्रायबल डवलपमेंट फ्रेम वर्क एवं जेण्डर एक्शन प्लान अध्ययन विकास संस्थान के माध्यम से तैयार करवाये जाकर इनको परियोजना रिपोर्ट में समाविष्ट किया गया है।

2. एनवायरमेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की विस्तृत रिपोर्ट ''दी एनर्जी एण्ड रिसोर्स इन्स्टीट्यूट'' (टेरी) से तैयार करवाकर उसके प्रावधान भी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन प्लान में शामिल किये गये है।
3. परियोजना क्रियान्वयन हेतु विस्तृत तैयार करने की गतिविधि के अन्तर्गत, प्रोजेक्ट इम्पलीमेन्टेशन (पीआईपी), वित्तीय, प्रोक्योरमेंट, कम्यूनिटी ऑपरेशनल एवं एच. आर.मेन्युअल के ड्राफ्ट तैयार कर विश्व बैंक को प्रस्तुत किये गये जिन पर विश्व बैंक द्वारा सहमति प्रदान की गई है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना हेतु विश्व बैंक एवं भारत सरकार के साथ दिनांक 24.05.2011 को लीगल डॉक्यूमेंट्स हस्ताक्षरित किये गये हैं तथा विश्व बैंक से वित्तीय सहायता दिनांक 22.06.2011 से प्रभावी हो गई है।

प्रस्तावित क्रियान्वयन

- परियोजना हेतु तैयार किये गये प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन प्लान (PIP)में परियोजना अन्तर्गत सम्पादित की जाने वाली गतिविधियों का वर्षवार कार्यक्रम निम्न प्रकार तैयार किया गया है:–

परियोजना गतिविधियों के चरण							
क्र. सं.	गतिविधि	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष	**कुल**
1.	जिला	18					**18**
2.	पी.एफ.टी. संस्थापन	34	76				**110**
3.	ग्राम प्रवेश (प्रतिशत)	18	65	17			**100**
4.	परियोजना में स्वयं सहायता समूह	2550	19398	9684	1368		**33000**
5.	क्लस्टर डवलपमेन्ट आर्गेनाईजेशन	340	1123	646	91		**2200**
6.	पी.एफ.टी. एरिया फैडरेशन			17	38		**55**
7.	उत्पादक संघ			8	9		**17**
8.	कौशल उन्नयन एवं प्रशिक्षण	680	5100	5100	6120		**17000**
9.	ग्रुप लिंकड विद् बैंक्स		1785	13579	6779	958	**23100**

ट्रांजिक्शन बेस्ड मोनीटरिंग टूल ''साख दर्पण''

- एमपॉवर, आरआरएलपी तथा एनआरएलएम के माध्यम से क्रियान्वित होने वाली परियोजनाओं की सुचारु मोनीटरिंग हेतु **एक गांव कम्पनी के माध्यम से ट्रांजिक्शन बेस्ड मोनीटरिंग टूल विकसित कराया गया है।** इस टूल के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों के द्वारा की जा रही बैठकों, बचत, ऋण का आदान–प्रदान एवं अन्य गतिविधियां कम्प्यूटराईज्ड होगी।

रिसोर्स ब्लॉक Strategy

- SERP हैदराबाद के साथ RRLP के 10 रिसोर्स ब्लॉकों में CRP प्रदान करने हेतु MOU किया जा चुका है।
- SERP से 20 PRP व 20 CRP टीमें फरवरी–मार्च 2013 में जयपुर पहुंच रही है जो RRLP के 5 रिसोर्स ब्लॉको में काम शुरु करेंगी।

Intensive ब्लॉक Strategy

- RRLP के अन्तर्गत 12 ब्लॉक **Intensive** ब्लॉक **Strategy** के लिए चिन्हित किये गये है।
- 20 CRP टीमो ने (दौसा व धौलपुर के 3 ब्लॉको में 04.02.2013 से व चूरु व डूंगरपुर के 2 ब्लॉको में 11.02.2013) से कार्य शुरु कर दिया है।

माह मार्च, 2013 तक की कार्य योजना

- राज्य के 10 जिलों में 42 पीएफटी की स्थापना कर कार्यक्रम की सभी गतिविधियों का
- पूर्ण रुपेण क्रियान्वयन प्रारम्भ।
- 3105 स्वयं सहायता समूहों का गठन/कोओपशन।
- 3000 स्वयं सहायता समूहो का बैंक खाता खोलना।
- 102 क्लस्टर डवलपमेंट ऑर्गनाईजेशन का गठन/कोओपशन ।
- कुल 1600 स्वयं सहायता समूहों को ट्रांच–1 उपलब्ध करवाया जायेगा।
- आर.आर.एल.पी. परियोजना में गठित 980 समूहों का ट्रांजेक्शन बेस्ड डेटा फीडिंग।

मिटीगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान (एमपॉवर)

परिचय

- राज्य सरकार द्वारा जोधपुर संभाग के छःजिलो में अन्तराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) की सहायता से पश्चिमी राजस्थान गरीबी शमन परियोजना (Mitigating poverty in western Rajasthan) MPOWER परियोजना स्वीकृत की गई है। राज्य के जोधपुर संभाग के बायतु (बाड़मेर), सॉकडा (जैसलमेर), बाप (जोधपुर), सांचौर (जालौर), बाली (पाली) तथा आबूरोड (सिरोही) पंचायत समितियों में यह परियोजना संचालित की जा रही है। इन पंचायत समितियों में राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित किये गये गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शत–प्रतिशत बीपीएल परिवार परियोजना के लक्षित समूह होंगे। परियोजना की प्रस्तावित अवधि छः वर्ष है। इस परियोजना से 245 ग्राम पंचायतो के 1040 ग्रामों के लगभग एक लाख परिवारो को सीधे तौर पर लाभान्वित होगे।

परियोजना लागत

- परियोजना की कुल लागत 415 करोड़ रूपये है जिसमें आईफैड का 124 करोड रूपये, राज्य सरकार का 87.50 करोड रूपये, लाभान्वितो का अंशदान 10.50 करोड रूपये, बैको के माध्यम से स्वयं सहायता समूहो को ऋण के रूप में 180 करोड रूपये एवं सर रतन टाटा ट्रस्ट से अनुदान के रूप में 13 करोड रूपये सम्मिलित है।

उद्देश्य

- गरीब परिवारों के स्थाई आजीविका के अवसरों का सृजन करना ताकि गरीब परिवारों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार हो सके । इस परियोजना के विशिष्ठ उद्देश्य निम्नानुसार हैं–
  - **अ.** अकाल की सम्भावनाओं को कम करना एवं जल सुरक्षा मुहैया करना।
  - **ब.** आय में वृद्धि एवं रोजगार सृजन
  - **स.** बाजार की आवश्यकतानुसार उत्पादकता मे सुधार।
  - **द.** उत्पादकों की उनके उत्पादनों के उचित मूल्य प्राप्ति हेतु बाजार तक पहुॅच तथा इस हेतु Backward एवं Forward Linkages की स्थापना।
  - **य.** महिलाओं पिछडों एवं निराश्रित जनों को मुख्य धारा में लाने हेतु उनका सशक्तिकरण करना।
  - **र.** राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं मे उपलब्ध राशि का उपयोग परियोजना से समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित कर सुनिश्चित करना।
- इस योजनान्तर्गत आजीविका गतिविधियो के साथ–साथ सामुदायिक आधारभूत विकास (Infrastructure Development) कार्य हेतु रूपये 104 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। जिसका उपयोग सूखे के प्रभाव को कम करने, प्रचलित आजीविका कौशल को संरक्षित करने एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से मेड बन्दी,खेत तलाई, मृदा सुधार हेतु गतिविधिया,उधानिकी,कुओं का निर्माण,चारागााह विकास ,चारे के प्रसंस्करण एवं भण्डारण तथा उत्पादकता एवं विपणन व्यवस्था

हेतु सी.एफ.सी. (Common Facility Centre) निर्माण आदि कार्यो हेतु किया जावेगा।

परियोजनान्तर्गत विशिष्ट नवाचार

अ. परियोजना के संसाधनों से प्रेरक राशि उपलब्ध कराने के साथ–साथ क्षेत्र में क्रियान्वित होने वाली अन्य सरकारी योजनाओं विशेष रूप से राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के साथ सामंजस्य (convergence) स्थापित कर उपलब्ध कोष एवं कार्यों को डोवटेल किया जावेगा, जिससे परियोजना संसाधनो में महत्वपूर्ण वृद्धि सम्भव होगी।

ब. परियोजना के दौरान गॉव के सभी वर्गों में समानता के मुद्दो को महत्व दिया जाएगा।

स. स्वयं सहायता समूहों को क्रय–विक्रय समूहों में (मार्केटिग ग्रुप्स्) विकसित कर उन समूहो को लघु उद्यमी के रूप विकसित किया जावेगा। इस प्रकार परियोजना क्षेत्र मे सामाजिक सशक्तिकरण को आर्थिक सुदृढीकरण में परिवर्तित किया जाएगा।

उपलब्धियॉ

- बैस लाईन सर्वे किया जा चुका है।
- सभी ब्लॉक मे RIM सर्वे का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

संचालन समितियॉ

- राज्य परियोजना संचालन समितियां (SPSC) परियोजना संचालन समिति (PSC) एवं जिला परियोजना संचालन समितियों (DPCC) का गठन किया जाकर नियमित बैठके करवाई जा रही है।
- परियोजना की बेबसाईट विकसित की जा चुकी है। (www.mpowerraj.in) तथा नियमित प्रविष्टिया दर्ज करवाई जा रही है।
- परियोजना कार्मिको की दो दिवसीय आमुखीकरण प्रशिक्षण तथा M&E की कार्यशाला सम्पन्न करवाई जा चुकी है।
- सभी परियोजना प्रबन्धको को हरिशचन्द्र माथुर प्रशिक्षण केन्द्र में राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान वित्तीय एवं लेखा नियमों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण दिलवाया जा चुका है।
- IFAD Procurement Guideline की जानकारी देने एवं वित्तीय प्रबन्धन हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला करवाई जा चुकी है।
- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिक के तहत CMIS का कार्य परियोजना की सहभागी संस्था सर रतन टाटा ट्रस्ट द्वारा करवाया जा रहा है। ,
- कुल छः विकास खण्डो मे 13 गैर सरकारी संगठन कार्यरत है। एवं FNGO,s द्वारा कार्मिको का पदस्थापन भी किया जा चुका है।
- सामुदायिक नियमावली विकसित की गई है।
- वित्तीय नियमावली का राज्य परियोजना संचालन समिति (SPSC) से अनुमोदन होने के पश्चात् इसे लागू कर दिया है।

बुनियादी सामुदायिक संस्थाओं का सशक्तिकरण

- 4451 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है और उनके द्वारा राशि परिचालन शुरू हो चुका है। इनकी कुल बचते 357 लाख रूपये है।
- दिसम्बर 2012 तक 357 लाख रूपये की कुल बचत एवं स्वयं सहायता समूहो के सदस्यो के बीच में आपसी ऋण 272 लाख रूपये का हो चुका है।
- 624 स्वयं सहायता समूहों को ऋण के लिये बैकों से सम्बन्धित (Bank Linkage) किया जा चुका है।
- 3081 स्वयं सहायता समूहों को उनके स्व मूल्यांकन (Self Grading) के आधार पर रिवोलविंग फण्ड के रूप में 308.1 लाख रूपये परियोजना के माध्यम से दिये जा चुके है।
- परियोजना के अन्तर्गत अधिकारियों एवं कार्मिको के विभिन्न विषयों पर 47 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गए । पंचायती राज प्रतिनिधियों के लिए 5 कार्यशालाए आयोजित की गई ।
- स्वयं सहायता समूहो के लिये वित्तीय सेवाओ की उपलब्धता को बढावा देने के लिये यूको बैक, एस.बी.बी.जे. और 5 सहकारी बैको से अनुबन्ध किया जा चुका है।
- बैक अधिकारियो की तीन एक दिवसीय कार्यशालाए एवं परियोजना क्षेत्र के शाखा प्रबन्धको के 2 दिवसीय 2 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गए।

आजीविका

- 1537 युवाओं को विभिन्न विषयों में यथा सिक्योरिटी गार्ड, सिलाई मशीन ऑपरेटर एवं कम्प्यूटर ऑपरेटरो को प्रशिक्षित किया गया। इनमें से 345 युवाओं को संगठित क्षेत्रो में रोजगार दिया जा चुका है। वही 800 अन्य युवाओं को आरसेटी, आरएमओएल, आईएल एण्ड एफएस, आईएचएम और अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा इसी वित्तिय वर्ष में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- परियोजना क्षेत्र मे 472 फसल प्रदर्शन करवाकर किसानों की आजीविका बढाने के प्रयास किये गये है।
- 910 गांवों में पशु टिकाकरण आयोजित किए गए।
- 12810 परिवारों में महिला श्रम भार में कमी (Drudgery Reduction Activities) का क्रियान्वयन।

सामुदायिक आधारभूत विकास कोष

- आजीविका कौशल को स्थिर करने एवं उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु परियोजना क्षेत्र के 830 गॉवो की विकास योजना तैयार कर उनके 218 आजीविका आधारित सामुदायिक आधार भूत विकास गतिविधिया। जिसमें चारागाह विकास एवं खडीन निर्माण आदि सम्मिलित हैं, की पहचान कर महानरेगा कार्ययोजना मे सम्मिलित कर क्रियान्वयन किया जा रहा है।

- व्यक्तिगत लाभ (केटेगरी –IV) के कार्यो की पहचान कर कुल 27 करोड रूपये के कार्य महानरेगा योजना के साथ कन्वर्जेन्स कर करवाया जाने हेतु महानरेगा की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कर क्रियान्वयन किया जा रहा है।

वित्तीय प्रगति

- परियोजना हेतु वर्ष वार बजट आंवटन एवं किये गये व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रम संख्या	वर्ष	बजट प्रावधान	संशोधित प्रावधान	व्यय राशि		
				परियोजना कोष	S.R.T.T.	कुल
1	08-09	50.00	50.00	2.42	0.00	2.42
2	09-10	839.00	690.00	107.31	19.00	126.31
3	10-11	1400.00	850.00	480.57	27.18	507.75
4	11-12	2400.00	2288.00	600.75	52.12	652.87
5	12-13	2962.00	1115.69	402.79	65.71	468.50
कुल		7651.00	4993.69	1593.84	164.01	1757.85

बायोफ्यूल प्राधिकरण–राजस्थान

परिचय

- बायो–फ्यूल ईंधन ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों के रूप में उभर कर आया है, जिसके द्वारा ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। डीजल के विकल्प के रूप में बायो–फ्यूल ईंधन के प्रति जागरूकता बढ़ी है। राजस्थान की बंजर भूमि में रतनजोत व अन्य समकक्ष तैलीय पौधों की खेती के द्वारा बायो–फ्यूल के उत्पादन की प्रबल संभावनाओं को देखते हुए वर्ष 2005–06 में माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में **''बायो–फ्यूल मिशन''** का गठन किया गया। मिशन के उद्देश्यों के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य में बायो–फ्यूल पॉलिसी घोषित कर अलग से बायो–फ्यूल प्राधिकरण (BFA) का गठन किया गया है। राज्य के 12 जिले (बारा, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, राजसमन्द, सिरोही, उदयपुर एवं प्रतापगढ़) रतनजोत एवं अन्य समकक्ष तैलीय पौधों के उत्पादन के लिए उपयुक्त पाए गए हैं।

उद्देश्य

- बायोफ्यूल प्राधिकरण का उद्देश्य रतनजोत, करंज व अन्य समकक्ष तैलीय पौधों की खेती, अनुसंधान प्रसंस्करण, विपणन और आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है। इससे संबंधित क्षेत्र में बंजर भूमि का विकास होगा तथा आय, रोजगार एवं औद्योगिक विकास को एक नई दिशा मिलेगी, ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त गरीबी को दूर करने में मदद मिलेगी तथा राज्य का चहुँमुखी विकास संभव हो सकेगा।

मुख्य बिन्दु

- जिले में उपलब्ध काश्त योग्य बंजर भूमि का न्यूनतम 70 प्रतिशत भाग बी.पी.एल. परिवारों के स्वयं सहायता समूहों, ग्राम पंचायत, कृषि सहकारी समिति एवं पंजीकृत समिति एवं ग्रामीण वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति को आवंटित की जावेगी। जिसमें बी.पी.एल. परिवारों के स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता दी जावेगी। शेष काश्त योग्य बंजर भूमि, अधिकतम 30 प्रतिशत भाग, भारतीय कम्पनीज एक्ट 1956 में पंजीकृत निजी कम्पनियों एवं राजकीय उपक्रमों को आवंटित करने का प्रावधान है।
- उन राजकीय उपक्रम एवं निजी कम्पनियों को प्राथमिकता (preference) दी जावेगी जिसमें बायो–फ्यूल हेतु रतनजोत, करंज व अन्य समकक्ष तैलीय पौधों की खेती के साथ–साथ निम्न कार्य किया जावेगा –
  - प्रसंस्करण इकाई की स्थापना
  - बायो डीजल रिफाईनरी की स्थापना
  - पैकेज ऑफ प्रेक्टिस हेतु अनुसंधान एवं विकास कार्य
  - उच्च गुणवत्ता की पौध एवं बीज के विकास हेतु नर्सरी स्थापना
  - रतनजोत, करंज एंव अन्य समकक्ष तैलीय पौधों की खेती
- बायो–फ्यूल उद्योग में रोजगार एवं कृषि कार्यो में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध करवाया जावेगा

- जिले के निर्धारित क्षेत्र में बायो–फ्यूल प्राधिकरण द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्पादित रतनजोत की खरीद की जावेगी।
- राजफैड द्वारा रतनजोत की 9/– रूपये प्रति किलो के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है।
- वित्त विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 135 दिनांक 09.03.08 के द्वारा रतनजोत, क्रूड बायोडीजल एवं 100 प्रतिशत बायो डीजल (B-100) को VAT से मुक्त कर दिया गया है।

उपलब्धियां

- चिन्हित 12 जिलों के कलक्टर्स द्वारा कुल 41127 हैक्टेयर बंजर भूमि चिन्हित की गई हैं। जिसमें से 12858.50 हैक्टेयर भूमि आंवटित की जा चुकी हैं। 8436.95 हैक्टेयर भूमि 941 स्वयं सहायता समूहों को (बीपीएल परिवारों के) तथा 4421.56 हैक्टयर 418 ग्राम पंचायतों को रतनजोत की खेती हेतु गैर खातेदारी आधार पर आंवटित की जा चुकी है।
- भू–संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005–06 और 2006–07 में क्रमशः रू 225 लाख व रू. 500 लाख कुल 725.00 लाख रतनजोत पौधारोपण हेतु आंवटित किये गये थे। राशि से जिलो में रतनजोत के पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है। माह दिसम्बर, 2012 तक की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियां निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

वर्ष	लक्ष्य (पौध तैयार करने का)	उपलब्धियॉ (पौध तैयार करने की)	पौधारोपण	राशि का उपयोग
2006–07	75.00	66.00	61.00	176.80
2007–08	174.00	147.81	134.01	292.80
2008–09	38.85	46.63	46.63	124.50
2009–10	30.75	9.94	6.83	25.86
2010–11	22.10	9.41	9.41	19.36
2011–12	24.08	7.58	7.49	6.49
2012–13 (दिसम्बर,12तक)	26.08	10.25	1.99	–

- भारत सरकार द्वारा राजसमन्द जिले के कुम्भलगढ़ खण्ड में तथा बांसवाड़ा जिले के गढ़ी खण्ड में रतनजोत के मॉडल के रूप में एक पायलेट प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है जिसके अन्तर्गत पौधारोपण का कार्य पूर्ण हो गया है। इस परियोजना में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर एवं शुष्क वन अनुसंधान केन्द्र, जोधपुर का तकनीकी सहयोग लिया जा रहा है।
- वर्ष 2011–12 से रतनजोत के पौधारोपण का कार्य नरेगा के माध्यम से कराया जा रहा है।

राजस्थान वेस्टलैण्ड डवलपमेन्ट बोर्ड

- राज्य बंजर भूमि विकास, बंजर भूमि विकास से संबंधित सभी विभागों, केन्द्र सरकार व राज्य सरकार में समन्वय स्थापित कर बंजर भूमि पर एकीकृत रूप से जल एवं भू–संरक्षण कार्य, सामाजिक वानिकी, चारागाह विकास व बायोफ्यूल गतिविधियों हेतु समुचित रूप से दीर्घकालीन योजना तैयार कर क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित करने एवं बंजर भूमि पर किए वृक्षारोपण से प्राप्त उत्पादों के विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में राजस्थान वेस्टलैण्ड डवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया है।

बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 14.10.2009 को आयोजित हुई जिसमें :–

1. राज्य में उपलब्ध बंजर भूमि का श्रेणीवार (पंचायत भूमि, चारागाह भूमि, राजस्व भूमि, वनभूमि, अनाधिकृत कब्जे वाली बंजर भूमि इत्यादि) एवं पंचायत समिति अनुसार विवरण जिला कलक्टर्स द्वारा तैयार कर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने,
2. राज्य में उपलब्ध बंजर भूमि का चिन्हिकरण कर उसको अन्य योजनाओं के साथ विकसित करने,
3. राज्य में विदेशी बबूल को जड़ से उखाडकर कोयला बनाने पर पाबन्दी लगाने जैसे निर्णय लिए गए हैं।

- बिन्दु संख्या 3 की क्रियान्विति हो चुकी है। बिन्दु संख्या 1 के सम्बन्ध में 24 जिलों से सूचना प्राप्त हो गई है जिसे वेबसाईट पर डाल दिया गया है। शेष 9 जिलों से सूचना प्राप्त की जा रही है।

निगरानी तंत्र

परिचय

- विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन आधारभूत सुविधाओं के विकास एवं क्षेत्रीय विकास के असंतुलन को दूर करने हेतु केन्द्र एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु यह आवश्यक है कि विभाग द्वारा क्रियान्विति योजनायें उनके लिये निर्धारित किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार क्रियान्वित की जावे, जिससे ग्रामीण गरीबों एवं कम विकसित क्षेत्रों को पूरा लाभ मिल सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा सम्पूर्ण निगरानी तंत्र की व्यवस्था की गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

मासिक प्रगति रिपोर्ट

- विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं की मासिक प्रगति रिपोर्टों का संकलन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर किया जा रहा है। पंचायत समितियां मासिक प्रगति सम्बन्धित ग्राम पंचायतों से प्राप्त कर उसके संकलन के उपरान्त जिला परिषद् को प्रेषित करती हैं। जिला परिषदों द्वारा प्रगति संकलित कर सम्बन्धित कार्यक्रम प्रभारियों को प्रेषित की जाती है। कार्यक्रम प्रभारियों से प्राप्त प्रगति के आधार पर मुख्यालय स्थित मोनिटरिंग एवं मूल्यांकन अनुभाग द्वारा राज्य स्तर पर सभी योजनाओं की योजनावार एवं जिलेवार इकजाई प्रगति के प्रपत्र तैयार कर उच्च अधिकारियों को गत वर्ष से तुलनात्मक स्थिति मय समीक्षात्मक टिप्पणी के प्रस्तुत किये जाते हैं। उक्त प्रगति के आधार पर जिन जिलों की प्रगति कम है, उन्हें प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव महोदय की ओर से अ0शा0 पत्र प्रेषित कर आवश्यक निर्देश दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम प्रभारियों द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की प्रगति निर्धारित प्रपत्रों में मासिक/ त्रैमासिक भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय को समीक्षा हेतु प्रेषित की जाती हैं।

ऑन–लाईन निगरानी

- जिलों द्वारा ग्रामीण विकास की योजनाओं की प्रगति ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाईट पर ऑनलाईन किये जाने से मासिक प्रगति प्रतिवेदनों की रिपोर्टिंग की गुणवत्ता एवं समय बद्धता में सुधार हुआ है तथा योजनाओं की नियमित समीक्षा को आधार प्रदान हुआ है। इसके अतिरिक्त विस्तृत एम.आई.एस. हेतु राज्य योजनाओं के प्रपत्रों में आवश्यकता अनुसार संशोधन करते हुए जिलों से ऑन–लाईन प्रगति प्राप्त करने हेतु साफ्टवेयर तैयार किया जाकर ऑनलाईन प्रगति प्राप्त की जा रही है।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र/लेखा परीक्षा रिपोर्ट

- विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत जिलों को दी जाने वाली राशि की रिलीज के लिये अपनाई गई कार्यविधि में यह निर्धारित किया गया है कि जिला परिषद

(ग्रा.वि.प्र.) इस आशय का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें कि निधियों का उपयोग उस उद्देश्य के लिये किया गया है जिसके लिये ये स्वीकृत की गई थी और निधियों को अन्यत्र नहीं लगाया गया है। दूसरी और परावर्ती किश्तों की रिलीज के लिये लेखों तथा रिपोर्टों की लेखा परीक्षा एक पूर्व शर्त है। जिला परिषद को सलाह दी गई है कि वे उपयोगिता प्रमाण–पत्र की प्रामाणिकता सुनिश्चित करें। इन दस्तावेजों की मांग होने से निधियों के अन्यत्र उपयोग, यदि कोई हो पर भी रोक लगती है।

क्षेत्र दौरे

- राज्य स्तर पर विभाग में कार्यरत वरिष्ठ अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जिले एवं गांवों का नियमित दौरा करने हेतु जिलों का आवंटन किया गया है। अधिकारियों को उनके आवंटित जिलों में प्रत्येक माह में एक बार क्षेत्रीय निरीक्षण किया जाता है। इसी प्रकार जिला स्तर एवं पंचायत समिति स्तर पर पदस्थापित विभागीय अधिकारियों के भी क्षेत्र निरीक्षण हेतु प्रावधान किया हुआ है। मुख्यालय के अधिकारियों एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट में कार्यक्रम के तहत पायी गई कमियों एवं आवश्यक सुझावों को ध्यान में रखते हुए नीतिगत निर्णय लिये जाकर सम्बन्धित विभाग/जिलों को आवश्यक निर्देश दिये जाते हैं।

सतर्कता और निगरानी समितियां

- सतर्कता और निगरानी समितियों की भूमिका और गतिविधियों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उन्हे विभागीय योजनाओं के कार्यक्रमों की क्रियान्विति की प्रभावी निगरानी का महत्वपूर्ण जरिया बनाने के लिये प्रत्येक राज्य क्षेत्र और प्रत्येक जिले के लिये इन समितियों को राज्य क्षेत्र और जिला स्तर पर अगस्त, 2009 में पुनर्गठित किया गया है। सभी संबद्ध लोगों को इन पुनर्गठित समितियों की संरचना, भूमिका और कार्यों के बारे में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। तय किया गया है कि इन समितियों की बैठकें त्रैमासिक आधार पर आयोजित की जावें। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राज्य समिति की अध्यक्षता करते हैं, जबकि नामित संसद सदस्य जिला सतर्कता एवं निगरानी समितियों की अध्यक्षता करते हैं।
- समितियों को ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकार के साथ प्रभावपूर्ण संबंध और समन्वय करना होता है ताकि सभी योजनाएं कार्यक्रम दिशा–निर्देशों के अनुसार क्रियान्वित की जा सके।

ई–गवर्नेंस क्रियाकलाप

- विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों एवं उनकी उपलब्धियों की जानकारी, निगरानी हेतु विभागीय वेबसाईट www.rdprd.gov.in का 5 जुलाई 2006 को शुभारम्भ किया गया है। विभागीय वेबसाईट पर विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की मार्गदर्शिका, महत्वपूर्ण परिपत्र/आदेश, प्रगति आदि की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है।

मुख्यमंत्री सूचना तंत्र (CMIS)

- माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा CMIS सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है जिसके माध्यम से विभाग द्वारा क्रियान्वित प्रमुख योजनाओं की प्रगति, बजट भाषण एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा समय–समय पर की गई घोषणाओं, दिये गए निर्देशों, कार्ययोजना आदि की प्रगति मुख्यमंत्री कार्यालय को ऑनलाईन प्रेषित की जाती है।

महत्वपूर्ण बैठकें

- मुख्यालय पर महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव/शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में समय–समय पर बैठकें आयोजित की जाती है। इससे विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों के निस्तारण में तेजी आयी है।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव/शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति की जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ समय–समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश दिये जाते हैं।

वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग

- ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों के तत्काल समाधान हेतु जिला कलक्टर्स एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ प्रत्येक माह वीडियो कॉन्फ्रेन्स आयोजित कर विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की जाती है। कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों का तत्काल समाधान कर प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश दिये जाते हैं।

राष्ट्रस्तरीय मोनिटर्स (NLM)

- ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणात्मक सुधार एवं गहन मोनिटरिंग करने हेतु राष्ट्र स्तरीय मोनिटर्स (**NLM**) का मनोनयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सिविल एवं रक्षा सेवाओं के सेवा निवृत्त अधिकारियों में से किया जाता है। उक्त मनोनीत अधिकारी उन्हे आवंटित जिलों में मंत्रालय की योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में जिला, पंचायत समिति एवं ग्राम स्तर पर निरीक्षण कर क्रियान्वयन में पाई गई कमियों एवं सुझावों को प्रतिवेदन में समावेश करते हुये प्रतिवेदन मंत्रालय को प्रस्तुत करते हैं। जिसके आधार पर मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से प्रतिवेदन में पाई गई कमियों एवं दिये गये सुझावों के संबंध में अनुपालना सुनिश्चित की जाती है।

इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान

- इंदिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान एक स्वशासी पंजीकृत संस्था के रूप में दिनांक 25.3.1989 से कार्यरत है, जिसका मुख्य उद्देश्य पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास से विभिन्न स्तरों पर जुड़े जनप्रतिनिधियों एवं संबंधित पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देना है। संस्थान को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद द्वारा क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में वर्ष 1999 में मान्यता प्रदान की गई है।
- संस्थान में संचालित विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं एवं गतिविधियों की प्रगति का विवरण निम्नानुसार हैः–

(I) पंचायती राज प्रकोष्ठ

1. पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित पाँच विभागों की योजनाओं तथा ग्रामीण पेयजल व स्वच्छता कार्यक्रमों सन्दर्भित रिफ्रेशर प्रशिक्षण अभियान : 2012

- वर्ष के दौरान प्रदेश के समस्त पंचायती राज जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण अभियानः 2012–मई से जुलाई,12 के दौरान संपादित किया गया, जिसके तहत–पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित पांच विभागों के संदर्भ में, उनकी भूमिका, दायित्वों एवं विभागवार योजनाओं पर अद्यतन कर, प्रदेश के सभी पंचायती राज जनप्रतिनिधियों व कार्मिकों का अभिनवन किया जा चुका है। अभियान का संचालन केन्द्र सरकार की आरजीएसवाई व बीआरजीएफ योजनाओं की अनुदान राशि से हुआ। अभियान के तहत 04 कार्यशालाएं राज्य स्तर पर क्रमशः–ज़िला प्रमुख, सीईओ एवं एसीईओ, तथा हस्तान्तरित पांच विभागों के ज़िलाधिकारियों हेतु–02 संयुक्त बैचों में एवं 02 प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण–संभाग स्तरीय व ज़िला स्तरीय प्रशिक्षक दल सदस्यों हेतु संपादित कर, 165 प्रशिक्षक तैयार किये गए। 19 कार्यशालाएं–ब्लॉक प्रशिक्षक दल सदस्यों हेतु, 16 विकेन्द्रित स्थलों पर संपादित कर–लगभग 1250 ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षक तैयार किये गये। विकेन्द्रित अभियान के तहत, 07 कार्यशालाएं संभाग स्तर पर–प्रधान, विकास अधिकारी, हस्तान्तरित विभागों के ब्लॉक अधिकारीगण हेतु संयुक्त बैचों में संपादित हुईं। प्रदेश की सभी 248 पंचायत समितियों में 03 प्रकार की कार्यशालाएं क्रमशः–पंचायत समिति सदस्यों एवं ब्लॉक अधिकारियों हेतु, सरपंचों व ग्राम सेवकों हेतु तथा वार्ड पंचों के 03 शिविर प्रति पंचायत समिति आयोजित की गईं।

- इस प्रकार प्रदेश में समस्त पंचायती राज जनप्रतिनिधिगण एवं हस्तान्तरित विभागों के अधिकारीगण को राज्य एवं संभाग स्तरों पर तथा पंचायत स्तर के सरपंचों, ग्राम सेवकों एवं वार्ड पंचों को पंचायत समिति स्तर पर, रिफ्रेशर

प्रशिक्षणः 2012 के तहत 1280 कार्यशालाएं विभिन्न स्तरों पर संपादित कर, पांच हस्तान्तरित विभागों की योजनाओं को समझने एवं उनमें टीम भावना अभिप्रेरित समन्वयन की सोच बनाने के अभिनवन का सुअवसर दिया गया, जिसमें लगभग 1.20 लाख पंचायती राज प्रतिनिधि एवं कार्मिक लाभान्वित हुए। इस रिफ्रेशर प्रशिक्षण अभियान की प्रशिक्षक–प्रशिक्षण कार्यशालाएं –यूएनडीपी एवं यूनिसेफ के सहयोग से सम्पन्न हुईं। संस्थान द्वारा सृजित प्रशिक्षण मॉड्यूल्स एवं संदर्भ सामग्री (06 पुस्तकें एवं 06 जन–चेतना पोस्टर्स) का सेट–यूनिसेफ एवं सीसीडीयू के वित्तीय सहयोग से प्रकाशित कर, समस्त प्रशिक्षणों में वितरण हेतु सुलभ कराया गया।

2. **पेसा–अधिनियम,1999 व नियम, 2011, से अद्यतन कराने हेतु प्रदेश के जनजाति उपयोजना क्षेत्र के 05 ज़िलों, 26 पंचायत समितियों एवं 1040 ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों का प्रशिक्षण : 2012**

- संस्थान द्वारा सृजित प्रशिक्षण मॉड्यूल्स व संदर्भ सामग्री के आधार पर, बीआरजीएफ योजना अनुदान राशि से–माह सितम्बर से नवम्बर, 2012 के दौरान उक्त प्रशिक्षण अभियान संपादित किया गया, जिसके फलस्वरूप जनजाति बाहुल्य क्षेत्र की पंचायती राज संस्थाओं व ग्राम सभाओं की शक्तियों व दायित्वों पर, समस्त जनजाति उपयोजना क्षेत्र (पेसा क्षेत्र) के पंचायती राज जनप्रतिनिधियों व कार्मिकों को पेसा कानून व नियमों के तहत उनके विशेषाधिकारों व भूमिकाओं के प्रति अद्यतन करने हेतु–01 राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण संस्थान स्तर पर, 02 क्षेत्रीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, 05 ज़िला परिषद् स्तरीय ज़िला परिषद् सदस्यों, अधिकारियों एवं पेसा क्रियान्वयन संबंधित ज़िला अधिकारियों की ज़िला स्तरीय कार्यशालाएं, 26 पंचायत समिति स्तरों पर (पेसा ब्लॉक्स)– 26 कार्यशालाएं पंचायत समिति सदस्यों एवं ब्लॉक अधिकारियों हेतु, 26 कार्यशालाएं पेसा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के सरपंचों व ग्राम सेवकों हेतु तथा 78 कार्यशालाएं–प्रत्येक पंचायत समिति 03 शिविर के आधार पर–वार्ड पंचों हेतु संपादित की गईं, इस प्रकार कुल 138 कार्यशालाएं पेसा रिफ्रेशर अभियानः 2012 के तहत आयोजित की गईं–जिनमें लगभग 7750 संभागी–पेसा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी तथा स्वैच्छिक संस्था प्रतिनिधि पेसा कानून व नियम एवं पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर प्रशिक्षित हुए।

3. **यूएनवीमेन परियोजना एवं पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान (पीएमईवाईएसए) योजना के तहत महिला जनप्रतिनिधियों में जैण्डर संवेदी शासन हेतु नेतृत्व विकास** विषयक प्रशिक्षण मॉड्यूल्स का सृजन एवं प्रकाशन तथा महिला सभाओं के आयोजन हेतु मार्गदर्शिका का सृजन एवं प्रकाशन कर, प्रदेश के यूएनवीमेन परियोजना ज़िलों एवं संभाग स्तरीय ज़िला परिषदों के प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण संस्थान द्वारा 26–27 नवम्बर, 2012 को संपादित किया

गया, जिसमें–47 प्रशिक्षक तैयार किये गए। इसी प्रकार 10–11 जनवरी, 2013 के दौरान संस्थान स्तर पर–प्रदेश के सभी ज़िलों के 113 ज़िला प्रशिक्षक दल सदस्य प्रशिक्षित किये गए। इस महिला जनप्रतिनिधि केन्द्रित रिफ्रेशर प्रशिक्षण अभियान के तहत–यूएनवीमेन परियोजना ज़िलों–क्रमशः–अलवर, डूंगरपुर एवं टोंक में समस्त महिला ज़िला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्यों तथा समस्त महिला सरपंचों के विकेन्द्रित प्रशिक्षण संपादित किये जा रहे हैं एवं पीएमईवाईएसए योजना के तहत प्रदेश के सभी ज़िलों में महिला जनप्रतिनिधि–ज़िला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्यों तथा चुनिन्दा महिला सरपंचों की विकेन्द्रित कार्यशालाएं–माह दिसम्बर, 2012 से फरवरी, 2013 के मध्य संपादित की जा रही हैं, जबकि संभाग स्तरों पर महिला जनप्रतिनिधियों के सशक्तिकरण प्रशिक्षण 07 संभागों में माह दिसम्बर, 2012 में ही संपादित किये जा चुके हैं।

- इस प्रकार महिला जनप्रतिनिधि सशक्तिकरण हेतु जैण्डर संवेदी शासन व नेतृत्व विकास अभियान के तहत–03 राज्य स्तरीय कार्यशालाएं, 07 संभाग स्तरीय कार्यशालाएं, 33 ज़िला स्तरीय कार्यशालाएं एवं यूएनवीमेन परियोजना ज़िलों में–15 कार्यशालाएं ज़िला परिषद् एवं पंचायत समिति महिला सदस्यों व महिला सरपंचों हेतु मार्च, 2013 तक संपादित की जा रही हैं। इन 58 कार्यशालाओं के तहत प्रदेश की महिला जनप्रतिनिधियों को जैण्डर संवेदी शासन की सोच विकसित करने हेतु रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

4. यूएनडीपी–सीडीएलजी परियोजना के तहत नवाचार

- वर्ष के दौरान 02 राज्यों यथा–हिमाचल प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल के अध्ययन भ्रमण–जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों हेतु सम्पन्न कराये गए। एक शोध अध्ययन–''महिला जनप्रतिनिधियों की चुनौतियां, समस्याएं व स्थिति'' पर विकास अध्ययन संस्थान के माध्यम से संपादित कर–7 संभागों के 7 ज़िलों की महिला जनप्रतिनिधियों के साथ विचार–विमर्श एवं विश्लेषण आधारित अध्ययन प्रतिवेदन तैयार कर, प्रकाशित कराया गया। इसके अतिरिक्त एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (संभाग स्तरीय प्रशिक्षक दल सदस्यों हेतु) भी इस परियोजना के तहत संपादित किया गया–जिसमें लगभग 40 प्रशिक्षक तैयार किये गए, जिनके द्वारा रिफ्रेशर प्रशिक्षण अभियानः 2012 के तहत संभाग स्तर पर प्रधानगण, विकास अधिकारीगण एवं ब्लॉक स्तरीय पांच हस्तान्तरित विभागों के अधिकारियों का संयुक्त अभिनवन सम्पन्न कराया गया।

5. यूएनवीमेन समर्थित परियोजना की अन्य उल्लेखनीय गतिविधियां

- संस्थान के सहयोग से एक राष्ट्रीय कार्यशाला (3 अक्टूबर,12) एवं एक अर्न्तराष्ट्रीय सम्मिट (4 अक्टूबर,12) को–महिला जनप्रतिनिधियों के सशक्तिकरण हेतु आयोजित की गईं–जिनमें राष्ट्रीय कार्यशाला संस्थान में आयोजित की गई, जिसमें यूएनवीमेन परियोजना के पांच राज्यों की महिला जनप्रतिनिधियों एवं

परियोजना दलों के लगभग 150 संभागियों ने भाग लिया एवं अगले दिन होने वाली अर्न्तराष्ट्रीय सम्मिट के मुद्दों पर प्रोफेसर अनिता के मार्गदर्शन में समझ विकसित की।

- इसी प्रकार दिनांक 4 अक्टूबर,12 के अर्न्तराष्ट्रीय सम्मिट सत्र में दक्षिण एशिया के देशों की महिला जनप्रतिनिधियों के बीच अनुभवों के आदान–प्रदान सत्र हुए, जिसमें लगभग 300–350 संभागीगण ने भाग लिया। इस सम्मिट के उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि–श्रीमती मिशैल बैशले, अधिशाषी निदेशक, यूएनवीमेन, न्यूयॉर्क थीं एवं समापन सत्र की मुख्य अतिथि–राजस्थान की राज्यपाल श्रीमती माग्रेट आल्वा थीं। सम्मिट के पश्चात्, दिनांक 5 अक्टूबर, 12 को अलवर ज़िले की ग्राम पंचायत–बरड़ोद में विशेष ग्राम सभा का आयोजन, यूएनवीमेन अधिशाषी निदेशक के सान्निध्य में सम्पन्न हुआ, जिसमें हज़ारों ग्रामवासियों ने भाग लिया और महिला मुद्दों पर सघन चर्चा की।

6. प्रदेश में 19 नवम्बर, 2012 को सभी पंचायतों के स्तर पर महिला मुद्दों पर केन्द्रित विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया व उनमें महिला सभाओं के गठन एवं नियमित आयोजन हेतु प्रस्ताव भी लिये गये। इस निमित्त संस्थान की प्रोफेसर अनिता द्वारा महिला सभा गाईड बुक–बनाकर पंचायती राज विभाग को पंचायती राज संस्थाओं को प्रेषण हेतु उपलब्ध करायी गई।

7. उपरोक्तानुसार संस्थान के पंचायती राज प्रकोष्ठ द्वारा वर्ष के दौरान पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण हेतु 3 वृहद् रिफ्रेशर प्रशिक्षण अभियान संपादित किये गए–जिनमें पांच हस्तान्तरित विभागों से संबद्ध पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका विषयक प्रदेश व्यापी अभियान, पेसा कानून व नियम विषयक पेसा–क्षेत्र केन्द्रित अभियान एवं जैण्डर संवेदी शासन पर महिला जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व विकास हेतु प्रदेश व्यापी अभियान सफलतापूर्वक सम्पन्न कराये गए। इन अभियानों में जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु 3 प्रशिक्षण मॉड्यूल्स संकलन एवं उपयोगी सन्दर्भ सामग्री बतौर–10 पुस्तकों का सृजन (प्रोफेसर डॉ. अनिता द्वारा), प्रकाशन एवं समस्त पंचायती राज संस्थाओं तक प्रशिक्षणों के माध्यम से वितरण सुनिश्चित किया गया।

- पंचायती राज प्रकोष्ठ द्वारा यूएन समर्थित 2 परियोजनाओं–यूएनडीपी–सीडीएलजी एवं यूएनवीमेन का सुचारू संचालन तथा पंचायती राज मंत्रालय की 3 प्रमुख योजनाओं–आरजीएसवाई, बीआरजीएफ एवं पीएमईवाईएसए के तहत उपरोक्त वर्णित तीनों विकेन्द्रित प्रशिक्षण अभियानों का संपादन त्वरित गति से–दो से तीन माह प्रति अभियान के अन्तराल में सम्पन्न कराया गया।

8. उपरोक्त गतिविधियों के अतिरिक्त विभिन्न राष्ट्रीय कार्यशालाओं यथा–महिला जनप्रतिनिधियों के सशक्तिकरण व क्षमता विकास संबंधित पंचायती राज मंत्रालय द्वारा यशदा, पुणे में आहूत कार्यशाला (अक्टूबर, 2012), पेसा कानून की प्रभावी क्रियान्विति की राष्ट्रीय समीक्षा कार्यशाला (पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली–17.01.13) तथा यूएनडीपी के अगले कार्यक्रम (2013–2017) की परामर्श

कार्यशाला (जुलाई, 12) आदि में, राज्य का प्रतिनिधित्व कर, राज्य के प्रासंगिक अनुभव इन कार्यशालाओं में साझा किये गए।

(II) जलग्रहण विकास प्रकोष्ठ

1. भू–संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संस्थान को जलग्रहण क्षेत्र विकास आधारित प्रोजेक्ट "Capacity Building Programme under New Common Guidelines 2008" स्वीकृत किया गया, जिसकी स्वीकृत राशि रूपये 6.02 करोड़ में से रूपये 63,54,820 की राशि संस्थान को दिसम्बर 2009 में प्राप्त हो चुकी है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में उक्त प्रोजेक्ट में शेष रहे प्रशिक्षण कार्यों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

प्रशिक्षण कार्यशाला	प्रोजेक्ट में शेष रहे प्रशिक्षण बैचों की संख्या (2012–13)	प्रोजेक्ट में निर्धारित आवंटित प्रति बैच सम्भागी	प्रोजेक्ट में आवंटित कुल सम्भागी	संपादित प्रशिक्षण दिवस	IGPRS द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षार्णी
उपभोक्ता समूह	25	40	1000	3 दिवसीय	428
स्वयं सहायता समूह	30	35	1050	2 दिवसीय	200
ग्राम सभा सदस्य	58	100	5800	1 दिवसीय	6000
कुल					**6628**

- उपरोक्त "Capacity Building Project" आधारित विभिन्न स्तरों की प्रशिक्षण कार्यशालाओं में 6628 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा प्रदत्त प्रोजेक्ट के अन्तर्गत पूर्व के प्रशिक्षणों को सम्मिलित करते हुए सभी प्रशिक्षण पूरे कर लिये गये हैं।

2. निदेशालय, जलग्रहण विकास भू–संसाधन विभाग, जयपुर द्वारा IWMP मद से संस्थान के जलग्रहण प्रकोष्ठ द्वारा वर्ष 2012–13 में जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न स्तर की 39 कार्यशालाओं में 1667 संम्भागियो को प्रशिक्षित किया गया हैं।
3. सैटकाम द्वारा, 9 अगस्त 2012 को राज्य के ब्लाक स्तरीय राजीव गांधी सेवा केन्द्रो पर जल ग्रहण विकास क्षेत्र कें ग्राम सभा सदस्यों हेतु एक दिवसीय कार्यशाल आयोजित की गयी जिसमें 6000 सदस्यों से बडे उत्साह से भाग लिया। इतने बडे स्तर पर यह इस संस्थान द्वारा पहली कार्यशाला हैं। इसरो (ISRO) द्वारा तैयार की जा रही डॉक्यूमेन्ट्री फिल्म में इस कार्यशाला को भी सम्मिलित किया गया है।
4. एनआईआरडी, हैदराबाद द्वारा संस्थान में दो विशेष कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिसमें 65 संभागियों ने भाग लिया।
5. वर्ष 2012–13 में जलग्रहण विकास प्रकोष्ठ द्वारा कुल 8360 संभागियों को प्रशिक्षण दिया गया।

6. संस्थान द्वारा ''कैपीसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट न्यू कॉमन गाइडलाइन्स–2008'' भू–संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को 9 करोड़ का प्रोजेक्ट भेजा गया, जिसकी स्वीकृति संस्थान को प्राप्त हो चुकी है।

7. निदेशालय जलग्रहण विकास एंव भू.संरक्षण विभाग द्वारा जलग्रहण विकास क्षेत्र के ग्राम सभा सदस्यों हेतु जल ग्रहण विकास पुस्तिका तैयार की गई जिसकी 10 हजार प्रतियॉ राज्य के सभी ब्लाक स्तर तक भिजवादी गई है। पुस्तिका हेतु वित्तिय सहायता राशी रू 2,82,000/– निदेशालय जल ग्रहण एंव भू.संरक्षण द्वारा उपलब्ध करायी गई।

8. संस्थान को पूर्व में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त प्रोजेक्ट Capacity Building Programme के अन्तर्गत सभी प्रशिक्षण सम्पन्न हो गये हैं। निदेशालय, जलग्रहण विकास एवं भू सरंक्षण विभाग द्वारा 40 प्रशिक्षणों में 8230 सम्भागियों ने भाग लिया।

(III) एसआईआरडी प्रकोष्ठ :

- राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (SIRD) सन् 1988–89 से अपनी गतिविधियाँ HCM RIPA JAIPUR में संचालित करता था। सन् 1999 में इसका विलय इंदिरा गाँधी पंचायती राज संस्थान में किया गया। प्रत्येक राज्य में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, ग्रामीण विकास के विषयों में प्रशिक्षण हेतु स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर एवं राज्यों में स्थापित विभिन्न राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों हेतु, वित्तीय सहायता राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के समन्वय से भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग दिल्ली से प्राप्त की जाती है।

1. **केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान :**
केन्द्र सरकार से एसआईआरडी मद के अन्तर्गत वेतन तथा कार्यालय संचालन हेतु राशि प्राप्त होती है। विभिन्न संसाधनों के प्रस्ताव स्वीकृत किये जाते हैं, जैसे– हॉस्टल निर्माण कराना, जनरेटर सैट, कम्प्यूटर, प्रशिक्षण उपकरण इत्यादि क्रय करना। गत वर्ष कुल 73.84 लाख रूपये केन्द्र से वेतन – भत्तों हेतु आवर्तक मद में स्वीकृत किये गये । इस वर्ष आवर्तक मद में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रस्ताव समय पर भिजवाए दिए गए थें। सहायता प्राप्त किया जाना शेष है, जो कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय स्तर पर लंबित है।

2. **राज्य सरकार द्वारा अनुदान :**
राज्य सरकार द्वारा गैर आयोजना मद में वेतन की पूर्ण राशि दी जाती है तथा साथ ही उन पदों का 50 प्रतिशत वेतन भी दिया जाता है, जिनका शेष 50 प्रतिशत भाग एसआईआरडी मद में भारत सरकार से देय होता है।

3. **परियोजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान :**
इसके अन्तर्गत समय समय पर राज्य सरकार/भारत सरकार या अन्य किसी ऐजेन्सी द्वारा प्रशिक्षण हेतु राशि दी जा सकती है, जिसका व्यय केवल प्रशिक्षण कार्य पर होता है। इस समय पी आर आई, नरेगा, एसजीएसवाई, बीआरजीएफ, यूरोपियन कमिशन, वाटरशेड आदि योजनाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

4. **PG DSRD (Post Graduate Diploma in Sustainable Rural Development) Course :**

विगत वर्षों की भाँति, इस वर्ष भी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद के सहयोग से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ससटेनेबल रूरल डवलपमेन्ट प्रोग्राम आरम्भ किया गया, जो कि एक वर्ष का डिप्लोमा कार्यक्रम दो सेमेस्टर में आयोजित किया जाता है। परियोजना निदेशक एवं संयुक्त निदेशक (एसआईआरडी) इस प्रोग्राम के राजस्थान, एम. पी., महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, दिल्ली एवं गुजरात राज्य के प्रभारी समन्वयक है।

- तीन बैचों के प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर का कार्य एवं परीक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न हो चुकी है। चतुर्थ बैच का संचालन एवं परीक्षा शीघ्र ही संस्थान में आयोजित की जावेगी।

5. **बी.आर.जी.एफ. ग्रान्ट के अन्तर्गत तीनों पंचायत प्रशिक्षण केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण :**

वर्ष 2010 में तीनों पंचायत प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए बी.आर.जी.एफ. मद में 42.00 लाख प्रत्येक पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र के सुदृढ़ीकरण के लिए भारत सरकार से प्राप्त हुए थे। तीनों केन्द्रो का कार्य योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। इस कार्य हेतु तीनो पंचायत प्रशिक्षण केन्द्रों के कार्य क्षेत्र के जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अधिकृत किया गया है। छोटे मरम्मत कार्य को छोड़कर शेष कार्य सम्पन्न हो चुका है।

(IV) BRGF प्रकोष्ठ :

1. बैकवर्ड रीजन्स ग्रान्ट फन्ड (**BRGF**) केन्द्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की अभिनव योजना है। यह योजना वर्ष 2006 से 2012 तक देश के चयनित सबसे पिछडें 250 जिलों के लिये 100 प्रतिशत अतिरिक्त केन्द्रिय सहायता उपलब्ध करायगी। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (**BRGF**) कार्यक्रम के गठन का उद्देश्य–विकास में क्षेत्रीय असमानताएँ दूर करना हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने हुए जिलों में विकास के लिए आर्थिक सहायता दी जाती हैं। राजस्थान में (**BRGF**) कार्यक्रम के तहत चयनित जिलेः बांसवाड़ा, बाडमेर, चित्तौड़गढ, प्रतापगढ, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड, करौली, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर है।

2. (**BRGF**) समर्थित प्रशिक्षण अभियान वर्ष 2007–08 में इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर के नेतृत्व में जिला स्तर के अधिकारियों एवं बीआरजीएफ जिलों की समस्त 83 पंचायत समितियों के प्रशिक्षण दल सदस्यों को भी संस्थान स्तर से भी प्रशिक्षण किया गया था। इसी प्रकार बीआरजीएफ जिलों की समस्त ग्राम पंचायतों एवं ग्राम सेवकों हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की गई थी।

3. वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में बीआरजीएफ जिलों के ब्लोक स्तरीय प्रशिक्षण दल के सदस्यों का पुनश्चय आमुखीकरण प्रशिक्षण संस्थान स्तर पर आयोजित किया गया है। इन प्रशिक्षणों में ब्लोक स्तर से बी0डी0ओ0, सी0डी0पी0ओं,

पंचायत प्रसार अधिकारी, एनजीओं के प्रतिनिधि व जन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षत किया गया है। वर्ष 2009–10 अब तक 452 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षत किया गया है। इसके अतिरिक्त बीआरजीएफ के अन्तर्गत 576 बेयर फुट इंजिनियरस को तीनों पंचायत प्रशिक्षण केन्द्रों व जिला स्तर पर प्रशिक्षित किया गया है। वर्ष 2010–11 में बीआरजीएफ ग्रान्ट के तहत पंचायती राज विभाग में नव नियुक्त 129 कनिष्ठ अभियन्ताओं हेतु 12 दिवस का आधारभूत आवासीय प्रशिक्षण इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, जयपुर एवं पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र अजमेर, डूंगरपुर तथा मंडोर में दिनांक 29/11/2010 से 10/12/2010 तक सम्पादित किया गया। वर्ष 2010 में बीआरजीएफ प्लान प्लस के तहत इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में तीन प्रशिक्षण सम्पादित किये गये।

4. बीआरजीएफ के तहत विभिन्न प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण हेतु माह दिसम्बर 2009 में 687.75 लाख रूपयें एवं 2010–11 में मध्यवर्ती मूल्यांकन के लिये 60.00 लाख रूपये प्राप्त हुए है। इस राशि में इन्दिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में 60.00 लाख रूपये ऑडिटोरियम की मरम्मत पर व्यय किये गये एवं 126.00 लाख रूपये तीनो पंचायत प्रशिक्षण केन्द्रों (अजमेर, डूंगरपुर एवं मंडोर) के सुदृढ़ीकरण के लिये आंवटित किये गये। उक्त राशि में से करीब 226.50 लाख रूपये 13 बीआरजीएफ जिलों में पंचायती राज विभाग के नवनियुक्त जन प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण हेतु आवंटित किये गये एवं इस राशि से 40190 पंचायतीराज जन प्रतिनिधियों एवं 2908 अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण करवाया गया। वर्ष 2010–11 में 304 अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण इन्दिरा गांधी पंचायतीराज संस्थान द्वारा कराया गया जिस पर रू. 4.78 लाख व्यय हुआ। वर्ष 2010–11 में 2105 एवं 2011–12 में 245 ग्राम सेवकों का 10 दिवसीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण आर.के.सी.एल के माध्यम से कराया गया एवं इस पर रूपये 34.65 लाख व्यय हुआ। बीआरजीएफ के 13 जिलों में से 650 ग्राम सेवकों का पांच दिवसीय पुनश्चय प्रशिक्षण तीनों पंचायत प्रशिक्षण केन्द्रों अजमेर, डूंगरपुर एवं मण्डोर में आयोजित किया गया जिस पर रूपये 3.77 लाख व्यय किये गये। राज्य के 68 जन प्रतिनिधियों एवं सम्बन्धित अधिकारियों को आंध्रप्रदेश एवं महाराष्ट्र के पंचायती राज व्यवस्थाओं के अध्ययन हेतु भ्रमण पर ले जायेगा जिस पर 12.54 लाख रूपये व्यय हुआ। 66 नये विकास अधिकारियों को एक माह का संस्थानिक प्रशिक्षण कराया गया एवं उस पर 5.40 लाख रूपये का व्यय बी.आर.जी.एफ. से दिया गया। वर्ष 2011–2012 में 320 अधिकारियों/कर्मचारियों का प्लान प्लस एवं अन्य प्रशिक्षणों में प्रशिक्षित किया गया।

5. वर्ष 2012–13 में बीआरजीएफ योजना के रुपये 739.35 लाख प्राप्त हुए थे। इनमें से रुपये 158.19 लाख एवं 120.04 लाख की राशि जिला परिषद एवं पंचायत समिती को प्रशिक्षण हेतु अग्रिम दी गयी। प्रशिक्षण पूर्ण करा लिए गये है एवं उक्त राशि का समायोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार के आदेशानुसार रुपये 466.20 लाख विभिन्न जिलों को राजीव गॉधी सेवा केन्दों के फर्नीचर क्रय हेतु भेजे गये हैं।

6. वर्ष 2012–13 में 101 नवनियुक्त कनिष्ठ अभियन्ताओ का 12 दिवसीय आवसीय प्रशिक्षण सम्पादित कराया गया। कनिष्ठ अभियन्ताओ के 3 पॉच दिवसीय

प्रशिक्षण कम्पयूटर ऐण्डड डिजाईन एवं ऐस्टीमेंट प्रेपरेशन पर आयोजित किया जिसमें 38 कनिष्ठ अभियन्ताओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। पंचायती राज, ग्रामीण विकास एवं संस्थान के कुल 28 अधिकारी/कर्मचारियों को कम्पयूटर बैसिकस पर पॉच दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया। बीआजीएफ जिलो से पंचायत जनप्रतिनिधी, अधिकारीयों/कर्मचारियो हेतु पर 13 कार्यशालाए आयोजित की गई जिसमें 398 जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों ने भाग लिया। बीआरजीएफ योजना का मध्यवर्ती मूल्यांकन, एन.आई.आर.डी, हैदराबाद द्वारा कराया जा रहा हैं।

(V) एसजीएसवाई/एनआरएलएम प्रकोष्ठः–

- स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत संस्थान को राशि रूपये 128.89 लाख के आवंटन के विरूद्ध राशि रूपये 56.10 लाख प्रथम किश्त के रूप में योजनान्तर्गत प्रशिक्षण हेतु प्राप्त हुए हैं। एनआरएलएम प्रारम्भ होने के कारण उक्त राशि क उपयोग नहीं किया जा सका। योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के लिए दिनांक 07.01.2013 को संशोधित प्रशिक्षण प्रस्ताव राशि रूपये 129.77 लाख ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत किया जा चुका हैं।

विशेष परियोजनाएँ

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत निम्नलिखित विशेष परियोजनाओं का समन्वय संस्थान द्वारा किया जा रहा हैः–

1. एसजीएसवाई अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट हेतु विशेष परियोजना

- कार्यकारी संस्था का नाम– विश्वास संस्थान, उदयपुर
- परियोजना अवधि– 3 वर्ष
- परियोजना लागत– रूपये 526.48 लाख
- कार्यकारी संस्था को हस्तांतरित प्रथम किश्त की राशि–रूपये 131.62 लाख
- कार्यक्षेत्र – भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमन्द एवं बूंदी।
- प्रशिक्षित युवाओं की संख्या – 1300
- प्लेसमेंट किये गये युवाओं की संख्या– 900

2. एसजीएसवाई अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट हेतु विशेष परियोजना

- कार्यकारी संस्था का नाम– आई एल एण्ड एफ एस
- परियोजना अवधि– 5 वर्ष
- परियोजना लागत – रूपये 1488.47 लाख
  केन्द्र सरकार – रूपये 1116.36 लाख
  संस्था – रूपये 372.11 लाख
- कार्यकारी संस्था को हस्तांतरित प्रथम किश्त की राशि–रूपये 394.86 लाख
- कार्यक्षेत्र – भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमन्द एवं चित्तौड़गढ़
- कुल प्रशिक्षित किए जाने वालों की संख्या – 7800

- प्रशिक्षित युवाओं की संख्या – 3967
- प्लेसमेंट किये गये युवाओं की संख्या– 3392

3. यूरोपियन कमीशन–स्टेट पार्टनशिप प्रोग्राम :

- योजनान्तर्गत वर्ष 2011–12 में 11 जिलो की 25 पंचायत समीतियो में जल ससांधन के मित्वययी कुशलतम उपयोग एवं भू जल के गिरते स्तर में सुधार हेतु तथा एकीकृत जल ससांधन प्रबन्धन के लिये राज्य व जिला स्तर पर कुल 11 प्रशिक्षण किये गये जिनमें 374 पंचायती राज के जनप्रतिनिधी एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

(VI) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (नरेगा)

1. मनरेगा प्रकोष्ठ में वर्ष 2012–13 में माह जनवरी 13 तक संस्थान स्तर पर 26 प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की गई, जिनमें कुल 757 अधिकारियों ने भाग लिया।

2. मनरेगा प्रकोष्ठ में सैटकॉम के माध्यम से पंचायत समिति मुख्यालय पर समस्त ग्राम सेवकों को एचआईएमएस/कॉल सेन्टर के संबंध में डॉटा संग्रहण की जानकारी एवं ग्राम सैट के माध्यम से एस.एम.एस. भेजने हेतु प्रशिक्षण दिया गया।

3. मनरेगा के तहत ग्राम पंचायतो द्वारा तैयार की जाने वाली वार्षिक योजना प्रभावी रूप से बनाने हेतु लैब टू लैण्ड योजना के अन्तर्गत आने वाले जिलों की पंचायत समितियों के अधिकारियों का प्रशिक्षक– प्रशिक्षण कार्यक्रम संस्थान स्तर पर किया गया, एवं पंचायत समिति स्तर पर सरपंचो, भारत निर्माण सेवकों, एवं ग्राम रोजगार सहायको का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस हेतु भारत सरकार से 4.80 लाख की राशि जारी हुई। प्रशिक्षण मॉडयूल संस्थान स्तर पर तैयार किये गये।

4. वर्ष 2013–14 में मनरेगा योजनान्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु भारत सरकार को 1 करोड़ 82 लाख का प्रस्ताव भिजवाया गया है।

प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओ का विवरण

- संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 मे विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत कुल 88 प्रशिक्षण कार्यक्रम 31 जनवरी, 2012 तक आयोजित किये गये जिनमें कुल 10678 प्रशिक्षणार्थियों ने सफलता पूर्वक भाग लिया।
- ई– मस्टर रोल पर विभिन्न राज्यों के अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।

- एचआईएमएस/कॉल सेन्टर के संबंध में, डॉटा संग्रहण की जानकारी एवं एसएमएस भेजने हेतु ग्राम सैट के माध्यम से ग्राम सेवकों का प्रशिक्षण।
- ई– मस्टर रोल पर छत्तीसगढ़ एवं बिहार राज्यों के अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जिला स्तर पर कार्यरत अधिशाषी अभियन्ता ईजीएस एवं एमआईएस मैनेजर का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जिला स्तर पर कार्यरत अधिशाषी अभियन्ता ईजीएस एवं एमआईएस मैनेजर का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत परियोजना अधिकारी लेखा का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- One day state Level Orientation Workshop on **NBA TSC Mgnrega** Convergence for scaling up rural sanitation.
- Traning Programme E-Muster Roll System for Meghalaya &Manipur.
- राष्ट्रीय सलाहकार परिषद द्वारा गठित कार्य समूह के नामांकित सदस्यों की एक दिवसीय कार्यशाला।
- Computer Training (PES)
- जिला एवं पंचायत समिति स्तरीय प्रमुख अधिकारियों का ग्राम विकास आयोजना निर्माण हेतु (महानरेगा के परिप्रेक्ष्य में) प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- Service Plus (Computer Training Programme)
- आयोजित सामाजिक अंकेक्षण की एक दिवसीय कार्यशाला।
- Training of Panchayati Raj Institutions Accounting Software
- ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं के निरीक्षण के प्रारूपों में संशोधन हेतु एक दिवसीय कार्यशाला।
- आंतरिक अंकक्षेण एवं दल प्रभारी सहायक अभियन्ता की एक दिवसीय कार्यशाला।
- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत रिलिज़ ऑफ फण्ड एम.आई.एस.पर एक दिवसीय कार्यशाला।
- पंचायती राज कर्मियों हेतु Computer Training on Plan Plus
- Computer Training of NAD
- Bihar Rural Livelihoods Promotion Society बिहार राज्य से राजस्थान राज्य में आने वाली MGNREGA Exposure Visit टीम हेतु कार्यशाला का आयोजन।
- State workshop in Rajashthan, Jaipur Creating Environmental Benefits through MGNREGA.
- सामाजिक अंकेक्षण कार्य के लिए जिला संदर्भ व्यक्तियों (DRPs) का एक दिवसीय प्रशिक्षण।

(VII) लैब टू लैण्ड योजनान्तर्गत प्रगति प्रतिवेदन

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाते हुए उनका लाभ ग्रामीण समुदाय तक पहुँचाने के उद्देश्य से

वर्ष 2010–11 में लैब टू लैण्ड योजना प्रारम्भ की गई। उक्त योजना राजस्थान के 7 जिलों यथा– बांसवाडा, भीलवाडा, हनुमानगढ़, जोधपुर, कोटा, सवाईमाधोपुर एवं सीकर में संचालित की जा रही है।

योजनान्तर्गत उपलब्धियों का विवरण निम्नलिखित अनुसार है :–

1. वित्तीय प्रगति

संस्थान को लैब टू लैण्ड योजनान्तर्गत विभिन्न मदों में निम्नलिखित अनुसार राशि प्राप्त हुई है :

- भीलवाडा जिले के भारत निर्माण सेवकों के प्रशिक्षण हेतु राशि रूपये 39.31 लाख के आवंटन के विरूद्ध प्रथम किश्त की राशि रूपये 26.74 लाख संस्थान को प्राप्त हुई है, जिसमे से राशि रूपये 20 लाख प्रशिक्षण प्रयोजन हेतु भीलवाडा जिले को हस्तांतरित किये जा चुके है।
- आई.ई.सी. गतिविधियों हेतु संस्थान को राशि रूपये 60 लाख प्राप्त हुए है, जिसमे से 28 लाख रूपये 7 जिलों को (प्रति जिला रूपये 4 लाख) हस्तांतरित किये है। राशि रूपये 22 लाख का प्रावधान एनएफडीसी के माध्यम से 10 लघु फिल्में बनवाने हेतु किया गया है, जिसमें से 5 फिल्में, लागत राशि रूपये 11 लाख, का निर्माण करवाया जा चुका है।

2. भौतिक प्रगति

राज्य में 23946 भारत निर्माण सेवक बनाये गये है। जिलेवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	जिला	भारत निर्माण सेवकों की संख्या
1.	बांसवाडा	1840
2.	भीलवाडा	11641
3.	हनुमानगढ	76
4.	जोधपुर	3903
5.	कोटा	1583
6.	सवाईमाधोपुर	862
7.	सीकर	4041
कुल		23946

उक्त सभी भारत निर्माण सेवकों का प्रोफाईल दिक्षा वैबसाइट पर उपलब्ध है।

3. प्रशिक्षण

योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर 122 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर भारत निर्माण सेवकों को भी प्रशिक्षण दिये जा रहे है। सैटकॉम के माध्यम से भी भारत निर्माण सेवकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

4. आई.ई.सी.

- लैब टू लैण्ड योजनान्तर्गत निम्नलिखित विषयों पर 5 लघु फिल्मों का निर्माण किया गया है।
  1. महानरेगा – तरक्की के रास्ते
  2. जलग्रहण विकास – नीला सोना
  3. ग्राम सभा – ग्राम स्वराज
  4. एसजीएसवाई – साथ साथ
  5. बीपीएल मुख्यमंत्री आवास योजना – मेरा घर

- योजना के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु संस्थान स्तर पर एक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है, साथ ही भारत निर्माण सेवकों को टी–शर्ट व कैप भी उपलब्ध करवाये जा रहे है।

5. नेशनल कोलोक्यिम का आयोजन

लैब टू लैण्ड योजनान्तर्गत 3 से 5 अगस्त, 2012 को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से संस्थान द्वारा राष्ट्रीय कोलोक्यिम का आयोजन किया गया, जिसमे सभी राज्यों के राज्य स्तरीय ग्रामीण विकास संस्थानों के निदेशकों, अधिकारियों एवं ई.टी.सी. के प्रमुखों द्वारा भाग लिया गया। कोलोक्यिम में भारत निर्माण सेवकों द्वारा भी भाग लिया गया। राष्ट्रीय कोलोक्यिम में 272 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया, जिसमें से विभिन्न राज्यों के 50 भारत निर्माण सेवक थे। कोलोक्यिम का उद्घाटन श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किया गया।

6. इन्दिरा आवास योजना

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार आवास सॉफ्ट एवं योजना संबंधी प्रशिक्षण हेतु 6 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाये गए, जिसमें 234 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधीक्षण अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं कम्प्यूटर प्रभारियों द्वारा हिस्सा लिया गया।

(VIII) संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समेकित सूचना

संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 मे जनवरी, 2013 तक विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत कुल 88 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये जिनमे जनप्रतिनिधि, अधिकारी, एवं गैरसरकारी प्रणिक्षणार्थी कुल 10674 सम्भागियों ने सफलतापूर्व भाग लिया।

(IX) पंचायत सशक्तिकरण एवं प्रोत्साहन योजना (PEAIS) 2012–13

- पंचायत सशक्तिकरण एवं प्रोत्साहन योजना 2012–13 के तहत ज़िलों से प्राप्त प्रस्तावों की सूचनाओं के सत्यापन हेतु क्षेत्रीय सत्यापन दलों का गठन किया।

- 21.12.2012 को सत्यापन दलों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में आयोजित किया, जिसमें 20 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण लिया।

- PEAIS के तहत गठित राज्य स्तरीय मूल्याकंन समिति द्वारा लिए गए निर्णयानुसार प्रथम 6 स्थान प्राप्त करने वाली ज़िला परिषदों, प्रथम 9 स्थान प्राप्त करने वाली पंचायत समितियों एवं प्रथम 13 स्थान प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों का फील्ड वेरीफिकेशन किया गया।

ज़िला परिषद् – करौली, उदयपुर, सीकर, अजमेर, नागौर, चित्तौड़गढ़
पंचायत समिति– हिण्डौन, झाड़ौल, खमनौर, आबूरोड़, दांतारामगढ़, भिनाय, राशमी, दौसा, टोंक।
ग्राम पंचायत – परीता, सामपुर, छाली, सोमखेड़ा, उपलीओडन, धरातला, उदावास, गोवटी, साडलिया, नखर, बड़ली, दूनी, महुआ आदि।

Scheme Wise Training April 2012 to January 2013

S.No.	Name of Scheme	Programme Conducted	Praticipant attended
1.	MNREGA	15	498
2.	IAY	6	234
3.	BRGF	7	231
4.	PRI	12	1060
5.	W.S.(IWMP)	11	6345
6.	LAB TO LAND	5	994
7.	UNDP CDLG	5	116
8.	SIRD	20	607
9.	SGSY	1	30
10.	PESA	1	34
11.	UN WOMEN	4	466
12.	PEAIS	1	59
	TOTAL	**88**	**10674**

संस्थान में स्वीकृत पदों का विवरण

आयोजना भिन्न मद

क.सं.	पद नाम	स्वीकृत पद	पे बेण्ड
1.	महानिदेशक, आई.ए.एस.	1	67000–79000
2.	अतिरिक्त निदेशक, आर.ए.एस.	1	37400–67000
3.	उप निदेशक, आर.ए.एस.	2	15600–39100
4.	प्रोफेसर	2	37400–67000
5.	सहायक निदेशक	4	15600–39100
6.	लेखाधिकारी	1	15600–39100
7.	निजी सचिव	1	15600–39100
8.	शीघ्र लिपिक	2	9300–34800
9.	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	1	9300–34800
10.	लेखाकार	1	9300–34800
11.	हॉस्टल वार्डन	1	9300–34800
12	सहायक प्रोग्रामर	1	9300–34800
13.	वरिष्ठ लिपिक	1	9300–34800
14.	अवधाता	1	9300–34800
15.	कनिष्ठ लिपिक	6	5200–20200
16.	टेलिफोन ऑपरेटर	1	5200–20200
17.	इलेक्ट्रीशियन	1	5200–20200
18.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5	4750–7440
19.	फर्राश	4	4750–7440
20.	बुक अटेन्डेन्ट	2	4750–7440
21.	चौकीदार	2	4750–7440
	योग –	**41**	

एस.आई.आर.डी. मद

क.सं.	पद नाम	स्वीकृत पद	पे बेण्ड
1.	प्रोफेसर	2	37400–67000
2.	एसोसियेट प्रोफेसर	2	15600–39100
3.	परि. निदे. एवं संयुक्त निदे.	1	15600–39100
4.	सहायक प्रोफेसर	2	15600–39100
5.	शीघ्र लिपिक	3	9300–34800
6.	वाहन चालक	2	5200–20200
	योग	**12**	

पंचायती राज

I राजस्थान में पंचायती राज संस्थाएं एक दृष्टि में

1.	कुल जिला परिषदें	33
2.	कुल पंचायत समितियां	248
3.	कुल ग्राम पंचायतें	9,177
4.	औसत ग्राम पंचायतें प्रति पंचायत समिति	37
5.	औसत पंचायत समिति प्रति जिला परिषद्	8
6.	निर्वाचित पंचायती राज जनप्रतिनिधि	
I	जिला प्रमुख	33
II	प्रधान	248
III	जिला परिषद् सदस्य	1014
IV	पंचायत समिति सदस्य	5279
V	सरपंच	9177
VI	वार्ड पंच	103052

- उक्त कुल पंचायत समितियों के अतिरिक्त पं.स.ऋषभदेव पर मा0 न्यायालय का स्थगन है।

II पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढीकरण :

- पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए बजट घोषणा वर्ष 2012–13 के बिन्दु संख्या 87 की अनुपालना में पंचायती राज संस्थाओं जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत कार्यालयों में विभागीय आदेश 2610 दिनांक 31.8.2012 द्वारा प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर, सहायक कार्यक्रम अधिकारी, कनिष्ठ अभियन्ता, कनिष्ठ लेखाकार, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक कर्मचारी के कुल 22790 नवीन पद सृजित किये गये है तथा जिसकी भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- मंत्रीमंडल की आज्ञा संख्या 159/2012 के क्रम में जिला परिषद एवं पंचायत समिति कार्यालयों के लिए 265 पंचायत प्रसार अधिकारी के नवीन पदों के सृजन के आदेश दिनांक 31.8.2012 को जारी कर दिये गये है
- तत्कालीन ग्रामीण विकास अभिकरण के तत्समय (31.08.2003) के कुल 551 स्वीकृत पद यथा स्टेनों, कार्यालय सहायक/वरिष्ठ व कनिष्ठ लिपिक, वाहन चालक एवं च.श्रे. कार्मिकों की सेवाओं का दिनांक 01.09.2003 से ही जिला परिषद में विलय का नियमन कर दिया गया है।
- जिला परिषदों के माध्यम से 41 हजार तृतीय श्रेणी अध्यापकों की सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित कर प्रथम स्तर में 7218 एवं द्वितीय स्तर में 27026 कुल 34244 पदों पर पात्र अभियार्थियों के चयन की कार्यवाही सम्पादित कर ली गई है।

- ग्राम सेवकों को उनके बहुआयामी कार्य की प्रकृति को देखते हुए उन्हें 500/– रू0 प्रतिमाह की दर से दिनांक 01 अगस्त 2012 से विशेष भत्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश दिनांक 14–08–2012 जारी किये गये ।
- संविधान में 73वां संशोधन की पालना में मंत्रिमण्डल आज्ञा 154/2010 दिनांक 29.9.2010 के तहत प्रारम्भिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला स्तर तक की निधियां, गतिविधियॉ एवं स्टाफ (Funds, Functions & Functionaries) पूर्ण कटिबद्वता के साथ प्रभावी रूप से हस्तान्तरित करने के लिए एक उप समिति का गठन किया गया। समिति के निर्णयानुसार पंचायती राज संस्थाओं को 5 विभागों की गतिविधियॉ, फण्ड्स फंक्शन्स एवं फंक्शनरीज हस्तान्तरित करने के आदेश जारी किये गये है।
- उक्त आदेशों के संदर्भ में हस्तान्तरित स्टाफ के नियन्त्रण हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा सामान्य प्रशासनिक निर्देश दिनांक 02 अक्टूबर, 2010 को जारी किये गये तथा इसी प्रकार हस्तान्तरित गतिविधियों से संबंधित विभागों द्वारा अपने कार्यकलापों, स्टाफ एवं बजट के संबंध में आदेश जारी किये गये है। जिनमें जिला स्तर के विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों एवं अन्य दिशा–निर्देशों के संबंध में विस्तृत उल्लेख है। राज्य सरकार पंचायती राज विभाग एवं संबंधित विभागों के निर्देशों में हस्तान्तरित विभागों की समस्त गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं को दी गई है तथा यह व्यवस्था की गई है कि हस्तान्तरित विषयों के संबंध में पैतृक विभाग संबंधित विभागाध्यक्ष एवं सचिव स्तर के अधिकारी सीधे कोई निर्देश विभागीय जिला स्तरीय अधिकारियों को जारी नही करेंगें। सभी निर्देश, अपेक्षित सूचना रिपोर्ट एवं पत्र व्यवहार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति को सम्बोधित होगें। हस्तान्तरित विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एवं कार्यालय पंचायती राज संस्थाओं के अधीन माने जावेगें एवं विवाद की किसी भी स्थिति में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का निर्णय अन्तिम निर्णय होगा। हस्तान्तरित स्टाफ का संर्वग नियन्त्रण पैतृक विभागों द्वारा किया जावेगा। इसी प्रकार सी.सी.ए. नियम, अवकाश, दौरे व उपस्थिति, वार्षिक कार्य मूल्याकन आदि के संबंध में विस्तृत आदेश जारी कर पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासनिक शक्तिया प्रदान करने की व्यवस्थाऐं सुनिश्चित की गई है।
- विभिन्न विभागों की समितियां जो अब तक अधिकारियों की अध्यक्षता में थी उनको तीनों स्तरों तक गठित पंचायती राज संस्थाओं की स्थायी समितियों में समाहित करने का निर्णय लिया गया।

1. पंचायती राज संस्थाओं की स्थायी समितियों के कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु

- पंचायती राज संस्थाओं की स्थायी समितियों के कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिये गये है।

2 ग्राम सभा के कृत्य :

- पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा–8 क. में ग्राम सभा और उसकी बैठेकें आयोजित किये जाने के प्रावधान है। राज्य में ग्राम संभाओं का आयोजन राष्ट्रीय पर्वो 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर एवं 1 मई को नही किया जाकर इन निर्धारित तिथियों के 15 दिन के अन्दर अन्दर किये जाने का परिपत्र के माध्यम से प्रावधान किया गया है। उक्त ग्राम सभाऐं संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयाजित की जाती है।
- पंचायती राज अधिनियम की धारा–8 ड. में ग्राम सभा, ऐसी शर्तो के अध्यधीन रहते हुए और ऐसी सीमा तक और ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित की जाये निम्नलिखित कार्य करेगीः–
  - (क) सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का, वार्ड सभा द्वारा अनुमोदित योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं में से पूर्विकता क्रम में, ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पंचायत द्वारा क्रियान्वयन के लिए हाथ में लिये जाने के पूर्व, अनुमोदन करना,
  - (ख) गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों के रूप में व्याक्तियों की, उनकी अधिकारियों के अधीन आने वाली विभिन्न वार्ड सभाओं द्वारा पहचाने गये व्यक्तियों में से, पूर्विकता क्रम में पहचान या चयन,
  - (ग) संबंधित वार्ड सभा से यह प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करना कि पंचायत के खण्ड (क) में निर्दिष्ट उन योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए उपलब्ध करायी गयी निधियों का सही ढंग से उपयोग कर लिया है जिनका उस वार्ड सभा के क्षेत्र में व्यय किया गया हैः–
  - (घ) कमजोर वर्गो को आंवटित भूखण्डों के संबंध में सामाजिक संपरीक्षा करना,
  - (ड.) आबादी भूमियों के लिए विकास की योजनाएं बनाना और अनुमोदित करना,
  - (च) सामुदायिक कल्याण कार्येक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और वस्तु रूप में या नकद अथवा दोनों ही प्रकार के अभिदाय जुटाना,
  - (छ) साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को प्रोत्साहित करना,
  - (झ) किसी भी विशिष्ट क्रियाकलाप, स्कीम, आय और व्यय के बारे में पंचायत के सदस्यों और पंचायत के स्पष्टीकरण मांगना,
  - (ज) वार्ड सभा द्वारा अभिशंसित संकर्मो में से पूर्विकता क्रम में विकास संकार्मो की पहचान और अनुमोदन,
  - (ट) लधु जल निकायों की योजना और प्रबन्ध,
  - (ठ) गोण वन उपजों का प्रबन्ध,
  - (ड) सभी सामाजिक सेक्टरों की संस्थाओं और कृत्यकारियों पर नियंत्रण,
  - (ढ) जनजाति उप–योजनाओं को सम्मिलित करते हुए स्थानीय योजनाओं पर और ऐसी योजनाओं के स्त्रोतों पर नियंत्रण,
  - (ण) ऐसी पंचायत सर्किल के क्षेत्र की प्रत्येक वार्ड सभा द्वारा की गयी अभिशंसाओं के बारे में विचार और अनुमोदन, और
  - (त) ऐसी अन्य कृत्य जो विहित किये जायें।''

अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार

- राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना क्रमांक 5(6) पीसारूल्स/लीगल/पी.आर/10/1938 दिनांक 01.01.2011 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेंत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) नियम, 2011 लागू कर दिये गये है। इन नियमों के लागू होने पर पंचायती राज संस्थाओं को निम्नानुसार शक्तियां व अधिकार प्राप्त हो गये हैंः–
  1. ग्राम सभा के परामर्श के पश्चात ही भूमि अधिग्रहण (Acquisition of Land) का कार्य सरकार द्वारा किया जावेगा।
  2. उधार पर धन देने पर (Money Lending) पर पंचायत का नियन्त्रण रहेगा।
  3. अतिचारियों की संक्षिप्त बेदखली (power of summary ejectment of trespassers) की शक्तियां पंचायत समिति द्वारा उपयोग में ली जावेंगी।
  4. गौण वन उपज (Minor Forest Produce) पर ग्राम सभा का स्वामित्व रहेगा तथा इससे प्राप्त होने वाली आय पर भी उसका पूरा हक रहेगा।
  5. गोण खनिजों (Minor Minerals) के संबंध में भी ग्राम सभा की सिफारिश ली जानी अनिवार्य होगी।
  6. भत्ता नियन्त्रण (Intoxication Control) भी ग्राम सभा के पास रहेगा।
  7. यदि स्थानीय पुलिस को किसी ग्राम सभा के क्षेत्र में शांति विछिन्न करने की किसी संभावना के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है तो सिवाय उन मामलों के जिनमें पुलिस द्वारा तत्काल कारवाई अनिवार्य है, संबंधित पुलिस अधिकारी ग्राम सभा को या शान्ति समिति को मामले की विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगा।

III पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों/अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण

- पंचायती राज संस्थाआें के जन प्रतिनिधियों/अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके कार्य की कार्य प्रणाली एवं पंचायती राज अधिनियम व नियमों की जानकारी दिये जाने के लिये इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर स्थापित है। इसके साथ ही तीन ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र भी संचालित है।
  1. ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र मण्डोर (जोधपुर) 15 अगस्त, 1960 से
  2. पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र डूंगरपुर 03 फरवरी, 1994 से
  3 पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र अजमेर 18 मई, 1996 से
- इन प्रशिक्षण केन्द्रों पर मुख्य रूप से ग्राम सेवकों, कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं पंचायत प्रसार अधिकारियों का अभिनवकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम (5 दिवसीय) चलाये जाते है।
- माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2013–13 की गई बजट घोषणा की पालना में कोटा, भरतपुर एवं बीकानेर में नवीन पंचायत प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु बजट आवंटन कर दिया है। आगामी माह से स्टॉफ लगाने एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किये जाने की संभावना है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में माह दिसम्बर 2012 तक आयोजित किये गये प्रशिक्षणों का विवरण निम्नानुसार हैः–

1. माह अप्रेल 2012 से दिसम्बर 2012 तक ग्राम सेवकों के 20 प्रशिक्षण शिविर, पंचायत प्रसार अधिकारियों के 04 प्रशिक्षण शिविर व कनिष्ठ अभियन्ताओं के 06 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गये है।
2 बी.आर.जी.एफ. जिलों के ग्राम सेवकों का अभिनवकरण के 26 शिविर आयोजित किये गये।
3 वाटर शेड कमेटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों के 2 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गये।
4 कनिष्ठ अभियन्ताओं का कम्प्यूटर कोर्स हेतु 03 दिवसीय प्रशिक्षण के 9 शिविर आयोजित किये गये।
5. जलग्रहण एवं भू–संरक्षण विभाग द्वारा बी.आर.जी.एफ. जिलों के ग्राम सेवकों के 33 प्रशिक्षण शिविर तीनों प्रशिक्षण केन्द्रों पर आयोजित करवाये गयें है।
6 सरकार के निर्देशानुसार इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर में सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/विकास अधिकारी व जिला प्रमुख/प्रधान के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये है।
7 इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर पर प्रधान/सरपंच/एनजीओ/मनोनित सदस्य का सामुखीकरण प्रशिक्षण शिविर आयोजित करवाये गये ।

IV जिला परिषदों/पंचायत समितियों के भवनों का विस्तार/ मरम्मत

- जिला परिषद/पंचायत समितियों की आवश्यकतानुसार भवनों का विस्तार/ परिवर्तन/परिवर्धन/मरम्मत के लिये 50 प्रतिशत राशि निजी आय से उपलब्ध होने पर 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा आयोजना मद से उपलब्ध करायी जाती है।
- माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2011–12 के बजट भाषण की पालना में जिला परिषद, प्रतापगढ व बांरा के नवीन कार्यालय भवन निर्माण के लिए वर्ष 2011–12 हेतु राशि रुपये 100.57 लाख की संशोधित स्वीकृति जारी की गई थी तथा वर्ष 2012–13 हेतु राशि रुपये 180.00 लाख का प्रावधान है।
- सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उक्त भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था परन्तु जिला परिषद बारां के भवन निर्माण का कार्य मा0 न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश के कारण रोक दिया गया है। जिला परिषद प्रतापगढ के भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है जिस पर राशि रू0 152.44 लाख व्यय किया जा चुका है।

V नवगठित 11 पंचायत समितियों के भवनों का निर्माण

- राज्य में 11 नवीन पंचायत समितियों का गठन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2010–11 की पालना में नवगठित पंचायत समितियों के भवन निर्माण हेतु 550.00 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है। उदयपुर जिले की ऋषभदेव पंचायत समिति (न्यायालय का स्थगन आदेश) को छोडकर शेष सभी नवगठित पंचायत समितियों के भवन निर्माण हेतु राशि का आवंटन कर दिया गया है। जिसमें से 5 पंचायत समितियों के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। पंचायत समिति पीलीबंगा में माननीय न्यायालय के स्थगन के कारण कार्य अप्रारंभ तथा शेष 5 पंचायत समितियों के भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर हैं।

VI जिला परिषदों परिसर में जन सुविधा भवनों का निर्माण

- माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2012–13 के बिन्दु संख्या 92(1) के अन्तर्गत समस्त जिला परिषद परिसरों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से **जन सुविधा भवनों के** निर्माण हेतु प्रत्येक जन सुविधा भवन हेतु 50.00 लाख प्रति जन सुविधा भवन के आधार पर कुल रूपयें 1650.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। माह दिसम्बर, 2012 तक 31 जिलों में जन सुविधा भवन निर्माण कार्य प्रारंभ हो गये है। जिला अलवर में भूमि विवाद एवं जिला भीलवाडा में माननीय न्यायालय के स्थगन के कारण कार्य अप्रारंभ है।

  पंचायत समिति मुख्यालय पर किसान सेवा केन्द्र सह विलेज नोलेज सेन्टर की स्थापना

- माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट घोषणा वर्ष 2012–13 की बिन्दु सं. 85 के अन्तर्गत समस्त पंचायत समिति मुख्यालय पर किसान सेवा केन्द्र सह विलेज नोलेज सेन्टर तथा 3000 ग्राम पंचायतों के मुख्यालय पर किसान सेवा केन्द्र सह विलेज नोलेज सेन्टर एवं भू–अभिलेख सूचना केन्द्र के निर्माण कार्य स्वीकृत हैं। परियोजना कृषि विभाग द्वारा तैयार की गई है। इसमें कार्य हेतु नाबार्ड से 95% तथा 5% राशि राज्यांश से है। ब्लाक स्तर के प्रति इकाई 10 लाख तथा ग्राम पंचायत स्तर के कार्य के लिए 9 लाख की राशि उपलब्ध होगी।

  नवीन पंचायत भवनों का निर्माण

- इसी प्रकार बजट घोषणा बिन्दु सं. 92 के तहत राज्य में 422 नवीन पंचायत भवनों का चरण बद्ध रूप से निर्माण होना हैं इसमें 364 पंचायत भवन राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना से जिसमें 75% राशि केन्द्र की तथा 25% राज्यांश की होती हैं, उपलब्ध कराई जाती है। शेष 58 पंचायत भवन BRGF योजना अर्न्तगत सम्बन्धित जिला में निर्मित होंगे। नवीन पंचायत भवन की अनुमानित लागत दस लाख है जिलों को मुख्यालय से Type Design Drawing rFkk Model Estimate उपलब्ध कराये गये हैं।

VII विभागीय प्रकाशन :

- पंचायती राज विभाग द्वारा 'राजस्थान विकास' पत्रिका का त्रैमासिक प्रकाशन माह अगस्त, 1983 से नियमित किया जा रहा है। पत्रिका में पंचायती राज से सम्बन्धित आलेख, विभाग द्वारा समय–समय पर निकाले गये आदेशों, निदैश एवं अधिसूचनाएं, परिपत्रों, पंचायती राज जनप्रतिनिधियों तथा ग्रामीण जनता के उत्थान की विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही ग्रामीण परिवेश की कहानी, कविता और लघु कथा प्रकाशित किये जाने का प्रावधान हैं।
- वर्तमान में जुलाई 2011 से जून 2012 का एक वर्ष का संयुक्तांक प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें वर्ष भर में विभाग द्वारा जारी किये गये आदेश, निर्देश, परिपत्र और अधिसूचनाएँ शामिल है। यह अंक पंचायती राज विभाग की वेबसाइट www.rajpanchayat.gov.in **पर भी उपलब्ध है।**

VIII जनप्रतिनिधियों की जाँच :

- पंचायती राज संस्थाओ के जन प्रतिनिधियों के विरूद्ध बकाया जाँच प्रकरणों में विभागीय स्तर पर 1 जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2012 तक कुल 478 प्रकरणों का निस्तारण विधिवत नियमों की पालना करते हुये निस्तारण किया गया, जिसमें पंचायती राज से जुडे जन प्रतिनिधियों के विरूद्ध 114 प्रकरण में आयोग्य/ परिनिर्णय लेखबद्ध (निष्कर्ष अभिलिखित) करने की कार्यवाही, 315 प्रकरणों में प्रकरण समाप्ती की कार्यवाही तथा 06 प्रकरणों में निर्वाचन बाद संतान होने के कारण स्थायी रूप से अयोग्य घोषित करने की कार्यवाही की गई।
- आलौच्य अवधि में पंचायती राज से जुडे 19 जनप्रतिनिधियों को निलम्बित किया गया। इसी अवधि में 24 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति जारी करने/नहीं करने का निर्णय लिया जाकर प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

IX वित्तीय प्रबंध

- पंचायती राज विभाग के द्वारा मुख्यतयाः पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासनिक नियंत्रण तथा संस्थापन व्यय के प्रबंधन का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त तेरहवें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की अभिशंषा के अनुसार अनुदान राशि का उपयोग ग्रामीण विकास के कार्यो में किया जाता है।
- 1.4.2012 से 31.12.2012 तक पंचायती राज के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को दी गई राशियों का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि करोड़ रूपयों में)

क्र. स.	मद	1.4.2012 से 31.12.2012 तक			
		आयोजना भिन्न	आयोजना	के.प्र.यो.	योग
1	2515–पंचायती राज के कार्मिकों के वेतन भत्तों हेतु (जिला परिषद्/पंचायत समिति)	202.19	2.49	–	**204.68**
2	2515–राज्य वित्त आयोग के तहत अनुदान	–	460.90	–	**460.90**
3	2515–तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर अनुदान	317.15	–	–	**317.15**
4	2515–पिछड़ा जिला विकास कोष (बी.आर.जी.एफ.)	–	113.98	–	**113.98**
5	2515– चुंगी के बदले अनुदान	2.00	–	–	**2.00**
6	2515–प्रशिक्षण केन्दों के लिए	1.06	–	–	**1.06**
7	2515–जिला आयोजना कार्यालयों का संस्थापन्न व्यय	7.68	0-43	–	**8.11**
8	2515–मुख्यालय के संस्थापन्न हेतु	7.48	3.27	–	**10.75**
9	2515–जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण	–	–	–	–
10	2515– निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना	–	0.32	–	**0.32**
11	2515– निर्बन्ध राशि योजना	–	–	–	–
12	2515– राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना	–	1.22	–	**1.22**
13	2515–पेयजल सप्लाई/हैण्ड पम्प संधारण एवं जनता दल योजना के कार्मिकों के वेतन भत्तें/मानदेय	75.58	–	–	**75.58**
14	4515– अन्य	–	16-50	–	**16-50**
15	2515–पंचायती राज संस्थाओं हेतु निर्बन्ध कोष		699.79		**699.79**
16	2515–सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान		8.63		**8.63**
17	3604–पंचायती राज संस्थाओं के क्षतिपूर्ति तथा समुदेशन	–	–	–	–
18.	• 2515– मुख्य मंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास	–	138.03	–	**138.03**
19.	• 2515– जिला नवाचार कोष	–	3.30	–	**3.30**
	कुल योग	**613.14**	**1448.86**		**2062.00**

बजट 2012–13, एक दृष्टि में (बी.ई. 2012–13 के अनुसार) :–

(अ) कुल उपलब्ध राशि :

(राशि करोड़ रूपयों में)

	मद	राशि	प्रतिशत
1.	आयोजना–भिन्न	1211.20	36.56
2.	आयोजना	2101.73	63.44
3.	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	0.00	0.00
	कुल योग	**3312.93**	**100.00**

(ब) प्रयोजन जिसके लिए राशि उपलब्ध होगी :

(राशि करोड़ रूपयों में)

	मद	राशि (करोड़ रूपयों में)	प्रतिशत
1.	संस्थापन हेतु	363.15	11.02
2.	योजनाओं की कियान्विति हेतु	2947.78	88.98
	कुल योग	**3312.93**	**100.00**

(स) संस्थाएं जिनके द्वारा राशि का उपयोग किया जावेगा

(राशि करोड़ रूपयों में)

	मद	राशि	प्रतिशत
1.	जिला परिषद्	335.33	10.12
2.	पंचायत समिति	612.05	18.47
3.	ग्राम पंचायत	2345.96	70.81
4.	पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र	1.19	0.04
5.	मुख्यालय व्यय	8.79	0.27
6.	जिला स्तर पर संस्थापन व्यय	9.61	0.29
	कुल योग	**3312.93**	**100.00**

(द) व्यय का माध्यम

	मद	राशि	प्रतिशत
1.	कोष कार्यालय के माध्यम से	2339.11	70.61
2.	निजी निक्षेप खातों के माध्यम से	973.82	29.39
	कुल योग	**3312.93**	**100.00**

1 अंकेक्षण एवं विशेष लेखा जाँच :

- महालेखाकार एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं पर हुये व्यय का अंकेक्षण प्रतिवर्ष किया जाता है।
- स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा समस्त पंचायती राज संस्थाओं का अंकेक्षण किया जाता है जबकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा सभी जिला परिषदों, सभी पंचायत समितियों तथा कुछ चयनित ग्राम पंचायतों का अंकेक्षण किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में (यदि गबन आदि की सम्भावना हो) विशेष जाँच व अंकेक्षण भी कराया जाता है। अंकेक्षण रिपोर्ट की अनुपालना का कार्य मुख्यालय द्वारा जिला परिषदों व पंचायत समितियों से समन्वय कर, किया जाता है।

2 महालेखाकार अंकेक्षण आक्षेपों के निस्तारण की प्रगति

- महालेखाकार अंकेक्षण आक्षेपों में 1.4.2012 से 31.12.2012 तक जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों से अनुपालना प्रतिवेदन प्राप्त कर 56 आक्षेपों का निस्तारण करवाया गया। अंकेक्षण आक्षेपों के निस्तारण की प्रगति निम्नानुसार है :–

विवरण	जिला परिषद् एवं पंचायत समितियाँ
1.4.2012 को शेष	21404
1.4.2012 से 31.12.2012 तक जुड़े	1114
1.4.2012 से 31.12.2012 तक निस्तारण	56
01.01..2013 को शेष	22462

3 स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के आक्षेपों के निस्तारण की प्रगति

- स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के 1.4.2012 से 31.12.2012 तक 2945 आक्षेपों का निस्तारण करवाया गया। शेष आक्षेपों के निस्तारण हेतु स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर के साथ जिला स्तर पर सामूहिक अभियान आयोजित किये जा रहे हैं।

अंकेक्षण आक्षेपों के निस्तारण की प्रगति निम्नानुसार है :–

विवरण	**जिला परिषद् एवं पंचायत समितियाँ**
1.4.2012 को शेष	47646
1.4.2012 से 31.12.2012 तक जुड़े	2923
1.4.2012 से 31.12.2012 तक निस्तारण	2945
1.1.2013 को शेष	47624

X पंचायती राज की योजनायें :

1 तेरहवां वित्त आयोग :

प्रस्तावना

- तेरहवें वित्त आयोग की पंचाट अवधि 2010–15 (5 वर्ष) है। राजस्थान राज्य की पंचायती राज संस्थाओं हेतु सामान्य बुनियादी अनुदान, सामान्य निष्पादन अनुदान तथा विशेष क्षेत्र सामान्य बुनियादी अनुदान एवं विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। सामान्य निष्पादन अनुदान एवं विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान का वर्ष 2011–12 से प्रावधान किया गया है।
- सामान्य निष्पादन अनुदान एवं विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान के लिये आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूर्ण करना आवश्यक होगा। विभाग द्वारा शर्तों की पालना कर ली गयी है तथा वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग द्वारा उसकी पालना निदेशक, व्यय विभाग, वित्त आयुक्त खण्ड वित्त मंत्रालय नई दिल्ली को पत्रांक 13(8)वित्त/एफ.सी.एण्ड.ई.एडी./2010 दिनांक 16.05.2011, एवं दिनांक 25.5. 2011 द्वारा भिजवायी जा चुकी है।

उददे्श्य

- तेरहवें वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त होने वाले अनुदान से उपयोग से पूर्ण किये जाने वाले प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं:–
  1. ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति संबंधी सेवा प्रदायगी व्यवस्थाओं को सृदृढ़ बनाने एवं इसे सुव्यवस्थित करने हेतु आपूर्ति व्यवस्था में आवश्यक सुधार करना।
  2. ग्रामीण स्वच्छता एवं मलजल व्यवस्था ठोस अपशिष्ठ पदार्थ प्रबंधन की व्यापक अवधारण के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक संस्थाओं, सामुदायिक परिसंपत्तियों विद्यालयों आदि में स्वच्छता सुविधाऐं उपलब्ध कराने हेतु शौचालयों/मूत्रालय का निर्माण कराने, ग्रामीण परिवारों के आवास गृहों में निजी शौचालय स्थापित करने को प्रोत्साहित करने, अपशिष्ट का सुरक्षित ढ़ग से निपटान, ग्रामीण वातावरण में सामान्य साफ–सफाई और स्वच्छता बनायें रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करना। स्ट्रीट लाईटों को सेवा के स्वीकार्य स्तर पर मुहैया कराना।
  3. पंचायती राज संस्थाओं में डाटाबेस सृजन और पंचायती राज संस्थाओं के लेखों के उपयुक्त संधारण की व्यवस्था करना।
  4. पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता सुविधाओं से सम्बन्धित परिसम्पतियों का रख रखाव तथा समुचित संधारण करना।

कार्यकारी ऐजेन्सी

- तेरहवें वित्त आयोग के तहत प्रदत्त अनुदान के उपयोग हेतु कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत ही होगी। जिला परिषद एवं पंचायत समिति उक्त अनुदान के सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी होगी।

राशि का अन्तरण

- पंचायती राज संस्थाओं हेतु 13 वें वित्त आयोग के तहत प्रदत्त राशि में से राज्य वित्त आयोग द्वारा राज्य के 33 जिलो हेतु राशि आवंटन के संबंध में निर्धारित किये गये जिलेवार भारांकन के आधार पर प्रत्येक जिले को आवंटित होने वाली कुल राशि में से प्रत्येक किश्त की कुल राशि की 3 प्रतिशत राशि जिला परिषदों के पी.डी.खातों में एवं 12 प्रतिशत राशि पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में तथा 85 प्रतिशत का आवंटन ग्राम पंचायतों को बैंकिग चैनल से बैंक खातों में किया जावेगा। पंचायत समितियों को होने वाले अन्तरण की पंचायत समितिवार सूचना विभाग द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद तथा लेखाधिकारी जिला परिषद को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जावेगी।

- जिला परिषद एवं पंचायत समितियों को उक्तानुसार उपलब्ध करायी जाने वाली क्रमशः 3 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत राशि का उपयोग ऐसी ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने हेतु किया जायेगा जिनमें जनसंख्या के अनुपात में उपरोक्तानुसार प्राप्त होने वाली राशि उन ग्राम पंचायतों की पेयजल एवं स्वच्छता की समग्र आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं है। इस हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा अपनी स्थानीय आवश्यकताओं और 13 वे वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये संसाधनों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त राशि/संसाधन की मांग ग्राम सभा के प्रस्ताव के अनुरूप संबंधित पंचायत समिति अथवा जिला परिषद 13 वें वित्त आयोग के दिशा–निर्देशों में अंकित उद्देश्यों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए किया जाकर संबंधित ग्राम पंचायत को अतिरिक्त राशि/संसाधन उपलब्ध कराये जा सकेंगे। अतिरिक्त राशि/संसाधन का आवंटन करते समय जिला परिषद एवं पंचायत समितियां यह अवश्य ध्यान में रखेंगे कि उक्तानुसार किये जाने वाले अतिरिक्त आवंटन से ग्राम पंचायतों में सामान्य तौर पर समानुपातिक विकास हो सके।

सम्पादित करवाये जाने वाले कार्य

- तेरहवें वित्त आयोग के तहत प्रदत्त अनुदान के उपयोग के लिए योजनाओं के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार कार्य कराये जायेगेः–
  1. पेयजल आपूर्ति हेतु कुंओं एवं पानी की सार्वजनिक टंकियों का निर्माण।
  2. बावड़ियों, टांकों, कुओं, पनघट, हैंडपम्प आदि जिनसे पेयजल आपूर्ति हो सुदृढ़ हो सके, का जीर्णोद्धार/निर्माण/संवर्धन/तथा खराब हैंण्डपम्पों का उचित संधारण कराना।
  3. पेयजल संग्रहण स्थानों जैसे कुएँ, पानी की टंकियॉ इत्यादि से ग्रामीण जन के आवासों/शिक्षण/संस्थाओं/सामुदायिक/भवनों आदि तक पेयजल आपूर्ति हेतु आवश्यक पाईपलाईन बिछाने की व्यवस्था करना।
  4. सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और पुरूषों के लिए पृथक–पृथक सार्वजनिक शौचालयों/चल शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
  5. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राजकीय शिक्षण संस्थानों में बालक–बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
  6. पंचायत क्षेत्रों में गदें पानी के निकास हेतु नालियों का निर्माण।

7. तरल एवं ठोस अपशिष्ठ के निपटान एवं निकास के लिए व्यवस्था करना।
8. ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किये जाने वाले हाट बाजार, मेला स्थल, सार्वजनिक, प्रदर्शनी स्थल आदि के लिए चल शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
9. पंचायत क्षेत्र में कूडें करकट के निपटान एवं सामान्य साफ–सफाई बनाये रखने हेतु उपयुक्त व्यवस्था करना।
10. ग्रामीण जन को स्वच्छ पेयजल तथा व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्वच्छता की महत्ता संबंधी विषय पर उपयुक्त जानकारी उपलब्ध कराने हेतु लघु–पुस्तिकाओं, पम्पलैट्स, आदि के माध्यम से प्रचार–प्रसार की यथावश्यक व्यवस्था करना। स्ट्रीट लाईटों की सेवा के स्वीकार्य स्तर पर मुहैया कराने की व्यवस्था करना।
11. पंचायत क्षेत्र में ऐसे स्थल जहां गंदे पानी के एकत्रित होने की संभावना हो जिससे मच्छर पनपने अथवा बीमारी फैलने का अंदेशा हो सकता हो, का चिह्नीकरण कर उपचारात्मक उपाय करना।
12. ग्रामीण क्षेत्रों में सूखे शौचालयों को फ्लश वाले शौचालयों में बदलना और यदि कही हो तो, मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने की उपयुक्त व्यवस्था करना।
13. भूमिगत जलस्त्रोंतो से पेयजल आपूर्ति हेतु टंकियों में जलसंग्रहण करने हेतु यदि आवश्यकता प्रतीत होती हो तो, यंत्र/मोटर के संधारण की उचित व्यवस्था करना।
14. ऐसे अन्य कार्य जिनसे तेरहवें वित्त आयोग द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों में उपरोक्तानुसार विनिर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति संभव हो सके।

प्रगति

- योजनान्तर्गत वर्ष 2010–11 में बेसिक ग्रान्ट के रूप में 370.10 करोड़ रू (सामान्य में 366.48 एवं स्पेशल एरिया में 3.42 करोड़ रू.) प्राप्त हुए थे। वर्ष 2011–12 में भारत सरकार से राशि बेसिक ग्रान्ट 464.07 करोड़ रू. (सामान्य में 460.65 एवं स्पेशल ऐरिया में 3.42 करोड़ रू.) प्राप्त कर उसे पंचायती राज संस्थाओं को हस्तानान्तरित की गई हैं एवं सामान्य निष्पादन अनुदान राशि रू. 213.28 करोड़ प्राप्त कर 146.34 करोड़ रू. पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किये गये है। वर्ष 2012–13 में सामान्य बुनियादी अनुदान राशि रूपये 248.50 करोड़ एवं सामान्य निष्पादन अनुदान राशि रू 170.53 करोड़ एवं विशेष क्षेत्र सामान्य बुनियादी अनुदान राशि रू 1.71 करोड़ एवं विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान राशि रू 1.71 करोड़ इस प्रकार कुल राशि 422.45 करोड़ एवं 66.94 करोड़ गत वर्ष का बकाया कुल 489.39 करोड़ इस वर्ष 2012–13 में पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किये गये।

2 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग

- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का गठन महामहिम राज्यपाल राजस्थान के आदेश दिनांक 11 अप्रैल 2011 (अधिसूचना सं. एफ–4(1) एफ.डी./एफ.सी.एण्ड ई.एडी./एस.एफ.सी./2009 दिनांक 13.4.2011) द्वारा अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 2011 तक देने की आज्ञा के साथ किया गया।

- वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए उक्त योजनान्तर्गत 15000.00 लाख रू. का प्रावधान रखा गया था जिसे संशोधित कर 41160.00 लाख कर दिया गया था। वित्त विभाग की सहमति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2010–11 में उक्त राशि पंचायती राज विभाग के पी.डी. खातें में हस्तान्तरित कर दी गयी थी। वर्ष 2011–12 में 45000.00 लाख रू. का प्रावधान रखा गया था।
- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा माह जुलाई 2011 में अपनी अन्तरिम रिपोर्ट वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 हेतु प्रस्तुत की गयी जिसके आधार पर वर्ष 2010–11 में पंचायती राज विभाग के पी.डी. खातें में से 41160.00 लाख रू. एवं 2011–12 में 46945 लाख का आवंटन वर्ष 2001 की जनसंख्या के आधार पर वित्त विभाग की सहमति से कर दिया गया है। वर्ष 2012–13 के लिए राज्य वित्त आयोग चतुर्थ द्वारा जारी अन्तरिम रिपोर्ट द्वितीय के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को 980.47 करोड़ रूपये के प्रावधान में से 460.90 करोड़ प्रथम किस्त के रूप में वितरित किये जा चुके हैं एवं शेष 519.57 करोड़ रूपये द्वितीय किस्त के रूप में हस्तानान्तरण किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

3 रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड का आंवटन

- राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के प्रावधानों में संशो0 कर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों के परिवारों को पंचायत 300 वर्ग गज तक की भूमि रियायती दरों (2 रूपये से 10 रूपये, प्रति वर्ग मीटर) पर आंवटित किये जा सकेगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों के निम्नांकित कमजोर वर्गों के ऐसे परिवार जिनके पास स्वयं के गृह स्थल/गृह नहीं हो, पात्र होंगेः–
  - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवार
  - स्वच्छकारों व पिछड़े वर्गों के परिवार
  - ग्रामीण कारीगर (आर्टिजन के परिवार)
  - श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन परिवार
  - विकलांग व्यक्ति
  - गाडिया लुहार, यायावर (घुमक्कड) जनजातियों के परिवार
  - ऐसे बाढ़ग्रस्त परिवार जिनके गृह बाढ़ में बह गये हैं या गृह या गृह स्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये हैं।
  - सरहद पर पूर्व सैनिक
- पात्र परिवार के उन परिवारों को प्राथमिकता दी जावेगी जिन्होंने परिवार नियोजन को स्थायी रूप से अपना लिया है। उपरोक्त पात्र परिवारों के वयस्क विवाहित पुत्र जो इनके साथ एक ही स्थान पर रहता है किन्तु अब वह पृथक से रहने की इच्छा रखता है, तो जिसके पास कृषि भूमि या अन्य स्थान पर स्वयं का कोई आवासीय भूखण्ड अथवा मकान न हो तो वह भी भूखण्ड पाने का पात्र होगा।
- **निःशुल्क आवासीय भू–खण्ड आवंटन**– पंचायतों को सशक्त करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहे (बी.पी.एल. में चयनित) परिवारों, घुमक्कड भेडपालकों के परिवारों को निःशुल्क भू–खण्ड आवंटन

करने की शक्तियां पंचायतों को दिये जाने हेतु नियम 158 में संशोधन के आदेश दिनांक 9.4.07 एवं 18.6.07 को जारी कर दिये गये है।

- राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के अंतर्गत वर्ष 1996 तक आबादी भूमि पर निर्मित मकानों के पट्टे, कब्जों के आधार पर जारी करने का प्रावधान था। अब राज्य सरकार ने नियम 157 में दिनांक 9.4.07 से संशोधन कर दिया गया है। गाँवों में ऐसे अनेक परिवार हैं जिनके पास रहने के लिए कोई भू–खण्ड नहीं है लेकिन उन्होंने वर्ष 1996 के बाद आबादी भूमि पर झौंपड़ी अथवा टापरी का निर्माण कर लिया है। ऐसे परिवार जिनके पास न कोई भू–खण्ड है और न ही कोई अन्य मकान है, उनके वर्ष 2003 तक के कब्जे नियम 157 (2) के तहत निःशुल्क नियमित कर दिये जायेंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नियमन करने पर पट्टे अब केवल महिलाओं के नाम से ही जारी किये जायेंगे।
- ग्राम पचांयतों द्वारा दिये जाने वाले भूखण्डो में से 30 प्रतिशत विधवा/निराश्रित महिलाओं को आवंटित करने बाबत नियमों में संशोधन कर दिया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2010–2011 में प्रशासन गावों के संग अभियान 2010 की प्रगति सहित नियम 158 के तहत रियायती दर पर 51892 आवासीय भूखण्ड आंवटन, 106697 पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क भूखण्ड आवंटन, नियम 157 के तहत 255801 पुराने भवनों के पट्टे एवं 20632 कब्जों के आधार पट्टे जारी किये गये, इस प्रकार कुल 435022 पट्टे जारी किये जा चुके हैं।
- वित्तीय वर्ष 2011–2012 एवं वर्ष 2012.13 (माह दिसम्बर, 2012 तक)में श्रेणीवार प्रगति निम्नानुसार हैं –

रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड आंवटन की वर्षवार प्रगति

श्रेणी	लक्ष्य	अ.जाति	अ.ज.जाति	अन्य	योग
2011–12	17000	4659	2229	3712	10700
2012–13	17000	1629	950	1849	4428

नियम 158 के तहत पात्र व्यक्तियों को निशुल्क भूखण्ड आंवटन की वर्षवार प्रगति

श्रेणी	लक्ष्य	अ.जाति	अ.ज.जाति	अन्य	योग
2011–12	13000	8642	4819	11249	24710
2012–13	13000	2901	2125	3101	8127

नियम 157 के तहत पुराने भवनों के पट्टे जारी करने की वर्षवार प्रगति

श्रेणी	लक्ष्य	अ.जाति	अ.ज.जाति	अन्य	योग
2011–12	20000	6341	3645	16994	27112
2012–13	10000	3762	1571	3966	8299

नियम 157(2) के तहत कब्जों के आधार पट्टे जारी करने की वर्षवार प्रगति

श्रेणी	लक्ष्य	अ.जाति	अ.ज.जाति	अन्य	योग
2011–12	20000	4467	2850	5770	13087
2012–13	10000	2179	1408	2178	5765

4 पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF) कार्यक्रम

- भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित ''पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.)'' कार्यक्रम के तहत राजस्थान राज्य के 13 जिलों यथा–सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली, टोंक, उदयपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, जालौर, सिरौही, बाड़मेर, झालावाड़ एवं प्रतापगढ़ चयनित है।

उद्देश्य

- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम का उद्देश्य चयनित जिलों के पिछडेपन को दूर करने हेतु प्रमुखयता ढ़ॉचागत विकास एवं दक्षता निर्माण के क्षेत्र में प्रभावी कार्य करते हुये क्षेत्र का समेकित आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना है। कार्यक्रम के तहत विकास कोष मद एवं क्षमता निर्माण मद में राशि उपलब्ध करवाई जाती है।

प्रगति

- वित्तीय वर्ष 2012–13 में रूपये 30243.00 लाख का प्रावधान रखा गया हैं। भारत सरकार से दिसम्बर, 2012 तक विकास कोष के तहत वार्षिक योजना 2011–12 की द्वितीय किस्त रूपये 1356.00 लाख, वार्षिक योजना 2012–13 की प्रथम किस्त के रूप में रूपये 10042.00 लाख कुल 11398.00 लाख राशि प्राप्त हुई हैं जिसे कार्यकारी संस्थाओं को हस्तान्तरित कर दिया गया है।
- आलौच्य वर्ष 2012–13 में कार्यकारी संस्थाओं के पास विकास कोष मद के तहत उपलब्ध राशि 29246.34 लाख के विरूद्ध माह दिसम्बर, 2012 तक 17700.43 लाख की राशि व्यय हो चुकी हैं। योजनान्तर्गत 15897 कार्य करवाने के लक्ष्य के विरूद्ध 4327 कार्य पूर्ण करवाये जा चुके है। क्षमता निर्माण मद में कार्यकारी संस्थाओं के पास उपलब्ध राशि 1279.49 लाख रूपये के विरूद्व माह दिसम्बर, 2012 तक 974.35 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है।

5 निर्बन्ध राशि योजना

- 11वीं पंचवर्षीय जिला योजना वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक के लिए ग्राम/वार्ड सभाओं के माध्यम से प्राप्त विकास कार्यो की क्रियान्विति को मूर्तरूप देने के उददेश्य से यह योजना वित्तीय वर्ष 2007–08 से आरम्भ की गई।
- योजनान्र्तगत वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक आवंटित राशि 9671.00 लाख के विरूद्व माह दिसम्बर 2012 तक 7062.78 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है तथा स्वीकृत 4229 कार्यो के विरूद्व 3149 कार्य पूर्ण करा लिए गये है एवं 563 कार्य प्रगति पर है।

6 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना :

- यह योजना केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है। जिसमें 75 प्रतिशत की राशि भारत सरकार द्वारा एवं 25 प्रतिशत की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। योजनान्तर्गत भवन रहित नवीन पंचायत भवनों का निर्माण कार्य एवं पंचायत भवनों के विस्तार/जिर्णोद्धार के कार्य होते है। इस में 75 प्रतिशत राशि भारत

सरकार द्वारा एवं 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत/आवंटित की जाती है।

- योजनान्तर्गत वर्ष 2009–10 में द्वितीय किश्त रूपये 300.00 लाख भारत सरकार द्वारा माह दिसम्बर 2009 में रिलीज एवं राज्य मद की मैचिंग शेयर राशि 100.00 लाख इस प्रकार कुल उपलब्ध 400.00 लाख राशि के विरूद्ध 16 जिलों में 75 नवीन ग्राम पंचायतों भवनो के निर्माण एवं 184 ग्राम पंचायत भवनो के विस्तार/जिर्णोद्वार कार्यो (कुल 259 कार्य) की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर माह दिसम्बर, 2012 तक 359.50 लाख रूपये व्यय कर 215 कार्य पूर्ण किये जा चुके है।
- योजनान्तर्गत वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 (माह दिसम्बर, 2011 तक) में भारत सरकार से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिये 364 भवन रहित ग्राम पंचायतों में नवीन पंचायतों भवन निर्माण के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये गये थें जिन्हें भारत सरकार द्वारा किया गया योजना अर्न्तगत प्रावधान अनुरूप 27.30 करोड़ स्वीकृत करते हुए प्रथम किस्त की राशि 13.65 करोड़ उपलब्ध कराई गई है। इसी प्रकार राज्यांश की राशि 4.55 लाख की उपलब्धता के साथ समस्त राशि संबंधित जिला प्ररिषदों को उपलब्ध कराई गई है।

7 पंचायती राज संस्थाओं को निर्बन्ध राशि

- यह योजना बजट घोषणा वर्ष 2011–12 की पालना में पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य योजना बनाने तथा इनके वित्तीय सशक्तिकरण करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2011–12 की वार्षिक योजना से विशेष निर्बंध राशि का प्रावधान किया गया है। यह योजना पंचायती राज संस्थाओं हेतु निर्बंध राशि (untied fund to PRIs) के नाम से है।
- पंचायती राज संस्थाओं हेतु निर्बंध राशि के तहत प्रदत्त राशि में से राज्य के 33 जिलो हेतु राशि आवंटन के संबंध में निर्धारित किये गये जिलेवार भारांकन के आधार पर प्रत्येक जिले को आवंटित होने वाली कुल राशि में से प्रत्येक किश्त की कुल राशि की 3 प्रतिशत राशि जिला परिषदों के पी.डी.खातों में एवं 12 प्रतिशत राशि पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में तथा 85 प्रतिशत का आवंटन ग्राम पंचायतों को बैंकिग चैनल से बैंक खातों में किया जावेगा, जिसमें पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों को राशि का वितरण 2001 की जनसंख्या के आधार पर हस्तान्तरित की गई है।
- योजना में रूपये 777.54 करोड का वित्तीय प्रावधान है। राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार प्रावधित राशि में से 90 प्रतिशत यथा 699.78 करोड़ की राशि पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों पर वितरण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर राशि हस्तान्तरण कर दी गई है। शेष 10 प्रतिशत राशि पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा निजी आय बढाने पर प्रोत्साहन के रूप में पृथक से आवंटित करने हेतु आरक्षित रखी गई है। विभाग द्वारा 57.66 करोड़ (माह जनवरी 2013 तक) योजना में सर्व प्रथम भवनों के अपूर्ण रहे कार्यो को, जल उपलब्धता तथा स्वच्छता सुविधाओं के कार्यो तत्पश्चात् अन्य कार्यो को कराने की प्राथमिकता दी गई है। योजना के दिशा निर्देश विभागीय पत्र क्रमांक 857 दिनांक 9.9.2011 द्वारा जारी किये गये है।

- योजनान्तर्गत उक्त प्रावधान के अतिरिक्त वित्त विभाग द्वारा 25.00 करोड़ की राशि का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है यह राशि भी सम्बन्धित पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित कर दी गई है।

8 नवाचार निधि योजना

- जिलों में विभिन्न पूंजीगत परिसम्पत्तिया छोटे– छोटे मरम्मत कार्यो की आवश्यकता होने के फलस्वरूप अनुपयोगी रूप में पड़ी हुई है। इन सम्पत्तियों को अधिक उपयोगी अथवा कार्यशील बनाये जाने के लिये आवश्यक लधु निवेशों को उपलब्ध करवाने को दृष्टिगत रखते तेहरवें वित्त आयोग के तहत जिला नवाचार निधि का सृजन किया गया है।
- योजना के तहत देश के प्रत्येक जिले को राशि रूपये 1 करोड़ उपलब्ध करवाई जावेगी। तेरहवे वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार कार्य लागत की 10 प्रतिशत राशि सामान्य जन/स्वयंसेवी संस्थाओं से प्राप्त करनी होगी।
- वित्तीय वर्ष 2012–13 में योजनान्तर्गत राशि रूपये 660.00 लाख का प्रावधान रखा गया हैं। भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में राशि रूपये 1650.00 लाख उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें से राशि रूपये 1320.00 लाख वित्तीय वर्ष 2011–12 में एवं राशि रूपये 330.00 लाख वित्तीय वर्ष 2012–13 में जिला परिषदों को हस्तान्तरित की जा चुकी है। भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत द्वितीय किस्त, प्रथम किस्त की राशि व्यय करने के उपरान्त जारी की जायेगी।

9 क्षतिपूर्ति तथा समानुदेशन

- राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय रूप सुदृढ किये जाने के सम्बन्ध में सुझाव दिये जाने हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) की अध्यक्षता में गठित समिति की करों के समानुदेशन (Assignment) के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को राशि जारी किये जाने की सिफारिश की गई है। राज्य वित्त आयोग चतुर्थ द्वारा सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समानुदेशन के रूप में 29336.69 लाख उपलब्ध कराये जाने का वित्तीय प्रावधान है।
- राज्य वित्त आयोग चतुर्थ की अंतरिम रिपोर्ट के कार्यवाही विवरण के अनुसार उक्त राशि का पंचायती राज संस्थाओं को अन्तरण वर्ष 2012–13 में राजस्व विभाग द्वारा भू–राजस्व, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पर पैनल्टी, चरागाह भूमि पर अतिक्रमण पर पैनल्टी, भू–रूपान्तरण शुल्क व खनिज विभाग द्वारा अवैध खनन एवं खनिज क्षेत्र पर अतिक्रमण पर शास्ति तथा वन विभाग से तेन्दूपत्ता व अन्य वन लघु उपज से आय की ग्राम पंचायतवार सूचना उपलब्ध करायी जाने पर ही संभव हो सकेगा। इसी प्रकार खनिज एवं पेट्रोलियम विभाग द्वारा वर्ष 2012–13 में खनिजों पर रॉयल्टी एवं पेट्रोलियम पर रॉयल्टी की सूचना, आबकारी विभाग द्वारा देशी शराब व आई एम एफ एल की दुकानों से बिक्री से आय, वित्त(कर) विभाग द्वारा स्टाम्प शुल्क पर अधिभार तथा माल के प्रवेश कर की वर्ष 2012–13 की वास्तविक राजस्व के आधार पर ही राशि हस्तांतरण योग्य है। इन मदों में वास्तविक राजस्व सूचनाएं वर्ष 2012–13 के समाप्ति के बाद ही

संकलित होगीं। राजस्व के वास्तविक संकलित आंकड़े प्राप्त होने तक इन मदों में प्रावधित राशि पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

10 विकेन्द्रीकृत जिला आयोजना

- योजना आयोग के निर्देशानुसार राज्य की वार्षिक योजनाओं में जिला योजनाओं को समाविष्ट किया जाना आवश्यक है। राज्य में 11वीं पंचवर्षीय जिला योजना का निर्माण ग्राम/वार्ड स्तर से एक विस्तृत कार्ययोजना के तहत किया गया था। 11वीं पंचवर्षीय जिला योजना के तहत आनेवाली वार्षिक योजनाओं का निर्माण भी इसी कार्ययोजना के तहत करवाया गया था।
- वार्षिक जिला योजना 2013–14 के निर्माण हेतु राज्य के आयोजना विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सेक्टरवार आयोजना सीमा का जिलेवार वितरण किया जा चुका है। जिले को योजनान्तर्गत उपलब्ध होने वाली सीलिंग को दृष्टिगत रखते हुए जिले की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ग्राम/वार्ड सभा से प्रस्ताव प्राप्त कर इन योजनाओं का निर्माण करवाया जावेगा।

11 पंचायत सशक्तीकरण एवं प्रोत्साहन योजना (PEAIS)

- Panchayat Empowerment & Accountibility Incentive Scheme 2011–12 के तहत राज्य सरकार को प्रथम पुरस्कार स्वरूप 100.00 लाख रूपये की राशि प्राप्त हुई है। राज्य स्तर पर उक्त राशि का उपयोग बेहतर कार्य निष्पादन करने वाली पंचायती राज संस्थाओं को पुरस्कृत करने हेतु किये जाने का निर्णय लिया गया था।
- दिनांक 27.11.2012 को आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में 2 जिला परिषद, 3 पंचायत समिति एवं 10 ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया जा चुका है। पुरस्कार राशि का उपयोग करने हेतु कार्यकारी संस्थाओं को निर्देशित किया जा चुका है।
- योजना वर्ष 2012–13 के तहत पंचायती राज संस्थाओं के चयन के सम्बन्ध में जिलों से प्राप्त प्रस्तावों में से 3 जिला परिषद, 6 पंचायत समिति एवं 13 ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत किये जा चुके है। भारत सरकार द्वारा उक्त प्रस्तावों के आधार पर राज्य की 1 जिला परिषद, 2 पंचायत समितियों एवं 5 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाना सम्भावित हैं।

12 निर्मल भारत अभियान (सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान–पूर्व नाम)

- पेयजल स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित ''निर्मल भारत अभियान'' कार्यक्रम समुदाय में जागरूकता एवं मांग आधारित है। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं :–
    - ग्रामीण क्षेत्रों मे सामान्य रहन–सहन मे सुधार लाना, ग्रामीण क्षेत्रों मे कवरेज को गति प्रदान कर वर्ष 2017 तक राज्य को खुले में शौच से मुक्त करना एवं राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को निर्मल पंचायत के स्तर तक पहुंचाना, समुदाय को जागरूक करना एवं पंचायतीराज संस्थाओं के प्रोत्साहन से स्वास्थ्य शिक्षा एवं स्वच्छता की सुविधाओं को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शेष रही पाठशाला एवं

आंगनबाड़ियों में समुचित स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना एवं विद्यार्थियों में साफ–सफाई की आदत डालना, स्वच्छता के क्षेत्र में कम लागत वाली सुरक्षित पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना एवं समुदाय आधारित पर्यावरण अनुकूल ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन तंत्र का विकास करना।

- सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम(पूर्व नाम) भारत सरकार द्वारा वर्ष 1999–2000 में प्रारम्भ किया गया। प्रारम्भ में इसे केवल 4 जिलों में ही शामिल किया गया था और वर्ष 2005–06 तक चरणबद्ध तरीके से इसे राज्य के समस्त जिलों में लागू किया गया।
- इसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत में निवास करनेवाले बी.पी.एल. एवं चिन्हित ए.पी.एल. परिवारों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,लघु एवं सीमान्त किसान, भूमिहीन मजदूर,शारीरिक रूप से असक्षम और महिला मुखिया वाले परिवार) के लिए व्यक्तिक घरेलू शौचालय के निर्माण हेतु कुल 10,000 राशि का प्रावधान निम्नानुसार है :–

क्र0 सं0	विवरण	राशि का विवरण
1.	निर्मल भारत अभियान(केन्द्र एवं राज्य सरकार) की प्रोत्साहन राशि	4600 रूपये
2.	महात्मॉ गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (20 अकुशल मजदूरी एवं 6 कुशल मजदूरी अधिकतम)	4500 रूपये
3.	लाभार्थी का अंश	900 रूपये
	योग	10000 रूपये

- एकल शौचालय पाठशाला के अतिरिक्त शौचालय इकाई बालिकाओं के लिए एवं भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों **(ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति स्तर)** में शौचालय निर्माण के लिए रूपये 35000/– का स्वीकृति जारी करने का प्रावधान है।
- आंगनवाड़ी में बालमित्र शौचालय निर्माण के लिए रूपये 8000/–का प्रावधान है। 5000 रूपये की अतिरिक्त राशि एन.आर.एच.एम (अनटाइड फंड ग्राम पंचायत)/टी.एफ.सी/एस.एफ.सी/निर्बन्ध मद में ग्राम पंचातयों को सीधे ही प्राप्त होनेवाली राशि से वहन किया जा सकता है।
- सामदायिक शौचालय निर्माण हेतु अधिकतम रूपये 2 लाख का प्रावधान है, जिसमें 10 प्रतिशत सहयोग राशि समुदाय द्वारा/ग्राम पंचायत कि निजी संसाधन से उपलब्ध करानी होगी। तथा सामुदायिक शौचालय बनने के उपरान्त ग्राम पंचायत/ट्रस्ट आदि द्वारा रख–रखाव एवं पानी की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु अंडरटेकिंग दिए जाने के उपरान्त जिला स्तर से स्वीकृति जारी कराने हेतु आदेश जारी किए गए है।
- प्रस्तावित ग्राम पंचायते यदि 70 प्रतिशत खुले में शौच से मुक्त होने पर (व्क्थ्) एवं पुरस्कृत ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन हेतु पंचायत में निवास

करने वाले परिवारों की संख्या क्रमशः 150/300/500/500 से अधिक होने के आधार पर ग्राम पंचायतों को क्रमशः 7 लाख/12 लाख/15 लाख/20 लाख की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उक्त राशि से ((1.) बायोडिग्रेडेबल कचरे का निष्पादन हेतु कम्पोस्ट पिट, बर्मी कम्पोस्ट हेतु वर्मी टैंक, बायोगैस प्लांट, शौचालय से लिंक बायोगैस प्लांट (2.) नान बायोडिग्रेडेबल कचरे का निष्पादन हेतु लैंडफिल (3.) धूसर जल प्रबंधन हेतु लिच पिट,किचन गार्डन,सोख्ता गड्ढा, पौधरोपण,सोकवे चैनल (4.) कचरा पात्र (5.) विरल/स्केटर्ड आबादी वाले क्षेत्रों में व्यक्तिगत/सामुदायिक सोख्ता गड्ढा/हैंड पम्प पर सोख्ता गड्ढा मय पशुखेल (6.) घनी आबादी क्षेत्र/गांव के पहुंच मार्ग के किसी अमुख स्थान पर रास्ते पर गंदा पनी भरने की वजह वाले स्थानों से आवागमन में कठिनाई महसूस किए जाने की स्थिति में ड्रेनेज सिस्टम (नाली V आकार वाले/नाला U आकार) मय खरंजा(इन्टरलोकिंग/लाल ईंट खरंजा/सीसी रोड/पट्टी पठार/कातला खरंजा, आदि।) कार्य करवाये जा सकते है।

- जिला स्तर पर जिला प्रमुख की अध्यक्षता में जिला स्वच्छता मिशन का गठन किया गया है, जिसके कलक्टर सहअध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सदस्य सचिव है।
- परियोजना के कुशलतापूर्वक संचालन के लिए जिला स्तर पर जिला सहयोग इकाई का गठन किया गया है। ब्लाक स्तर पर ब्लाक कार्डीनेटर अनुबंध पर कार्यरत है। जो ब्लाक की चिन्हित ग्राम पंचायतों में जन–जागरूकता की गतिविधियो को क्रियान्वित करने में सहयोग कर रहे है।
- जन समुदाय को प्रेरित करने वाले स्थानीय प्रेरकों के सहयोग से लक्षित ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त बनाने का कार्य किया जा जा रहा है ।
- क्षमतासंवर्द्धन हेतु राज्य स्तर पर रिसोर्स ग्रुप चिन्हित एवं उन्हे प्रशिक्षित कर सभी जिलों में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है।
- जिला प्रमुख एवं जिला अधिकारियों का अध्ययन दल सिक्कीम एवं हिमाचल प्रदेश के स्वच्छता की गतिविधियों का अवलोकन कर उसे राज्य के विभिन्न जिलों मे क्रियान्वित करने का प्रयास कर रहा है। दिसम्बर माह में चिन्हित ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों का (20 लोगों) का दल खूले में शौच से मुक्ति एवं ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की जानकारी प्राप्त कर इसे अपनी ग्राम पंचायत में लागू करने का कार्य कर रहे है।

कार्यक्रम को प्रभावी बनाने हेतु उठाए गए कदम

- इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु दिसम्बर 2010 से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।
- राज्य स्तर पर स्वच्छता के गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन राजीव गांधी जल विकास एवं संरक्षण मिशन के अन्तर्गत स्वच्छता गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता मे Apex Comittee एवं अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की अध्यक्षता मे कार्यकारी समिति का गठन किया गया है।
- स्वच्छता के विषय को मुख्य कार्यकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ विकास अधिकारी/ए.ई.एन नरेगा/ग्राम सेवक जिला परिषद एवं पंचायत समिति

की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में रेटिंग प्वाइंट के आधार पर दर्ज किया गया है एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायक (मनरेगा)/ग्राम रोजगार सहायक/ब्लाक/जिला समन्वयकों के कार्यमुल्यांकन (Performance Review) के आधार पर अनुबंध आंकलन कर रिन्युवल किए जाने का प्रावधान किया गया हैं।

- कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला,ब्लाक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर मानव संसाधन विकास एवं सूचना शिक्षा एवं संप्रेषण की प्रभावी गतिविधियों के आयोजन हेतु राज्य स्तर पर सी.सी.डी.यू.(स्वच्छता) का गठन किया गया है।
- नरेगा कन्वरजेंस को प्रभावी बनाने के लिए 50/– रूपये ग्राम रोजगार सहायक एवं 25/–रूपये कनिष्ठ तकनीकी सहायक (मनरेगा) हेतु प्रति शौचालय निर्माण करवाये जाने पर प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। उक्त राशि सम्बन्धित को ग्राम के खुले में शौचमुक्त होने पर दिये जाने का प्रावधान रखा गया है।
- वर्ष 2012–13 के अन्तर्गत 876 ग्राम पंचायतों में निर्मल ग्राम लक्ष्य अर्जित करने की गतिविधियां संचालित की जा रही है। ग्राम पंचायतों में जनसंख्या के आधार पर (5000 तक 2,5000–10000 तक 3 प्रेरक तथा 10000 से अधिक होन पर 4 प्रेरक) उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है।
- चिन्हित ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त करने हेतु ग्राम पंचायत में प्रेरकों /3500 रूपये प्रति माह जाब बेसिस के आधार पर रखने का प्रावधान है, जो घर से घर सम्पर्क कर लागों को शौचालय के निर्माण एवं उपयोग के लिए प्रेरित करते है।
- गांवों में जन जागरूकता के द्वारा व्यक्तिगत घरों में शौचालय निर्माण एवं उपयोग सुनिश्चित करवाने पर आशा कार्यकर्ता/वार्डपंच/अन्य इच्छुक व्यक्तियों को रूपये 75/प्रति शौचालय प्रोत्साहन राशि भी प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया हैं।
- वैसे परिवार जो शौचालय निमार्ण में रूचि नहीं ले रहे है/ असमर्थ है उनके घरों में शौचालय निर्माण हेतु चिन्हित ग्राम पंचायत/कार्यकारी संस्था को 50,000 रूपये के रिवाल्विंग फंड का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायतों द्वारा लाभार्थी को 3000 रूपये तक की सामग्री कारीगर इत्यादि मस्टररोल जारी होने के साथ ही उपलब्ध कराया जा सकेगा।
- प्रार्थी को अन्त में 1600/– रूपये ग्राम/ग्राम पंचायत/मोहल्ला/गली में शौचालय निर्मित हो कर उपयोग में लाये जाने के उपरान्त खुले में शौच से मुक्त होने की स्थिति में प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जावेगा ।

भौतिक प्रगति

- योजनान्तर्गत 719107 व्यक्तिगत घरेलु शौचालयों के लक्ष्य के विरूद्ध 470692 शौचालयों का निर्माण किया गया है। इस वर्ष 3286 विद्यालयों मे शौचालयों के लक्ष्य के विरूद्ध 3983 तथा 4990 आगंनबाडी शौचालयों के लक्ष्य के विरूद्ध 848 आंगनबाडियों मे शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है।

शौचालय	वर्ष 2012–13 लक्ष्य	वर्ष 2012–13 प्रगति
बी.पी.एल शौचालय	213226	110366
ए..पी.एल शौचालय	557714	360326
कुल (APL+ BPL)	770940	470692

स्कूल शौचालय	8235	3983
आंगनबाड़ी शौचालय	4990	848

- इन्दिरा आवास योजना व मुख्यमंत्री बी.पी.एल. आवास योजना मे 431607 आवासों मे से 345617 एन.बी.ए. मनरेगा से कन्वरजेंस कर स्वीकृत जारी की गई है। जिसमें से 58664 शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
- निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत निर्मल ग्राम पुरस्कार हेत चिन्हित 876 ग्राम पंचायतों में से अब तक 176668 सर्वे के दौरान चिन्हित ऐसे परिवार जिनके घरों में शौचालय नही है, में से 78071 शौचालयों की एन.बी.ए. मनरेगा से कन्वरजेंस कर स्वीकृत जारी की गई है। जिसमें से 23207 शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है शेष ग्राम पंचायतों में सर्वे एवं शौचालय की स्वीकृति/निर्माण कार्य प्रगतिरत हैं।

वित्तीय प्रगति

- वर्ष 2012–13 के दौरान 6885.49 लाख रूपये केन्द्रांश तथा 863.58 लाख रूपये राज्यांश के प्राप्त हुये है, जिसमे से कुल राशि 7725.10 लाख रूपये माह दिसम्बर 2012 तक व्यय की गई।

YEAR 2012-13	RELEASE	EXPENDITURE
CENTRE	6885.49	6143.70
STATE	863.58	1764.30
TOTAL	7749.07	7908.00

13 निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना

- निर्मल भारत अभियान के समस्त घटकों पर कार्य पूर्ण करनेवाली ग्राम पंचायतों का चयन अंको के आधार पर किया जाता है।
- राष्ट्रपति महोदया के द्वारा प्रतिवर्ष पुरस्कार के रूप में ट्राफी, प्रशस्ति पत्र एवं जनसंख्या के आधार पर नगद पुरूस्कार प्रदान किया जाता है।

ग्राम पंचायतों के लिए पुरस्कार राशि

मापदण्ड/राशि	**ग्राम पंचायत**				
जनगणना–2011 के अनुसार जनसंख्या	1000 से कम	1000 से 1999	2000 से 4999	5000 से 9999	1000 से अधिक
पुरस्कार राशि (लाख रू. में)	1.0	2.0	4.0	8.0	10.0

- पुरस्कृत ग्राम पंचायतों में निवास करनेवाले सभी परिवार के घरों में यदि पाइप द्वारा जल आपूर्ति कनेक्शनों के द्वारा पानी की व्यवस्था है तो उस पंचायत को एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत अतिरिक्त पुरस्कार राशि का प्रावधान :–

मापदण्ड/राशि	**ग्राम पंचायत**				
जनगणना–2011 के अनुसार जनसंख्या	1000 से कम	1000 से 1999	2000 से 4999	5000 से 9999	1000 से अधिक

पुरस्कार राशि (लाख रू. में)	0.5	1.0	2.0	4.0	5.0

- राज्य सरकार के द्वारा पुरस्कृत ग्राम पंचायतों को अलग से पुरस्कार राशि का प्रावधान है। इसके अलावा पंचायत समितियों एवं जिला परिषद को अलग से पुरूस्कार प्रदान किए जाते है।
- अबतक राज्य से कुल 321 ग्राम पंचायतें भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत हो चुकी है।
- राज्य सरकार के द्वारा निर्मल ग्राम पुरूस्कार से पुरूस्कृत ग्राम पंचायतों को एक लाख रूपये का अतिरिक्त पुरूस्कार प्रदान किया जाता है। वैसी पंचायत समितियां जिससे 10 से अधिक ग्राम पंचायते निर्मल ग्राम पुरूस्कार से पुरूस्कृत होती है, तो वैसी पंचायत समितियों को राज्य सरकार के द्वारा 5 लाख एवं 30 से अधिक पुरूस्कार ग्राम पंचायतों वाली जिला परिषद को 10 लाख रूपये का नगद पुरूस्कार प्रदान किया जाता है।
- वर्ष 2011 में 13 जिलो से 32 ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।

14 जनता जल योजना

- जनता जल योजना जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की वे पेयजल योजनाएं है जिनको जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा तैयार करने के उपरान्त संचालन हेतु स्वेच्छिक संगठनों/एन.जी.ओं./ग्राम पंचायतों को सुपूर्द की जाती है। इन योजनाओं के संचालन व संधारण के संबंध में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के परिपत्र के अनुसार जनता जल योजना के साधारण में पम्प संचालन/संधारण/अंशकालिक श्रमिकों के भुगतान हेतु देय अनुदान द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है।
- इन योजनाओं का संचालन ग्राम पंचायत द्वारा एवं आंगूमेटेंशन कार्य जैसे नया नलकूप निर्माण/जल योजना में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा किया जाता है।
- ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए जल व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा जनता जल योजनाओं पर निम्न प्रकार अनुदान/मानदेय देय हैः–
  1 जल स्त्रोंतो पर विद्युत बिलों का भुगतान अर्थात पूर्ण विद्युत खर्च।
  2 पम्प संचालन के लिए 1000/– रूपयें प्रति माह प्रति स्त्रोत।
  3 पम्प मरम्मत के संदर्भ में समरसबल पम्प के लिए 400/– रूपयें प्रति होर्स पावर प्रति वर्ष एवं मोनो ब्लॉक पम्प के लिए 1000/– रूपयें प्रति सेट प्रति वर्ष मरम्मत के लिए।
- श्रीगंगानगर जिले के हैडवर्क्स जो कि नाहर से जल प्राप्त कर फिल्टर कर गांवों को जल उपलब्ध करवातें है। श्रीगंगानगर जिले के इन हैडवर्क्स एवं गांवों में लगे हुए अंशकालीन श्रमिकों (पम्पचालक) को पम्प संचालन के लिए प्रति ग्राम प्रतिमाह 1000/– रूपयें मानदेय दिया जाता है।
- जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से प्राप्त नवीनतम् सूचना के अनुसार वर्तमान में ग्राम पंचायतों के माध्यम से कुल 6316 जनता जल योजनाएं संचालित है।

- वित्तीय वर्ष 2012–13 से जनता जल योजनाओं के संचालन के क्रम में पूर्ण विद्युत खर्च, अंशकालीन श्रमिकों (पम्पचालक) को 1000 रूपयें प्रति माह प्रति स्त्रोत तथा संधारण हेतु देय अनुदान राशि विभागीय बजट मद 2515 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को दी जा रही है।
- जनता जल योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में निम्नानुसार राशि उपलब्ध करायी जा चुकी हैः–

क्र.सं.	मद	वर्ष 2012–13 में आवश्यक कुल राशि
1.	मजदूरी	851.28
2.	विद्युत प्रभार	3527.79
3.	अनुरक्षण एवं मरम्मत	378.96
	योग=	**4758.03**

राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम
(मिड–डे मील कार्यक्रम)

परिचय

- मिड–डे मील कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के सभी 33 जिलों में समस्त राजकीय, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों, शिक्षा गारन्टी केन्द्रों, नेशनल चाईल्ड लेबर प्रोजेक्ट (NCLP) के अन्तर्गत संचालित संस्थानों तथा मदरसों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययरनत विद्यार्थियों को भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है।

उद्देश्य

- कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा का सार्वजनिकरण, नामांकन में वृद्धि एवं बच्चों का शाला में ठहराव सुनिश्चित करना तथा पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है।

कार्यक्रम का कार्यक्षेत्र एवं क्रियान्वयन की जिम्मेदारी

- कक्षा 1 से 8 तक कुल **80,344** राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कुल **69.69 लाख** छात्रों को मिड डे मील उपलब्ध करवाया जा रहा है जिसमें कक्षा 1 से 5 तक **49.02** लाख तथा कक्षा 6–8 तक **20.67 लाख** छात्र सम्मिलित है।
- प्रारम्भ में कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के सरकारी एवं स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों, शिक्षा गांरटी केन्द्रों तथा मदरसों में कक्षा 1 से 5 तक अध्ययन कर रहे सभी छात्र–छात्राओं का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा था परन्तु अक्टूबर परन्तु अक्टूबर, 2007 में भारत सरकार द्वारा मिड–डे मील कार्यक्रम का विस्तार कक्षा 1 से 8 तक छात्रों के लिए कर दिया गया।
- यह कार्यक्रम सम्पूर्ण राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है। ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पंचायत समितियों में पदस्थापित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी की है। विद्यालय स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन की जिम्मेदारी शाला विकास प्रबन्ध समिति (एस.डी.एम.सी.) की है।
- राज्य सरकार द्वारा सूखा ग्रस्त घोषित क्षेत्रों में ग्रीष्म अवकाश के दौरान दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

कार्यक्रम अन्तर्गत उपलब्ध सहायता

- भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के लिए कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को 100 ग्राम एवं कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए 150 ग्राम खाद्यान्न प्रति छात्र प्रति कार्य दिवस की दर से उपलब्ध कराया जाता है।
- भारत सरकार द्वारा भोजन पकाने की लागत में दिनांक 15.06.2012 के दिशा–निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2012–13 के आरम्भ में लागू कुकिंग कन्वर्जन की दरें 7.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए है। राज्य सरकार के निर्णय उपरान्त अब प्राथमिक स्तर के लिए राशि 3.11 एवं उच्च प्राथमिक स्तर के लिए राशि 4.65 तक प्रतिछात्र प्रतिदिन के लिए वृद्धि की जा चुकी है जो कि माह जुलाई, 2012 से प्रभावी है।

- भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत रसोईघर निर्माण, खाना पकाने/बनाने/वितरण एवं भोजन ग्रहण करने के बर्तन एवं रसोई उपकरण क्रय करने हेतु राशि उपलब्ध करायी जाती है।

उपरोक्तानुसार गत तीन वर्षों के कुल प्रावधान निम्नानुसार हैं :–

क्र.स	मद	वर्ष 2010–11	वर्ष 2011–12	वर्ष 2012–13*
1	खाद्यान का आवंटन क्विं	15,64,110	14,23,430	11,04,645
2	खाद्यान का उठाव क्विं	15,38,100	13,82,460	7,78,690
3	खाद्यान का उपयोग क्विं	15,33,360	14,22,070	4,67,920
4	वित्तीय प्रावधान–कुल अ. केन्द्रीय मद ब. राज्य मद	72,000 लाख 58,500 लाख 13,500 लाख	75,900 लाख 60,000 लाख 15,900 लाख	78,100 लाख 60,000 लाख 18,100 लाख

*** प्रगति माह दिसम्बर, 2012 तक (1 से 3 बिन्दु)**

कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु मूलभूत आवश्यकताएं

- राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु सभी मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराने हेतु सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे है। विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं का सारांश निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	सुविधा	प्रगति
1.	किचन सुविधा	अधिकांश विद्यालयों में उक्त सुविधाओं को पूर्ण कराने के प्रयास जारी हैं।
2.	बर्तन सुविधा	
3.	गैस सुविधा	

कार्यक्रम अन्तर्गत भोजन व्यवस्था

- कार्यक्रम अन्तर्गत उपस्थित छात्रों को दिनवार दिये जाने वाले भोजन का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	वार	भोजन का विवरण
1	**सोमवार**	रोटी – सब्जी
2	**मंगलवार**	चावल एवं दाल अथवा सब्जी
3	**बुधवार**	रोटी – दाल
4	**गुरूवार**	खिचडी (दाल,चावल,सब्जी आदि युक्त)
5	**शुक्रवार**	रोटी – दाल
6	**शनिवार**	रोटी – सब्जी
1. सप्ताह में किसी भी एक दिन स्थानीय मांग के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है। इस भोजन में कम से कम कक्षा 1 से 5 तक के लिए 450 कैलोरी, 12 ग्राम प्रोटीन एवं कक्षा 6 से 8 तक के लिए 700 कैलोरी, 20 ग्राम प्रोटीन होना आवश्यक है। 2. पूर्व की भांति सप्ताह में एक दिन छात्रों को फल दिया जाना अनिवार्य होगा		
1. सप्ताह में दिये जाने वाले व्यंजनों का विवरण, प्रत्येक व्यंजन के लिए आवश्यक सामग्री का विवरण विद्यालय के सूचना पट्ट पर दर्शाने का प्रावधान है।		

- भोजन पकाने का कार्य विद्यालयों में स्थित रसोईघर अथवा केन्द्रीय रसोईधर के माध्यम से किया जाता है। केन्द्रीय रसोईघर का संचालन स्वयं सेवी संस्थाओं/ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में निम्नलिखित स्थानों पर केन्द्रीय रसोईघर संचालित हैं:–

वर्तमान में क्रियान्वित केन्द्रीयकृत रसोईघरों की सूची

क्र. सं	जिला	संस्था का नाम	स्थान	विद्यालयों की संख्या	नामांकन
1	2	3	4	5	6
1	अजमेर	नान्दी फाउण्डेशन	किशनगढ़ (अजमेर)	230	22562
2		नान्दी फाउण्डेशन	तोपदडा (अजमेर)	229	17913
3	अलवर	क्यू. आर. जी. फाउण्डेशन	एम.आई.ए. (अलवर)	337	30627
4	भीलवाड़ा	नान्दी फाउण्डेशन	बापू नगर (भीलवाड़ा)	292	28073
5	बीकानेर	नान्दी फाउण्डेशन	पूगल रोड़ (बीकानेर)	284	31619
6	चित्तौडगढ़	नान्दी फाउण्डेशन	गंगरार (चित्तौड़गढ़)	379	20753
7		नान्दी फाउण्डेशन	मण्डाफिया (चित्तौड़गढ़)	494	30490
8		नान्दी फाउण्डेशन	कपासन (चित्तौड़गढ़)	517	25669
9		नान्दी फाउण्डेशन	निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)	242	22340
10		नान्दी फाउण्डेशन	गाँधी नगर (चित्तौड़गढ़)	298	28488
11	डूंगरपुर	नान्दी फाउण्डेशन	सागवाड़ा (डूँगरपुर)	248	23529
12	जयपुर	अक्षय पात्र फाउण्डेशन	जगतपुरा (जयपुर)	1397	108784
13		नान्दी फाउण्डेशन	गोविन्दगढ़ (जयपुर)	316	21161
14		इस्कॉन	दुर्गापुरा (जयपुर)	182	15035
15	झालावाड़	नान्दी फाउण्डेशन	झालरापाटन (झालावाड़)	137	23000
16	जोधपुर	अदम्य चेतना ट्रस्ट	उमेद कलब के पास (जोधपुर)	486	58574
17	कोटा	नान्दी फाउण्डेशन	बोरखण्डी स्कूल के पास (कोटा)	407	34054
18	राजसमन्द	अक्षय पात्र फाउण्डेशन	नाथद्वारा (राजसमन्द)	424	29788
19	उदयपुर	नान्दी फाउण्डेशन	(बुहाना)उदयपुर	893	57115
20		नान्दी फाउण्डेशन	सलूम्बर (उदयपुर)	363	27857
21		नान्दी फाउण्डेशन	झाड़ोल (उदयपुर)	151	14493
कुल		21 केन्द्रीयकृत रसोईघर		8306	6,71,924

- अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों को एक पंचायत के सभी पात्र विद्यालयों में मिड डे मील उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है। वर्तमान में इन समितियों द्वारा लगभग 2620 विद्यालयों में 2.60 लाख छात्रों को मिड डे मील उपलब्ध कराया जा रहा है।

जन सहभागिता बढाने के प्रयास

- जन सहभागिता को बढावा देने के उद्देश्य से ''मिड–डे–मील ट्रस्ट, राजस्थान'' का पंजीयन करवाया गया है।
- मिड–डे–मील कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, भोजन की गुणवत्ता मे और वृद्धि करने एवं स्थानीय जन सुमदाय को जोड़ने के उद्देश्य से विभाग द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी कर दिये गये है। गैर सरकारी संस्थाओं आदि के चयन का कार्य जिला कलेक्टर द्वारा करने का प्रावधान है।
- कई औद्योगिक घरानों एवं धर्मार्थ संस्थानों द्वारा रसोईघर का निर्माण एवं अन्य सुविधा के लिए सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

राशि हस्तांतरण की प्रक्रिया

- केन्द्र सरकार द्वारा राशि का हस्तान्तरण सीधे ही राज्य कोष में किया जाता है।
- वर्ष के बजट प्रावधानों, जिलों के नामांकन, आवंटन शर्तों के अनुसार विभाग द्वारा जिलों को राशि हस्तांतरित करने के आदेश जारी किये जाते हैं। वित्त विभाग द्वारा राशि का हस्तांतरण जिला परिषदों के पी.डी. खाते में किया जाता है।
- जिला परिषद द्वारा जिले की पंचायत समितियों, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका द्वारा संचालित विद्यालयों मे अध्ययनरत छात्रों की संख्या के अनुपात में राशि का हस्तान्तरण संबंधित संस्था को किया जाता है।
- पंचायत समिति/स्थानीय निकायों द्वारा प्रत्येक विद्यालयों की शाला प्रबंध समिति अथवा केन्द्रीयकृत रसोईघर संचालक को सीधे ही राशि का हस्तान्तरण किये जाने का प्रावधान है।
- अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों के माध्यम से ग्राम पंचायतों मे मिड–डे–मील कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए राशि ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाती है।

प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास

- पूर्व में भारत सरकार से शत–प्रतिशत उपस्थिति एवं अधिक कार्य दिवसों के आधार पर खाद्यान्न का आवंटन किया जाता था। विभाग द्वारा 65 व 75 प्रतिशत औसतन उपस्थिति मानते हुए खाद्यान्न का आवंटन करवाना प्रारम्भ किया गया।
- मिड डे मील कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा करने हेतु राज्य एवं जिला, खण्ड स्तर पर समितियों का गठन किया गया है जिसमें राज्य स्तरीय समीक्षा एवं संचालन समिति की प्रथम बैठक दिनांक 21.05.2012 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में की गई तथा जिला एवं खण्ड स्तरीय समितियों की नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इन समितियों में जिले के सांसद, जिले से दो विधायक एवं अन्य जन प्रतिनिधि सदस्य है।
- कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिला कलक्टर, जिला स्तरीय अधिकारी एवं खण्ड स्तरीय अधिकारियों के लिए निरीक्षण के निर्धारित मापदण्ड तय किये गये है एवं प्रत्येक तिमाही के पश्चात् सघन निरीक्षण भी करवाए जा रहे है।
- विभिन्न जन प्रतिनिधियों से भी कार्यक्रम का नियमित निरीक्षण करने का अनुरोध किया गया है। निरीक्षण के लिए महत्वपूर्ण बिन्दु भी विभाग द्वारा सूचीबद्ध किये हुए है।
- विद्यालयों में रसोई गैस सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रत्येक विद्यालय में खाना बनाने, वितरण करने एवं खाने के पर्याप्त बर्तन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
- जिला एवं खण्ड स्तरीय समितियों द्वारा दिये गये सुझावों अथवा कार्यक्रम में पायी गयी कमियों पर त्वरित गति से अमल किया जाता है।
- खाद्यान्न के परिवहन हेतु स्वतंत्र परिवहन संस्था को नियुक्त किया गया (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, मामलात विभाग)।

- कई बाहरी एवं स्वतंत्र संस्थाओं के माध्यम से कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु मूल्यांकन एवं अध्ययन करवाया जाता है।
- जनसहभागिता को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। इस हेतु दिनांक 14 जनवरी, 06 को विस्तृत पोलिस जारी की गई। पी.पी.पी के तहत अभी तक 21 स्थानों पर केन्द्रीयकृत रसोईघर संचालित किये जा रहे हैं।

वर्ष 2012–13 की महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- कार्यक्रम अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा समय–समय पर दिशा–निर्देशों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाते रहे हैं जैसे भोजन पकाने की राशि एवं रसोईघर निर्माण मद में प्रति इकाई राशि में वृद्धि तथा भोजन पकाने के लिए कुक कम हेल्पर के नियोजन इत्यादि। इन दिशा–निर्देशों को सम्पूर्ण राज्य में विधिवत रूप से लागू कर दिया जाता है।
- वित्तीय वर्ष 2012–13 से भोजन पकाने हेतु देय सहायता में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
- 29,815 विद्यालयों में गैस कनेक्शन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राशि रू. 11.92 करोड़ स्वीकृत किए गए जिनको उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।
- मिड–डे मील कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक विद्यालय में अभी तक कुल 76977 रसोईघर स्वीकृत किए गए है। वर्तमान वित्तीय वर्ष तक राज्य के सभी विद्यालयों में एक पक्का रसोईघर निर्माण का प्रयास किया जावेगा।
- प्रत्येक विद्यालय में भोजन पकाने के लिए स्थानीय लोगों को कुक कम हेल्पर के रूप में सेवाएं देने के लिए नियोजित किया गया जिसमें प्रति व्यक्ति 1000 प्रतिमाह का मानदेय निर्धारित किया गया। इस प्रकार लगभग 1.15 लाख व्यक्तियों का सहयोग इस कार्य के लिए लिया जा रहा है। इस कार्य में विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडे वर्ग की महिला, विधवा एवं परित्यक्तता को प्राथमिकता के आधार पर नियोजित किया जा रहा है।
- राज्य के सभी पंजीकृत मदरसों में मिड–डे मील कार्यक्रम का क्रियान्वयन 1 दिसम्बर, 2011 से किया जा रहा है। वर्तमान में इन मदरसों की संख्या 2974 है।
- वर्तमान में स्वयं सेवी संस्था के द्वारा **21** स्थानों पर केन्द्रीयकृत रसोईघर संचालित है जिनसे **8306 विद्यालयों में 6.72 लाख** विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त मिड डे मील से लाभान्वित किया जा रहा है। **यह संख्या सभी राज्यों में सर्वाधिक है।**
- अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियों को एक पंचायत के सभी पात्र विद्यालयों में मिड डे मील उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है। वर्तमान में इन समितियों द्वारा लगभग 2620 विद्यालयों में 2.60 लाख छात्रों को मिड डे मील उपलब्ध कराया जा रहा है।
- जिला/खण्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा भी नियमित रूप से कार्यक्रम का निरीक्षण किया जा रहा है जिससे पोषाहार पकाने एवं वितरण में निगरानी रखी जा सके। जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए निरीक्षण के लक्ष्य भी निर्धारित किए हुए हैं जिनके द्वारा नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है।

- कार्यक्रम की व्यापक समीक्षा एवं मूल्यांकन के लिए राज्य स्तर पर देश का पहला अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर विकसित कर ऑन लाईन किया गया तथा वर्तमान में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर नियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा निरन्तर इसमें कार्यक्रम सम्बन्धित सारी सूचनाएं फीड की जा रही है जिससे कार्यक्रम की ऑन लाईन रिपोर्टिंग सम्भव हो सकी है।
- वर्तमान में मिड डे मील कार्यक्रम का Master Data ऑन लाईन करने के लिए भारत सरकार द्वारा MIS (Management Information System) Portal विकसित किया गया है। यह ऑन लाईन प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में क्रियान्वित करवाई जा रही है जिससे जिला/खण्ड/विद्यालय स्तर का सम्पूर्ण Master Data & Monthly Data ऑन लाईन किया जा रहा है।
- कार्यक्रम क्रियान्वयन की उचित समीक्षा करने एवं नियमित रूप से निगरानी रखने के लिए भारत सरकार द्वारा Interactive Voice Response System (IVRS) तकनीकी को लागू किया जाना प्रस्तावित है। यह रिपोर्टिंग प्रक्रिया सम्पूर्ण देश में भारत सरकार द्वारा एक साथ लागू की जानी है तथा इसके लिए राशि प्राप्त होने पर इस व्यवस्था को राज्य भर में क्रियान्वित किया जावेगा।
- एल.पी.जी. सिलेण्डर्स की दरों एवं श्रेणी में बदलाव के कारण राज्य सरकार अपनी ओर से अन्तर राशि का पुनर्भरण करेगी। यद्यपि गैस सिलेण्डर का व्यय कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट की राशि में से ही होता है। अतः यह अतिरिक्त भार केन्द्र एवं राज्य सरकार के बीच 75 : 25 में ही वहन करने हेतु भारत सरकार को निवेदन किया गया था जिस पर भारत सरकार द्वारा सहमति दी जा चुकी है।
- बारां जिले के सहरिया बाहुल्य किशनगंज एवं शाहबाद ब्लॉक्स में आदिवासी छात्रों हेतु मिड डे मील योजनान्तर्गत खाद्यान्न की मात्रा दिनांक 1 जनवरी, 2013 से दोगुनी करने हेतु जिले को निर्देश जारी किए जा चुके है। इस व्यय को वहन करने हेतु भारत सरकार को निवेदन किया जा चुका है।

जलग्रहण विकास कार्यक्रम

(एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन परियोजना (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) एवं समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी), सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी)

एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन परियोजना (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)

- क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों, यथा समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) को वर्ष 1994 तक उनके अपने अलग अलग मार्गदर्शी सिद्वान्तों, मानदण्डों, वित्त पोषण पद्वति के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा था। हनुमंत राव समिति की सिफारिशों के आधार पर इन क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को 1 अप्रैल, 1995 से जलग्रहण विकास संबंधी समान मार्गदर्शी सिद्वान्तों के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा था।
- भारत सरकार द्वारा जलग्रहण विकास कार्यक्रमों की क्रियान्विति हेतु समान मार्गदर्शी सिद्धान्त–2008 जारी किये गये है, जो पूरे देश में दिनांक 1.4.2008 से लागू किये गये हैं। अब भू–संसाधन विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत होने वाली सभी जलग्रहण परियोजनाऐं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस नये कार्यक्रम यथा एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत ही स्वीकृत की जायेगी।
- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत राशि हेतु केन्द्रयांश एवं राज्यांश का अनुपात 90:10 रखा गया है। नॉन डी.डी.पी. ब्लॉक्स के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति हैक्टेयर उपचार हेतु राशि रु. 12000/– एवं डी.डी.पी. ब्लॉक्स के अन्तर्गत प्रति हैक्टेयर उपचार हेतु राशि रु. 15000/– तय की गई है।
- वित्तीय वर्ष 2011–12 में एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य के 30 जिलों की 148 पंचायत समितियों हेतु भारत सरकार द्वारा 229 परियोजनाऐं स्वीकृत हुई है, जिसकी कुल लागत रु. 181999.47 लाख है, जिसके अन्तर्गत 1301201 हैक्टेयर क्षेत्र उपचारित किया जायेगा।

उपलब्धियाँ

- वर्ष 2012–13 में राजस्थान राज्य के 31 जिलों के अन्तर्गत 125 पंचायत समितियों में कुल 145 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत 787603 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल उपचारित किया जायेगा, जिसकी लागत रु. 105157.89 लाख होगी।
- स्वीकृत परियोजनाओं में कार्य आरम्भ कर दिया गया है, जिसके अन्तर्गत जलग्रहण समिति का गठन, जलग्रहण विकास दल का नियोजना, प्रवेश बिन्दु गतिविधि, क्षमता निर्माण, डी.पी.आर. तैयार करने जैसी प्रारम्भिक चरण की गतिविधियों सहित जलग्रहण विकास कार्य, गरीबी रेखा से नीचे के (बी.पी.एल.), भूमिहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका सम्बन्धी कार्यकलाप तथा उत्पादन प्रणाली एवं अति लघु उद्यम पर वर्ष 2012–13 में माह दिसम्बर, 2012 तक कुल रु. 13353.55 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

ग्रामीण विकास योजनाएं (भू संसाधन)

- ग्रामीण विकास योजनाएं भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पोषित है। इन योजनाओं/परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य ग्रामीण विकास विभाग नोडल विभाग है। योजनाओं की प्रगति का माह दिसम्बर, 2012 तक का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	योजना का नाम	उपलब्ध राशि	वित्तीय प्रगति	प्रतिशत प्रगति	उपचारित क्षेत्र (है0)
1	मरू विकास कार्यक्रम (डीडीपी)	8268.87	1439.77	17.41	10182
2	मरू प्रसार रोक कार्यक्रम (डीडीपी विशेष)	5753.44	468.68	8.15	5285
3	सूभा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी)	960.75	469.62	48.88	7988
4	एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी)	399.89	273.19	68.32	4566

मरू विकास कार्यक्रम(डीडीपी)

- मरू विकास कार्यक्रम (डीडीपी) को राजस्थान में वर्ष 1977–78 में शुरू किया गया था। राजस्थान में गर्म शुष्क (रेतीले) क्षेत्रों के विस्तृत भू–भाग होने के कारण इसकी अलग समस्याएं है। राज्य के 16 जिलों में वर्तमान में कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। 10 प्रमुख मरू जिलों यथा बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जालौर, झुंझुंनू, जोधपुर, नागौर, पाली और सीकर में रेत के टीलों के स्थिरीकरण की समस्या को ध्यान में रखते हुए आडी पट्टियों (शेल्टर बेल्ट) में वृक्षारोपण, रेत के टीलों के स्थिरीकरण तथा वन चारागाह विकास के द्वारा मरूस्थलीकरण को रोकने हेतु वर्ष 1999–2000 से मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है।
- इस कार्यक्रम की परिकल्पना भूमि, जल, पशुधन और मानव संसाधनों के संरक्षण, विकास और इन्हें उपयोग में लाकर पारिस्थितिकीय संतुलन की बहाली के लिए एक दीर्घकालिक उपाय के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण समुदाय के आर्थिक विकास को बढाना और ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के संसाधनहीन गरीब लोगों ओर समाज के उपेक्षित वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है।

उद्देश्य

- फसलों, मानव और पशुधन पर मरूस्थलीकरण और विपरीत जलवायु परिस्थितियों के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना और मरूस्थलीकरण को रोकना।
- प्राकृतिक संसाधनों अर्थात भूमि, जल, वानस्पतिक आच्छादान का उपयोग, संरक्षण और विकास करके पारिस्थितिकीय संतुलन को बहाल करना और भूमि की उत्पादकता बढाना।
- भूमि के विकास, जल संसाधनों के विकास और वनीकरण/चारागाह विकास के लिए जलग्रहण पद्वति के जरिए विकासात्मक को कार्यान्वित करना।

वित्त पोषण

- 1 अप्रैल, 1999 से यथा इसके बाद स्वीकृत की गई जलग्रहण परियोजनाओं के लिए कार्यक्रम को 75:25 के आधार पर वित्तपोषित किया जा रहा है। तथापि 31.3.99 से पूर्व स्वीकृत की गई परियोजनाओं का वित्तपोषण पुरानी पद्वति 50:50 पर किया जाना जारी रहेगा। कार्यक्रम अन्तर्गत 500 हैक्टेयर की परियोजना ली जाती है। 01.04.2000 से स्वीकृत परियोजनाओं के लिये राशि 6000/– रू0 प्रति हैक्टेयर अर्थात 30 लाख रू0 प्रति परियोजना उपलब्ध कराई जा रही है।

उपलब्धियां

- वर्ष 2011–12 में डीडीपी एवं डीडीपी (विशेष) 23417.23 लाख रू0 की उपलब्ध राशि के विपरीत रू0 10264.61 लाख व्यय किए गए जो कि उपलब्ध राशि का 43.83 प्रतिशत है।
- वर्ष 2012–13 में डीडीपी एवं डीडीपी (विशेष) दिसम्बर, 2012 तक कुल 14022.31 लाख रू0 की उपलब्ध राशि के विपरीत रू0 1908.45 लाख व्यय किए गए है।
- डीडीपी, डीपीएपी एवं आईडब्ल्यूडीपी अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की अवधि 31.12.2012 को समाप्त हो चुकी है। परियोजनान्तर्गत अवशेष रही राशि केन्द्र/राज्य सरकार को लौटाए जाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है।

सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम(डीपीएपी)

- सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) केन्द्र सरकार ने उन क्षेत्रों, जहां पर लगातार भयंकर सूखे की स्थिति बनी रहती है, की विशेष समस्याओं को हल करने के लिए वर्ष 1973–74 में शुरू किया था। इन क्षेत्रों की विशेषता यह है कि यहां पर मानव जनसंख्या और पशुओं की संख्या अधिक होने के कारण भोजन, चारे तथा ईंधन के लिए उन प्राकृतिक संसाधनों पर लगातार काफी अधिक दबाव पड़ रहा है जो पहले से ही कम है। यहां की मुख्य समस्या वानस्पतिक आच्छादान का सतत् रूप से क्षीण होना, भूमि कटाव में वृद्वि होना तथा भूमि के नीचे जल के भण्डार को पुनः भरने के लिए कोई प्रयास किए बिना लगातार दोहन के कारण भू–जल के स्तर से गिरावट आना है।

उद्देश्य

- कार्यक्रम का मूल उद्देश्य फसलों के उत्पादन, पशुधन तथा भूमि की उत्पादकता, जल और मानव संसाधनों पर पड़ने वाले सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है तथा इसके द्वारा अंततः प्रभावित क्षेत्रों को सूखे के प्रभाव से मुक्त कराना है। इसके अलावा क्षेत्र में निवास करने वाले संसाधनहीन गरीब लोगों और उपेक्षित वर्गों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में संसाधन आधार का सृजन, इसे व्यापक बनाकर और समान वितरण के द्वारा तथा रोजगार के अवसर बढाकर सुधार लाना और उनके समग्र आर्थिक विकास को बढ़ाना है।

वित्त पोषण

- मार्च, 1999 तक, निधियां केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच 50:50 के आधार पर बांटी जा रही थी। तथापि 1 अप्रैल, 1999 से वित्तपोषण केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 75:25 के आधार पर बांटा जाता है। कार्यक्रम के अन्तर्गत 500 हैक्टेयर क्षेत्र की परियोजनाएं स्वीकृत की जाती है। 1.4.2000 के पश्चात् स्वीकृत परियोजनाओं हेतु 6000 रू0 प्रति हैक्टेयर की दर से लागत मानदण्ड लागू किये गये है।

उपलब्धियां

- वर्ष 2011–12 में 2579.65 लाख रू0 की उपलब्ध राशि के विपरीत रू0 1681.90 लाख व्यय किये गये है जो कि उपलब्ध राशि का 65.20 प्रतिशत है।
- वर्ष 2012–13 में माह दिसम्बर, 2012 तक कुल 960.75 लाख रू0 की उपलब्ध राशि के विपरीत रू0 469.62 लाख व्यय किये गये जो कि उपलब्ध राशि का 48.88 प्रतिशत है।

समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम(आईडब्ल्यूडीपी)

- समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) जो केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, वर्ष 1989–90 से कार्यान्वित किया जा रहा है। 1 अप्रैल, 1995 से इस कार्यक्रम को जलग्रहण विकास के लिए समान मार्गदर्शी सिद्वान्तों के अन्तर्गत जलग्रहण पद्वति के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बंजरभूमि और अवक्रमित भूमि के विकास से सभी स्तरों पर लोगों की भागीदारी को बढ़ाए जाने के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के सृजन में वृद्वि होने की आशा की जाती है जिससे भूमि के सतत् विकास और लाभों के समान वितरण में सहायता मिलती है।

उद्देश्य

- कार्यक्रम का मूल उद्देश्य बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि का गांव/माइक्रो जलग्रहण योजनाओं के आधार पर समेकित विकास करना है। कार्यक्रम का लक्ष्य निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करना हैः–
- भूमि, जल, वानस्पतिक आच्छादान जैसे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, संरक्षण तथा विकास के द्वारा पारिस्थितिकीय संतुलन को बहाल करना।
- भूमि की उर्वरता, स्थल स्थितियों तथा स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि को जलग्रहण आधार पर विकसित करना।
- कार्यक्रम वाले क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों तथा उपेक्षित वर्गों के समग्र आर्थिक विकास को बढावा देना तथा उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना।
- जलग्रहण (जलग्रहण) क्षेत्र में सृजित परिसम्पत्तियों के संचालन तथा रख रखाव के लिए तथा प्राकृतिक संसाधनों की संभावना का आगे और विकास करने के लिए सतत् सामुदायिक प्रयास करने।

- साधारण, सरल और वहन कर सकने योग्य ऐसे प्रौद्योगिकीय समाधान और संस्थागत व्यवस्थाऐं जिनका उपयोग किया जा सके और जिन्हें स्थानीय तकनीकी ज्ञान और उपलब्ध सामग्री के आधार पर तैयार किया जा सके।
- रोजगार सृजन, गरीबी उपशमन, सामुदायिक अधिकार सम्पन्नता तथा गांव के मानव संसाधन और अन्य आर्थिक संसाधनों का विकास।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाएं सामान्यतः उप ब्लॉकों में स्वीकृत की जाती है जो मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) तथा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) के अन्तर्गत शामिल नहीं होते है। इस समय इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाएं राज्य के 18 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है।

वित्त पोषण

- 31.03.2000 से पहले कार्यक्रम के अन्तर्गत जलग्रहण विकास परियोजना 4000 रू0 प्रति हैक्टेयर के लागत मानदण्ड पर स्वीकृत की जाती थी, इनका वित्तपोषण पूर्णतया केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता था तथापि 01.04.2000 के बाद स्वीकृत की गई परियोजनाओं के लिए लागत मानदण्ड को संशोधित करके 6000 रू0 प्रति हैक्टेयर कर दिया गया है। नई परियोजनाओं के वित्त पोषण की राशि को केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच क्रमशः 5500 रू0 और 500 रू0 प्रति हैक्टेयर के अनुपात में बांटा जाएगा।

उपलब्धियां

- वर्तमान में राज्य के विभिन्न जिलों में 3.72 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल उपचारित करने हेतु परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है।
- वर्ष 2011–12 में कुल 1188.37 लाख रू0 की उपलब्ध राशि के विपरीत रू. 813.47 लाख व्यय किये गये जो कि उपलब्ध राशि का 68.45 प्रतिशत है।
- वर्ष 2012–13 में माह दिसम्बर, 2012 तक कुल 399.89 लाख रू0 की उपलब्ध राशि के विपरीत रू0 273.19 लाख व्यय किये गये है जो कि उपलब्ध राशि का 68.32 प्रतिशत है।

परिशिष्ट–1

स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत बहुराज्यीय विशेष परियोजनाएँ

क्र. स.	परियोजना का नाम	कार्यकारी एजेंन्सी	स्वीकृत दिनॉक	परियोजना लागत (लाख में)	परियोजना अवधि	कुल लाभार्थियों की संख्या	कवर्ड जिले/राज्य
1	स्पेशल प्रोजेक्ट अण्डर एसजीएसवाई प्रोग्राम एम्पलोयमेंट क्रिएशन थ्रू ट्रेनिंग एण्ड स्कील डवपलपमेंट टू रूरल यूथ इनक्लूडिंग वूमन इन डिमान्ड ड्रायवन एम्पलोयएबिलीटी सेक्टर फॉर बीपीएल यूथ फेमिली।	एफ.आई.डब्ल्यु.ई. नई दिल्ली	22.5.2009	829.40	3 वर्ष	3000	उदयपुर, डूगंरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़,
2	स्पेशल प्रोजेक्ट अण्डर एसजीएसवाई फोर स्कील डवलपमेंट इन राजस्थान उत्तरप्रदेश ऑन पायलट बेसिक बाई कैरियर लॉचर एजूकेशन फाण्डेशन(सी. एल.ई.एफ)	सी.एल.ई.एफ .	22.5.2009	544.00	3 वर्ष	3200	अलवर, दौसा, हनुमानगढ़,चुरू, डुगरपुर, उदयपुर
3	स्कील डवलपमेंट प्रोग्राम फॉर बीपीएल यूथ फोर एम्पलयोमेंट इन सिक्योरिटी सेक्टर इन 15 स्टेटस् (एसएससीआई)	सिक्योरिटी स्कील काउन्सिल ऑफ इण्डिया	24.6.2009	1494.84	1 वर्ष	800	**अवधि पूर्ण**
4	स्पेशल प्रोजेक्ट अण्डर एसजीएसवाई फॉर प्लेसमेंट लिंक्ड स्कील डवलपलमेंट प्रोग्राम फॉर रूरल बीपीएल यूथ	पीपल ट्री वेन्चरर्स प्रा. लि., मुम्बई (महाराष्ट्र)	22.01.10	1488.47	3 वर्ष	2500	जयपुर
5	ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेंट इन हैल्थ केयर सेक्टर इन 6 स्टेटस्	कैप फाउण्डेशन, हैदराबाद	12.3.2010	1499.65	3वर्ष	920	जयपुर, उदयपुर
6	स्कील डवलपमेंट ट्रेनिंग टू अनएम्पलोयड बीपीएल यूथ इन 4 स्टेट	ग्रेट इण्डिया ड्रीम फाण्डेशन	12.3.2010	1285.44	3 वर्ष	1800	जयपुर, जोधपुर
7	स्कील ट्रेनिंग फॉर एम्पलोयमेंट इन एपिल मैन्यूफैक्चिरिंग(सीम) इन 8 स्टेटस	टेक्नोपार्क	25.3.2010	1497.78	2 वर्ष		जयपुर
8	स्कील डवलपमेंट फॉर ट्रेनिंग एण्ड सर्टिफिकेशन ऑफ रूरल बीपीएल यूथ	ए फॉर ई इण्डिया लि0 नई दिल्ली	30.3.2010	1498.65	21 माह	8370	पंजाब राजस्थान महाराष्ट्र बिहार झारखण्ड उड़ीसा
9	स्कील डवलपमेंट एण्ड प्लेसमेंट ऑफ रूरल बीपीएल यूथ इन अपेरल इण्डस्ट्री	ओरियण्ट क्राफ्ट फैशन इन्स्टीटयूट एण्ड टेक्नोलोजी	22.2.2010	1491.28	2 वर्ष	2000	जयपुर, अलवर, दौसा
10	स्कील डवलपमेंट इन टेलेकॉम एण्ड बीपीओ सेक्टर	एनआईएस स्पार्टा नई दिल्ली	23.2.2010	900.00	3 वर्ष		जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर
11	स्कील डवलपमेंट एण्ड प्लेसमेंट ऑफ रूरल बीपीएल यूथ इन हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश एण्ड मध्यप्रदेश	आईएपी कम्पनी लि0	22.05.2010	1488.47	.....	7800	हरियाणा राजस्थान उत्तरप्रदेश एण्ड मध्यप्रदेश
12	स्पेशल प्रोजेक्ट अन्डर एसजीएसवाई फोर ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेन्ट ऑफ रूरल यूथ इन सिक्युरिटी सेक्टर इन महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एण्ड गुजरात	टॉप ग्रुप इन्टरनेशनल सिक्युरिटी एकेडमी (टी.आई.एस.ए)	12.01.2011	1499.92	3 वर्ष		अलवर, भीलवाडा, जयपुर, झुन्झुनू, नागौर, प्रतापगढ, सीकर, उदयपुर
13	स्पेशल प्रोजेक्ट अन्डर एसजीएसवाई	पी.सी. ट्रेनिंग	12.01.2010	1120.00	3 वर्ष		जयपुर, अलवर,

	फोर स्कील डवलप्मेन्ट प्रोग्राम अमोंग रूरल बीपीएल यूथ इन एम.पी. राजस्थान, छत्तीसगढ़	इन्सटीट्यूट लि0 (पी.सीटीआईएल)					भरतपुर, कोटा,
14	स्पेशल प्रोजेक्ट अन्डर एसजीएसवाई फोर ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेन्ट ऑफ रूरल यूथ इन यूपी, उत्तराखण्ड, राजस्थान, पंजाब, जे एण्ड के, एच.पी., हरियाणा, दिल्ली	इन्सटीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर अकेडमी (आई.सी.ए.)	12.01.2010	1490.67	3 वर्ष		जोधपुर, चुरू
15.	स्कील डवलपमेंट ऑफ बीपीएल यूथ इन वेर्स्टन इण्डिया	एन.आई.आई.टी., नई दिल्ली	31.1.2010	1488.47	2 वर्ष	7800	गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान
16	स्पेशल प्रोजेक्ट अण्डर एसजीएसवाई फोर प्रोवाईडिंग प्लमबिंग स्कील टू बीपीएल यूथ	मैसर्स भास्कर फाउण्डेशन, नई दिल्ली	02.02.2010	319.75	2 वर्ष	400	अजमेर, भरतपुर, अलवर, जयपुर
17	स्पेशल प्रोजेक्ट अण्डर एसजीएसवाई फोर जॉब ओरियण्टेड स्कील बेसड ट्रेनिंग प्रोग्राम टू मेक द इकोनोमिकली चैलेंजन्ड बीपीएल यूथ इन नॉर्थ इण्डिया	टेली इण्डिया प्रा0 लि0 नई दिल्ली	03.02.10	1488.47	1 वर्ष	2000	सीकर, भीलवाड़ा, बीकानेर, गंगानगर, उदयपुर, धौलपरु, दौसा, चुरू, भरतपुर, टोंक, हनुमानगढ, जयपुर, बांसवाडा, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, सवाईमाधोपुर **अवधि पूर्ण**
18	स्पेशल प्रोजेक्ट अण्डर एसजीएसवाई फोर प्लेसमेन्ट लिंक्ड स्कील डवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रूरल बीपीएल यूथ स्कील फॉर एमप्लोइमेंट इन एपिल मेन्युफेक्चरिंग फेज ।। एक्जीटिंग सेन्टर बाई आई. एल. एण्ड एफ.एस क्लस्टर इन्डस्ट्री लि0 (एस.ई.ए.एम)	आईएल एण्ड एफएफ	15.02.2011	1445.00	2 वर्ष		अलवर, जयपुर
19	प्लेसमेंट लिंक्ड स्कील डवपलमेंट प्रोग्राम फॉर रूरल बीपीएल यूथ इन सर्विस सेक्टर स्कील फॉर एम्पलोयमेंट इन सर्विस सेक्टर नॉर्थ (एस.ई.एस. एस.)	आई.एल. एण्ड एफ.एस.	31.12.2009	1495.54	3 वर्ष	800	अलवर,टोंक, चुरू, सवाईमाधोपुर, दौसा, कोटा
20	स्कील डवलपमेंट एण्ड केपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अन एम्पलोयड रूरल यूथ इन यूपी एण्ड राजस्थान	दृष्टि फाउण्डेशन	26.11.2009	808.12	18 माह	2250	अलवर, भरतपुर **अवधि पूर्ण**
21	सेटिंग अप स्कील ट्रेनिंग रिसोर्स सेन्टर फौर लाइवलीहुड अर्पोचूनिटी एण्ड जॉब प्लेसमेंट फॉर बीपीएल रूरल यूथ एण्ड वूमेन थ्रू पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशीप एप्रोच	आरो फाउण्डेशन	22.12.2009 स्टार्टेड फ्रॉम जनवरी 2010	686.00	2 वर्ष	2000	अलवर, दौसा, हनुमानगढ, चित्तौडगढ़, धोलपुर, कोटा
22	एसजीएसवाई स्पेशल प्रोजेक्ट होस्पीटेलीटी	बी.वी.जी. इण्डिया लि0	01.06.2011	1480.17	26 माह	8100	बांरा, बूंदी, दौसा
23	प्रोजेक्ट 2	सी.आई.एस. एस.एल.	25.02.2011	1488.47	24 माह	7800	अलवर जयपुर, जौधपुर, प्रतापगढ, उदयपुर
24	प्रोजेक्ट 3	फ्यूचर कॉपोरेट रिसोर्स लि0	28.03.2011	1494.85	36 माह	8000	अलवर , भरतपुर, बूंदी, चूरू, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुन्झुनू, जौधपुर, करौली, स. माधोपरु, टोंक

25	एमपॉवरिंग यूथ इन आई.टी.फॉर एमप्लॉय एबिलीटी	आईएसीएम स्मार्ट लर्न लि.	16.12.2010	1493.95	36 माह	8200	अजमेर, दौसा, जयपुर, जैसलमेर, झुन्झुनू, जौधपुर, कोटा, पाली, स. माधोपुर, सिरोही, टोंक
26	आईकेवाईए परिर्वतन	आईकेवाईए हयूमन केपिटल सोल्यूशन प्रा.लि.	21.03.2011	1483.12	36 माह	8000	भरतपुर, बीकानेर, हनुमानगढ, जयपुर
27	स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	लोरियस एज्यूटेक प्रा.लि.	25.02.2011	1488.47	27 माह	7800	अलवर
28	प्लेसमेन्ट लिंकड एसजीएसवाई प्रोजेक्ट	एसआईटीडी	25.03.2011	377.8	15 माह	2000	बाडमेर बीकानेर, चितौडगढ, श्रीगंगानगर, जयपुर, जौधपुर, पाली, करौली, नागौर, सिरोही

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत राज्यीय विशेष परियोजनाएं

क्र. स.	परियोजना का नाम	कार्यकारी एजेंन्सी	स्वीकृत दिनॉक	अवधि	कुल लाभान्वित	नॉडल जिला/ फण्ड रूटीन एजेन्सी	परियोजना लागत			
							सेन्ट्रल शेयर	स्टेट शेयर	इम्पली मेंन्टिग एजेन्सी शेयर	योग
1	स्कील डवपलमेंट फॉर नॉन फॉर्मस लाइवलीहुडस इन द मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान (भीलवाड़ा, चित्तौडगढ, उदयपुर, राजसमंद)	आईएल एण्ड एफएस क्लस्टर डवपलमेंट इनीसिएटिव लि0	12.3.2010	5 वर्ष	7800	जिला परिषद भीलवाड़ा/ एसआईआरडी जयपुर	1116.36	--	372.11	1488.47
2	स्कील डवपलमेंट एण्ड प्लेसमेंट ऑफ रूरल यूथ लीडिंग टू गेनफूल एम्पलोयमेंट इन 4 डिस्ट्रिक्स (भीलवाड़ा, बूंदी राजसमंद एण्ड उदयपुर) बाई विश्वास संस्थान उदयपुर	विश्वास संस्थान, 51, अशोक नगर, मेन रोड़, उदयपुर	26.3.2010	3 वर्ष	8000	एसआईआरडी जयपुर	394.86	131.62	------	526.48 (Phase Ist)
3	कैपासिटी बिल्डिंग एण्ड स्कील डवपलमेंट ऑफ 1200 वीमन फोर सेटिंग अप ए प्रोड्यूसर ऑन्ड कम्पनी फॉर गारमेंट मैन्यूफैक्चरिंग इन भीलवाड़ा	आईएल एण्ड एफएस क्लस्टर डवपलमेंट इनीसिएटिव लि0	23.07.2010	3 वर्ष	1200	जिला परिषद भीलवाड़ा	282.00	----	371.00	653.00
4	मैनस्ट्रींग रूरल प्रोडक्ट	रूडा	03.12.2003	10 वर्ष	2935	जिला परिषद, डूंगरपुर	394.91	131.64	0.00	526.55